LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, December 21, 2023 / Agrahayana 30, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 21, 2023 / Agrahayana 30, 1945 (Saka)

CONTENTS | PAGES

OBITUARY REFERENCES	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 261-270)	**1A - 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 271, 273 – 276, 278, 279)	**31 - 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO.2991, 2993 – 3001, 3003, 3005, 3006, 3008 – 3015, 3019, 3020, 3022 – 3039, 3042, 3044 – 3056, 3059, 3060, 3064, 3066 – 3078, 3080, 3083, 3084, 3086–3093, 3095, 3097–3102, 3104 – 3110, 3112 – 3123, 3125 – 3127, 3129 – 3138, 3141, 3144 – 3146, 3148, 3149, 3151 – 3155, 3158, 3159, 3161, 3164, 3166 – 3171, 3174 – 3177, 3179 – 3188, 3190, 3192, 3193, 3195 – 3203, 3205, 3207 – 3211, 3214 – 3220)	**51 - 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, December 21, 2023 / Agrahayana 30 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 21, 2023 / Agrahayana 30, 1945 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

OBSERVATION RE: DISRUPTION OF HOUSE PROCEEDINGS	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**282 - 308**
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 170th Report	**308**
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	**309**
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 52nd to 54th Reports	**310**
COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN Statement	**310**
STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 183rd to 185th Reports	**311**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 18TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS - LAID Shri Hardeep Singh Puri	**311**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 327TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE - LAID Shri Shripad Yesso Naik	**312**
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 318TH AND 322ND REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY - LAID Shri Bhanu Pratap Singh Verma	**312**

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**313 - 21**
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	**313**
Shri Mohan Mandavi	**313**
Shri Gopal Jee Thakur	**314**
Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	**314**
Shri Manoj Kotak	**315**
Dr. Sukanta Majumdar	**315**
Shrimati Keshari Devi Patel	**316**
Shri Bidyut Baran Mahato	**316**
Shri Ghanshyam Singh Lodhi	**317**
Shri Ramdas Tadas	**317**
Shri Rajendra Agrawal	**318**
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	**318**
Shri Sunil Kumar Soni	**319**
Shri Vishnu Dayal Ram	**319**
Shri Subhash Chandra Baheria	**320**
Dr. T. R. Paarivendhar	**320**
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	**321**
Shrimati Manjulata Mandal	**321**
CHIEF ELECTION COMMISSIONER AND OTHER ELECTION COMMISSIONERS (APPOINTMENT, CONDITIONS OF SERVICE AND TERM OF OFFICE) BILL	**322 - 55**
Motion for Consideration	**322**
Shri Arjun Ram Meghwal	**322 - 23**
Shrimati Chinta Anuradha	**324**
Dr. Sanjay Jaiswal	**325 - 27**

Shri Rahul Ramesh Shewale 328 - 29

Shri Bhartruhari Mahtab 330 - 33

Shri Shankar Lalwani 334

Shri Sanjay Seth 335 - 37

Shri Asaduddin Owaisi 338 - 42

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki 343

Shri Jayadev Galla 344 - 45

Shri Sudheer Gupta 346 - 47

Shri Dilip Ghosh 348 - 49

Shri Rajiv Pratap Rudy 350 - 51

Shri Arjun Ram Meghwal 352 - 54

Motion for Consideration – Adopted 355

Consideration of Clauses 355

Motion to Pass 355

PRESS AND REGISTRATION OF PERIODICALS BILL (Inconclusive) 356 - 82

Motion for Consideration 356

Shri Anurag Singh Thakur 356 - 57

Dr. Nishikant Dubey 358 - 62

Shri Kuruva Gorantla Madhav 363 - 64

Shri Rahul Ramesh Shewale 365

Shri Bhartruhari Mahtab 366 - 69

Shri Ganesh Singh 370 - 72

Shri Syed Imtiaz Jaleel 373 - 76

Shri Ramesh Bidhuri 377 - 80

Shri Bidyut Baran Mahato 381 - 82

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS	**383**
PRESS AND REGISTRATION OF PERIODICALS BILL (Contd. - Concluded)	**384 - 400**
Shri Ram Kripal Yadav	**384 - 86**
Shri Jugal Kishore Sharma	**387**
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	**388 - 89**
Shri Anurag Singh Thakur	**390 - 99**
Motion for Consideration – Adopted	**400**
Consideration of Clauses	**400**
Motion to Pass	**400**
VALEDICTORY REFERENCE	**401**

(1100/CS/SM)

1100 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दु:ख के साथ, हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री बबनराव ढाकणे महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री ढाकणे ने ऊर्जा मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

इससे पूर्व, श्री ढाकणे दो कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने विधान सभा उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला।

श्री बबनराव ढाकणे का निधन 27 अक्टूबर, 2023 को 85 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ।

श्री धर्मन्ना मोन्दय्या सादुल महाराष्ट्र के सोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री सादुल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था।

श्री धर्मन्ना मोन्दय्या सादुल का निधन 13 दिसम्बर, 2023 को 80 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति:।

… (व्यवधान)

1104 बजे

(इस समय श्री डी.के.सुरेश और श्री दीपक बैज आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

(1105/IND/RP)

(प्रश्न 261)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 261 श्री अर्जुन लाल मीणा जी – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मावल से एनएच-4 से लगकर तलेगाँव, चाकण और शिक्रापुर से राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 548D और एनएच-4 से लगकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 48 में देहूरोड सेंट्रल पाइंट से किवले, रावेत, वाकड़ होते हुए चांदनी चौक तक जाने वाले मार्ग का डीपीआर बनाया जाए।… (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों राष्ट्रीय महामार्ग के डीपीआर को मंजूरी देने के साथ-साथ इन मार्गों पर कितने एलिवेटेड रोड बन रहे हैं और इनका काम कब से शुरू होगा? … (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष जी, पुणे-अहमदनगर रोड पर और पुणे-मुम्बई से तलेगाँव, चाकण, शिक्रापुर रोड पर काफी बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डेनसिटी है। चाकण के इंडस्ट्रीयल एरिया के कारण भी वहां ट्रैफिक डेनसिटी है।… (व्यवधान) हमने तलेगाँव से लेकर चाकण, शिक्रापुर तक नए प्रकार के एलिवेटेड रोड का डिजाइन तैयार किया है। डीपीआर भी तैयार है और दिल्ली में मंजूरी के लिए आया है। हम उसे जल्दी ही मंजूर करने का काम करेंगे और उसके साथ-साथ पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद का हमारा जो राष्ट्रीय महामार्ग है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वहां भी हम जल्दी ही पुणे से औरंगाबाद नया एक्सप्रेस हाईवे नई एलाइनमेंट ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी में जो कार्पोरेशन तैयार किया है, उस कार्पोरेशन को यह काम देने के बारे में उपमुख्य मंत्री देवेन्द्र जी ने मुझे अनुरोध किया था।… (व्यवधान) पुणे-औरंगाबाद बीओटी पर हाईवे निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कार्पोरेशन के साथ हम विचार कर रहे हैं। पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद और उसके बीच में चाकण-शिक्रापुर से तलेगाँव तक पूरे सैक्शन में इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट है और जल्दी ही आने वाले समय में दोनों प्राब्लम्स सॉल्व होंगी और इसमें पुणे के रिंग रोड को कनेक्टिविटी मिलेगी तथा ट्रैफिक जाम कम होगा।… (व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत काम किए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एनएच-52 जो जयपुर से सीकर होते हुए बीकानेर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू को कवर करता है।… (व्यवधान) इस रोड पर कुछ आरओबी बनने थे, जिनके लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है और टेंडर भी पास हो चुके हैं लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें जैतपुरा, भोजलावा, आड़ौता, उदयपुरिया मोड, गोविंदगढ़, रिंगस, मंडोर इत्यादि स्थान हैं।… (व्यवधान) इसके साथ ही मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन था कि माननीय भैरों सिंह शेखावत साहब के जन्म शताब्दी के अवसर पर आप पधारे थे और खाटू में एक बैठक हुई थी। खाटू श्याम जी में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पिछली बार 50 लाख से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु आए। वह सड़क इतनी छोटी है कि आने-जाने में बहुत

परेशानी होती है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि यदि एक रिंग रोड बन जाए तो वह खाटू और जीण माता, दोनों को कवर कर लेगी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सही बात है।

… (व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा निवेदन है कि सीकर बॉयपास अभी दो लेन की सड़क है और इस वजह से वहां बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा निवेदन इस सड़क को चार लेने करने का है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अब तक क्या कार्यवाही की है और कब तक यह काम हो जाएगा?… (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष जी, आज के प्रश्न से काफी अलग प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर से सीकर के लिए उन्होंने जो बात कही, उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। वह रिपोर्ट जल्दी तैयार होने के बाद काम शुरू करेंगे। यह बात सच है कि जब मैं उनके साथ दर्शन करने के लिए गया था, तो रिंग रोड बनाने की जो बात उन्होंने कही है, वह बिलकुल सही है। वहां पचास लाख लोग आते हैं और टू लेन रोड की वजह से काफी परेशानी होती है। उनकी दूसरी बात को भी पॉजिटिवली रिजॉल्व करने के लिए भी सूचना दूंगा और उसका भी मार्ग निकालकर काम करके दूंगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं।… (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं नितिन गडकरी जी को बहुत बधाई देता हूं कि देश में यदि आज अच्छी सड़कें मिल रही हैं, अच्छे फ्लाई ओवर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका पूरा सेहरा मंत्री जी के सिर जाता है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और इसमें कोई दो राय नहीं हैं।… (व्यवधान)

महोदय, मुझे अपने शहर के ताल्लुक से आपका थोड़ा-सा सौतेलापन देखने को मिलता है।… (व्यवधान)

(1110/RV/NKL)

सर, मैं औरंगाबाद से आता हूं।… (व्यवधान) आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो साल पहले मैं आपके पास बैठा हुआ था, आपने सभी इंजीनियर्स को बुलाया था।… (व्यवधान) औरंगाबाद शहर के जो दो मुख्य इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहां वालुज से चिकलठाणा के बीच में एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई थी।… (व्यवधान) उसके बाद औरंगाबाद से एक नए मंत्री डा. कराड आए। उन्होंने कहा कि हम रोड के ऊपर ट्रेन भी लाना चाहते हैं।… (व्यवधान) 7 करोड़ रुपये का डीपीआर भी बनाया गया।… (व्यवधान) डीपीआर बनाने के बाद अब हमें यह बताया जा रहा है कि वहां न रोड बनेगी, न फ्लाईओवर बनेगा और उसके ऊपर जो ट्रेन आने वाली थी, वह पुल भी नहीं बनेगा।… (व्यवधान) शहर के बाहर गाड़ियों को छोड़ने के लिए यह फ्लाईओवर अहमदनगर में बन चुका है, पुणे में बन चुका है, नासिक में बन चुका है।… (व्यवधान)

सर, सिर्फ औरंगाबाद के साथ यह सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है?… (व्यवधान) आपका दिल बहुत बड़ा है।… (व्यवधान) हम चाहते हैं कि आप इसकी घोषणा करें और जल्द से जल्द आप अपने ही हाथों से इसका उद्घाटन करने के लिए औरंगाबाद आएं।… (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य जो समस्या बता रहे हैं, वह सही है।... (व्यवधान) उनके कहने के ऊपर मैंने सूचना भी दी थी।... (व्यवधान) वहां मेट्रो की तरफ से कुछ काम होने वाला था, तो यह भी तय हुआ कि ब्रिज के ऊपर मेट्रो बनाएंगे, इसलिए डीपीआर बनाने का भी काम शुरू किया था।... (व्यवधान) पर, दुर्भाग्यवश, जब इसकी डिटेल में गए तो वह रोड स्टेट हाईवे निकला, वह नेशनल हाईवे नहीं है।... (व्यवधान) हमारा अधिकार यही है कि जहां नेशनल हाईवे का नम्बर होता है, हम वहीं काम कर सकते हैं।... (व्यवधान)

कल सम्माननीय मंत्री जी डॉ. कराड मेरे पास आए थे। उनसे बात होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट की है।... (व्यवधान) मैंने उनको एक सुझाव दिया है, कृपया इसे आश्वासन के रूप में मत लीजिए कि पुणे से औरंगाबाद के बीच हम जो हाईवे बना रहे हैं, क्या उस पैकेज को जोड़ कर कुछ किया जा सकता है, यह मार्ग भी हम ढूंढ़ने की कोशिश करेंगे।... (व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार ने अब प्रिंसिपली उसको करने के बारे में मान्य किया है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।... (व्यवधान) इसे करने में मैं पूरी मदद करूंगा।... (व्यवधान)

शम्भाजी नगर और मराठवाड़ा में विशेष रूप से करीब एक लाख करोड़ रुपये के रोड्स के काम हमने दिये हैं।... (व्यवधान) इर्रीगेशन के समय जो प्रोजेक्ट्स अधूरे थे, उन्हें पैसे दिए हैं।... (व्यवधान) मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है।... (व्यवधान) मराठवाड़ा के अनेक जिलों को 4-लेन से जोड़ने का काम हमने किया है।... (व्यवधान) पुणे से औरंगाबाद तक एक बहुत बड़ा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बारे में अभी मैंने जवाब दिया है, इसलिए शम्भाजी नगर या औरंगाबाद के साथ सौतेला व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता।... (व्यवधान) विकास की उनकी जो अपेक्षा है, उसे पूरा करने की कोशिश हमारी सरकार की तरफ से होगी, यह मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं।... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है।... (व्यवधान)

महोदय, आज पूरा देश तरक्की कर रहा है।... (व्यवधान) मंत्री जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है।... (व्यवधान) अयोध्या में भी बहुत काम हो रहे हैं।... (व्यवधान) मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि हस्तिनापुर, जो हमारे देश की राजधानी रही है, जो मेरठ जिले में पड़ती है और गंगा को पार करते हैं तो विदुर कुटि है, जो बिजनौर में पड़ती है और अगर मुज़फ्फ़रनगर में जाते हैं तो वहां शुक्रताल है।... (व्यवधान) क्या हाईवे की जाल से उनको भी जोड़ने का कोई प्रोग्राम है क्योंकि वहां बहुत पतली-पतली सड़कें हैं और वहां बहुत दिक्कतें होती हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, हम दिल्ली के बाजू में, एनसीआर में, 65,000 करोड़ रुपये के काम कर रहे हैं।... (व्यवधान) आपको पता होगा कि पहले दिल्ली

से मेरठ जाने में चार घंटे का समय लगता था, पर अब 45-50 मिनट में लोग आ-जा रहे हैं।... (व्यवधान) उसके बाद मुज़फ्फ़रनगर के रोड का भी काम देहरादून तक पूरा हुआ है।... (व्यवधान) सहारनपुर से, विशेष रूप से अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक हम नया हाईवे बना रहे हैं।... (व्यवधान) उससे केवल दो घंटे में देहरादून और डेढ़ घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे।... (व्यवधान)

महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने मेरठ के पास हस्तिनापुर की बात की है, तो वह एक नेशनल हाईवे नहीं है, बल्कि वह एक स्टेट हाईवे है।... (व्यवधान) फिर भी, उस क्षेत्र में अगर कोई नेशनल हाईवे होगा और उसका नम्बर प्राप्त होगा तो आप उसका प्रोपोजल लेकर मेरे पास आइए, उसमें हम जरूर काम करेंगे।... (व्यवधान) हम स्टेट हाईवे पर काम नहीं कर सकते।... (व्यवधान)

दिल्ली-एनसीआर में काफी जगह काम हो रहा है, दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना है।... (व्यवधान) विशेष रूप से, पानीपत से निकलने के बाद यूईआर-II, जिसे बनाने की जिम्मेदारी डीडीए की थी, उसे हमने बनाया, जहां पहले पानीपत से एयरपोर्ट जाने में दो घंटे का समय लगता था, वहीं अब इस रोड से 20 मिनट में आ सकेंगे।... (व्यवधान) डायरेक्ट टी-3 जाने के लिए, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है।... (व्यवधान) दिल्ली के आजू-बाजू में एनसीआर में जो-जो हैं, जहां-जहां एनएचएआई की जिम्मेदारी है, वहां हमने पूरा कार्य किया है।... (व्यवधान) अगर यहां एनएचएआई का कोई काम होगा तो मुझे प्रस्ताव दीजिए, हम जरूर काम करेंगे।... (व्यवधान)

(इति)

(1115/VR/GG)

(Q.262)

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Sir, my first supplementary question is with regard to the second airport in Chennai. *....(Interruptions)* The Civil Aviation Ministry is planning to open its second airport at Paranthur, Chennai. The farmers whose land of around 3700 plus acres has been acquired are agitating. Will the Government consider alternate location for the new airport? *....(Interruptions)*

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह: महोदय, यह प्रश्न यह था कि कुछ आइडल हवाई जहाज़ रखे हुए हैं। अभी जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या नया एयरपोर्ट बनेगा? जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, नए एयरपोर्ट के बारे में तमिलनाडु से बात हुई है। उसके बारे में उनकी तरफ से एक सिफारिश आई है, जिसके ऊपर सर्वे चल रहा है। उसके बाद दोनों के बीच में बात कर के ही काम किया जाएगा।

जहाँ तक आइडल हवाई जहाज़ों का सवाल है, 164 हवाई जहाज़ अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर हैं, जिनमें से 142 शेड्यूल्ड एयरलाइंस के हैं। इनमें से कुछ तकनीकी वज़ह से रखे हुए हैं, क्योंकि उनमें प्रैट एण्ड वेटनी इंजन थे। कुछ एयरक्राफ्ट्स गो एयर के हैं, जो कि वे एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनको एनसीएलटी की वज़ह से वहाँ पर खड़ा रखा हुआ है। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है, तब तक वे वहाँ रहेंगे।

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Thank you, Sir. In case the Government is particular to start the airport at the same location, will the Government pay satisfactory compensation, including a government job to every family of the farmers. *....(Interruptions)*

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह: महोदय, जैसे मैंने पहले बताया, इसके बारे में स्टेट की तरफ से सिफारिश आई है और उसके ऊपर चर्चा चल रही है। उसका सर्वे होने के बाद। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तो पॉलिसी मैटर के तहत ही मिलता है। ऐसे अलग पॉलिसी थोड़े ही न रहती है।

माननीय कैबिनेट मंत्री जी, इसका उत्तर आप बता दीजिए।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STEEL (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): Sir, the issue that the hon. Member has raised regarding Paranthur Airport as the second airport in Chennai is very

important. *....(Interruptions)* The site clearance proposal has come from the Government of Tamil Nadu to the Ministry of Civil Aviation. We are looking at the technical aspects of it. *....(Interruptions)*

I would like to inform the hon. Member, through you, Sir, that the contribution of land for any airport in any part of the country has to be done by the State Government. Land acquisition, if required, at any place has to be done by the State Government. The compensation if at all has to be paid by the State Government. *....(Interruptions)* The Airports Authority of India which builds and operates the airport in Chennai is certainly looking for the second site. But the responsibility of transfer of that land for the second site is very clearly the domain and responsibility of the State Government. Based on this we will extend our financial resources to build the airport post the site clearance and the in-principal approval. These are the two stages of that. *....(Interruptions)*

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Thank you, Speaker, Sir. As per the reply given by the hon. Civil Aviation Minister, almost 164 planes are lying idle at various airports across the country. Of these, a big number is that of scheduled aircraft. *....(Interruptions)* I would like to bring it to your knowledge that the number of Indigo aeroplanes is quite big. What is the reason for this? I am asking it because Indigo planes always fly with full capacity and often there are no seats available. *....(Interruptions)* This shows that there is a huge shortage of aeroplanes in the country. Why can the Government not put these idle planes into use so that hardships faced by the passengers are mitigated? *....(Interruptions)*

(1120/SAN/MY)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, this is a very important point that has been raised by the hon. Member of Parliament. I would like to assure him and the House, through you Sir, that our fleet is expanding at a very rapid pace. The Indian civil aviation sector had only 400 aircraft in 2014 and today, the number has increased to almost 644 aircraft taking into account AoG, Aircraft on Ground, the number of which today stands roughly at 140

from the point of view of the scheduled commercial airlines. … (*Interruptions*)

With regard to his pointed question on Indigo, the problem is not necessarily of Indigo or any of the aircraft; the problem is that 95 per cent of the aircraft on ground in India today are in their current position because of only one engine supplier and that is Pratt and Whitney, whether it is Q400 aircraft, ATR aircraft, Boeing or Airbus. The reason is that they are having supply chain issues. We have been in direct touch with Pratt and Whitney also that this situation is unacceptable because as he mentioned, there are many more flyers in India. … (*Interruptions*)

Having said that, I would like to assure the House, through you Sir, that even though aircraft on ground are 140, our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we have gone to the figure of 644. As on March, 2024, with the fleet induction of almost two to five aircraft per month, we will go to a number of 686, even though the aircraft on ground are 140. … (*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 263)

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप तय कर लें कि कौन बोलेंगे।

… (व्यवधान)

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): मोहतरम स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज हमारी यह पार्लियामेंट अपोजिशन से खाली है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो। आप प्रश्न पूछिए।

… (व्यवधान)

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली-शिमला के बारे में पूछना चाहता हूं।… (व्यवधान) विशेष रूप से शिमला जो मेज़र टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां के लिए अलाएन्स एयर की एक फ्लाइट एटीआर 42 चलती है। इसका किराया बहुत अधिक है। जो सब्सिडाइज्ड सीट्स थीं, उसकी संख्या भी कम दी गई है… (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या शिमला के लिए फ्लाइट की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी और उसका जो किराया है, क्या उसको भी कम किया जाएगा? … (व्यवधान) इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह: महोदय, वैसे तो यह सवाल लखनऊ के ऊपर था, परंतु उन्होंने शिमला के बारे में पूछा है।… (व्यवधान) शिमला की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह का वह एयरपोर्ट है, जिस तरह का रनवे है, उसके ऊपर दूसरे जहाजों के लिए रेट पेनाल्टी लगती है। इसलिए, शिमला और कुल्लू के लिए स्पेशियली एटीआर 42 हवाई जहाज खरीदा गया है।… (व्यवधान) अब एक हवाई जहाज है, वहां के लिए जो फ्लाइट चलती है, उसकी डिमांड और सप्लाई के कारण जो किराया बनता है, उसके हिसाब से कोशिश की जा रही है कि इसको नीचे लाया जाए। इस समय जो किराया है, गर्मी के मौसम में इसकी डिमांड ज्यादा थी।… (व्यवधान) डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किराया ज्यादा था, लेकिन अब तकरीबन आधा हो गया है। इस मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि इन किरायों को सही रूप के अंदर लोगों के फायदे के लिए और नीचे कराया जाए। इसके बारे में सोच-विचार किया जा रहा है।… (व्यवधान)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): स्पीकर महोदय, आपने मुझे सवाल उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।… (व्यवधान)

महोदय, मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से एविएशन क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है।… (व्यवधान) इसके लिए मैं अपने मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल साहब को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारी घरेलू उड़ान हो या इंटरनेशनल उड़ान हो, अभी सूरत से दुबई के लिए उड़ान शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं सरकार और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। … (व्यवधान)महोदय, मैं अहमदाबाद से सांसद हूं। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।…

(व्यवधान) इस एयरपोर्ट को व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट गिना जाता है। गुजरात और अहमदाबाद के कई लोग विदेशों में रहते हैं। ज्यादातर लोग अमेरिका और कनाडा में रहते हैं।

(1125/CP/SNT)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि अहमदाबाद से न्यूयार्क या नेवार्क की सीधी फ्लाइट अगर मिलेगी तो गुजराती लोगों को बहुत ही फायदा होगा। मैं यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह फ्लाइट इकोनॉमिकली बहुत ही फुल जाएगी, क्योंकि लोग वाया दिल्ली जाते हैं और उन्हें बहुत दिक्कत होती है। क्या मंत्री जी इस बात पर हमें कोई पॉजीटिव जवाब देंगे?…(व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया): अध्यक्ष जी, किरीट भाई ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। अहमदाबाद से यात्रियों की संख्या में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है।…(व्यवधान) मैं उनको आपके द्वारा आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक अमेरिका की फ्लाइट्स हैं, हमारा एक ओपन स्काई पॉलिसी पर अमेरिका के साथ हस्ताक्षर हुआ है। कोई भी अमेरिकन एयरलाइन या कोई भी भारतीय एयरलाइन डायरेक्ट फ्लाइट तैनात कर सकती है। हमारी पूर्ण कोशिश है कि विकेन्द्रीकरण हो, जैसे प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में नागर विमानन क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ है, उसका विकेन्द्रीकरण भी हो रहा है। आने वाले दिनों में इसका विकेन्द्रीकरण तेजी से भारत में बढ़ेगा। ओपन स्काई पॉलिसी के तहत कोई भी इंडियन एयरलाइन या अमेरिकी एयरलाइन किसी भी गन्तव्य से एक डायरेक्ट फ्लाइट तैनात कर सकती है। … (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल स्पीकर सर, इस साल की शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्यों को बहुत खुशी हुई थी कि एक एयरक्राफ्ट फ्लाईबिग के माध्यम से उड़ान के आधार पर हर स्टेट कनेक्ट हुआ था।… (व्यवधान) एयरक्राफ्ट फ्लाईबिग का क्या हुआ, वह पता नहीं है। …(व्यवधान) अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गुवाहाटी, कोलकाता कनेक्शन, इस फ्लाइट के रुकने की वजह से पूरी तरह से रुक गया है।…(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह नार्थ-ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को कोई अल्टरनेट एयरक्राफ्ट और फ्लाइट सर्विस ढूंढ़ कर देंगे? …(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: सर, पूर्वोत्तर को पूर्वोदय में परिवर्तित करने का एकमात्र लक्ष्य देश के इतिहास में पहले प्रधान मंत्री का रहा है तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का रहा है। जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, जिस क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 16 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। 2 राज्य, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ऐसे थे, जहां 65 वर्षों में एक भी विमान तल नहीं था। आज अरुणाचल प्रदेश में तीन विमान तल हैं और सिक्किम में एक विमान तल है। माननीय सांसद महोदय जी का प्रश्न बहुत उत्तम है। फ्लाईबिग का, फाटा लाइसेंस पॉयलट का विषय जरूर हुआ है। हमारी कोशिश है कि उड़ान 5.2 के तहत बहुत सारे रुट्स हम लोगों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दिए हैं और आने वाले दिनों में वहां फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसका विश्वास मैं इनको दिलाना चाहता हूं। जिस पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल 870 रूट्स वर्ष 2014 में होते थे, आज 1,972 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति सप्ताह हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स में बढ़ोत्तरी 100 पर्सेंट, फ्लाइट्स में बढ़ोत्तरी 100 पर्सेंट और यह तीव्र गति की बढ़ोत्तरी आने वाले दिनों में भी रहेगी, यह विश्वास मैं सांसद महोदय को आपके द्वारा देना चाहूंगा।…(व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 264)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 264, श्री बालाशौरी वल्लभनेनी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर शर्मा।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सर, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जम्मू शहर अब बड़े शहरों की गिनती में आ रहा है और इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से बहुत अच्छा विकास जम्मू शहर का हो रहा है। शहर के बाहरी क्षेत्र में सीवेज और सेप्टेज प्रबन्धन हेतु और जम्मू शहर के पार्कों के उत्थान, रख-रखाव और उनकी सुन्दरता को बढ़ाने के लिए क्या आप कोई रीडेवलपमेंट योजना या कोई धनराशि आबंटित करेंगे?

(1130/AK/NK)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I want to thank the hon. Member for posing this question. … (*Interruptions*)

The AMRUT Scheme was started in June, 2015 to cover 500 cities with a population of over 1,00,000. … (*Interruptions*) That Scheme covered water tap connections, sewage and septage treatment, greening of spaces, etc. … (*Interruptions*) Since the AMRUT Scheme covered only 500 cities, it was subsequently submerged into the AMRUT 2.0 Scheme, which along with Swachh Bharat Mission has an outlay of Rs. 4,71,000 crore. … (*Interruptions*) All cities are covered under the AMRUT Scheme and those which are not covered under AMRUT are now covered under AMRUT 2.0. … (*Interruptions*)

Insofar as information regarding what all is being done, I would like to draw the attention of the hon. Member to the fact that all this information is available in public domain.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखकर जवाब दीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The information is available on a public portal, which is https://amrut.mohua.gov.in and all hon. Members have been provided with a login. … (*Interruptions*) I am very happy to find that out of the 539 MPs, 201 have already logged in to the portal and they should be available. … (*Interruptions*)

Insofar J&K is concerned, 14 projects in parts have been completed at a cost of Rs. 5.13 crore. … (*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 265)

मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, इन्होंने बहुत विस्तार से हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना देश के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष स्वास्थ बीमा का लाभ प्रदान कर रही है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं, यह बहुत ही अद्भुत योजना है। देश के दो महानगरों - दिल्ली और कोलकाता में यह सेवा उपलब्ध नहीं है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं। चाहे स्थानीय लोग हों या बहुत सारे माइग्रेंट्स लोग जो वहां जाकर बसे हैं, वे सभी परेशान हैं, उनको यह सुविधा नहीं मिल रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है, यदि हां, तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है, जिससे दिल्ली और कोलकाता जैसे दोनों महानगरों के जरूरतमंदों को लाभ मिले।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member has asked for a specific focus on … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वैसे आप अंग्रेजी जानते हैं, अगर हिन्दी जानते हैं तो हिन्दी में जवाब दे दीजिए।

श्री हरदीप सिंह पुरी: अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में जवाब दे देता हूं, आप चाहें तो पंजाबी में भी जवाब दे सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष: हां, आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। अगर आप अंग्रेजी में भी जवाब देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री हरदीप सिंह पुरी: अध्यक्ष महोदय, आजकल चेयर से डायरेक्शन आती है, मैं पंजाबी में जवाब दे देता हूं, इसमें क्या बात है। मनोज जी तो पंजाबी समझते हैं, लेकिन चेयर से लैंग्वेज के बारे में डायरेक्शन आती है, बाकी जगहों से भी आती है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको पंजाबी में जवाब देने के लिए मुझे लिख कर देना पड़ेगा।

श्री हरदीप सिंह पुरी: मैं हिन्दी में जवाब दे देता हूं और उसमें भोजपुरी का टच दे दूंगा। माननीय सदस्य ने स्लम में जो सिविक एमेनिटीज दी जाती हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय, आपको भी ज्ञान है और माननीय सदस्य भी जानते हैं। लैंड और कॉलोनाइजेशन स्टेट सब्जेक्ट है। इस समय केन्द्रीय योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी, जो जून, 2015 से ज्यादातर शुरू हुई है। इसका लाभ देश भर में सब जगह पहुंच रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उसमें स्वच्छ भारत मिशन अमृत हो गया। आयुष्मान भारत योजना मेरा मंत्रालय लागू नहीं करता है, यह हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। माननीय सदस्य का सवाल है कि ये दिल्ली और कोलकाता में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो सुझाव होगा कि मेरे साथ मनोज जी बैठ जाएं, निशिकान्त जी ने भी सवाल पूछा था, वह भी बैठ जाएं। हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करेंगे।

(1135/SK/UB)

माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर्स बिहार, ईस्टर्न यूपी और अन्य जगहों से आते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके तहत एक फैमिली को पांच लाख रुपये की सुविधा मिलेगी। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी: मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम इसे लागू करना चाहते हैं। हम उनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे। आप तो डायरेक्शन देते हैं। आप ही आम आदमी पार्टी या टीएमसी को डायरेक्शन दें, उनको यह लागू करना चाहिए। … (व्यवधान) वैस्ट बंगाल में इसे करें। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मंत्री हैं। यहां से किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर स्लम में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए तरह-तरह की योजनाएं लाई है। अर्बनाइजेशन हो रहा है और इससे लगातार शहरों में भीड़ बढ़ रही है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना हो, चाहे अटल मिशन योजना हो या अमृत भारत योजना हो। … (व्यवधान) मेरे राज्य झारखंड में अर्बन पापुलेशन बढ़ रही है। … (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में कहा है कि वर्ष 2021-26 तक पैसा एलोकेट किया है, चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना में हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना में हो या अमृत भारत योजना में हो। इसमें वर्ष 2022-2023 और वर्ष 2023-24 का जो डाटा है, उसमें से एक रुपया भी भारत सरकार नहीं दे पाई। शायद राज्य सरकार की गलती के कारण नहीं दिया होगा या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। जहां राज्य सरकारें आम जनता को इस तरह का फायदा नहीं पहुंचा पा रही है और योजना में उसका एलोकेशन हो रहा है, इसके लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान है? जनता तो जनता है, उसे राज्य और केंद्र से कोई लेनादेना नहीं है। इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहेंगे? … (व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो विषय रख रहे हैं, बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। केंद्रीय सरकार तो प्रोविजनिंग ही कर सकती है। केंद्रीय सरकार जो प्रोविजनिंग करती है और उसके बारे में जानकारी लोगों को दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार हैल्पलेस हो जाती है अगर राज्य सरकार उस पैसे को ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करती हैं या यह पैसा अनयूटिलाइज रह जाता है। जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के पास नहीं आएगा, तब तक हम राज्य सरकार को और पैसा नहीं दे सकते। … (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि माननीय निशिकांत जी और हम साथ बैठें और इसे राज्य सरकार के साथ टेक-अप करें। यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ राज्य सरकारें रिसेप्टिव नहीं हैं। एक और सरकार है, आप कहेंगे कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन सबको पता है कि आयुष्मान भारत दिल्ली और कोलकाता में ही लागू क्यों नहीं होता है? मैं समझता हूं कि इसके पीछे राजनैतिक इंसेंसटिविटी है, मतलब वे अपनी जनता को ही लाभ नहीं देना चाहते हैं। केंद्र

की बाकी योजनाओं की भी यही सिचुएशन है। एंटी पुअर तो हैं ही, वह तो लग ही रहा है, नहीं तो शीश महल क्यों बनाएंगे? … (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): माननीय अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी का जवाब देखें, उन्होंने पीएमएवाई में कहा है कि 78.27 लाख बेनिफिशरीज़ को डिलीवर कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में 11224 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। माननीय मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए तो मैं आपको औरंगाबाद पॉर्लियामेंट कांस्टीटुएंसी में फूल का हार पहनाउंगा।

दूसरी बात है, स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र की एलोकेशन वर्ष 2021 और 2026 में 3758.50 करोड़ रुपये है। उसके तीन साल मुकम्मल हो रहे हैं और सिर्फ 480 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं। अमृत योजना में महाराष्ट्र में 3534 करोड़ रुपये कमिट किए गए थे, लेकिन इस साल वर्ष 2023-24 में क्या दिया? यह आप ही का जवाब है। आप कम से कम हमारी आंखों में धूल तो मत डालिए।

(1140/KDS/SRG)

आपने कहा कि औरंगाबाद में 78.27 लाख घर कम्प्लीट हैं, लेकिन एक घर नहीं बना। अमृत योजना में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉंस्टीट्युएंसी के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि वहां पर कितने सीवरेज लाइन्ड हुए? स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ … (व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को बैठक स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी जरूरत है। हमें आपस में बात-चीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधान मंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में टोटल 1 करोड़ 19 लाख सैंक्शन हुए हैं और इसमें 1 करोड़ 9 लाख ग्राउंड हुए हैं। यह कैसे हो सकता है कि 78 लाख जो टोटल है, वह सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। … (व्यवधान) सर, ये आंकड़े मैं दिन-रात देखता हूं। प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन) में टोटल सैंक्शन्ड फिगर 1 करोड़ 19 लाख है, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख ग्राउंड हुए हैं। इसमें लाभार्थियों को 78 लाख घर दिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद व महाराष्ट्र में 30 मार्च, 2022 को सीएनसी में 49 हजार घर सैंक्शन हुए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना, सीएलएसएस वर्टिकल में है। होता यह है कि राज्य सरकार शुरू में आती है और अपनी डिमांड असेसमेंट पर हमसे सैंक्शन मांगती है। उसके बाद उनसे काम होता नहीं है। फिर उसको राज्य सरकारें कन्वर्ट करना चाहती हैं। महाराष्ट्र में यह समस्या थी कि उन्होंने जो सैंक्शन खुद मांगी थी, उस पर वे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। अब टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप में केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती है। राज्य सरकार को जमीन और अपना हिस्सा देना होता है। कई राज्य सरकारें डिमांड करती हैं और फिर नहीं कर पाती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं। जब हम कहते हैं कि इसको कैंसल कर देंगे, तो सरकारें कहती हैं कि नहीं, एएचपी से इसको सीएलएसएस में कनवर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडीविजुअल और बैंक के बीच में होता है। अगर आपको आंकड़े समझ नहीं आए, तो आप मेरे साथ आराम से बैठिए, मैं आपको समझा दूंगा।

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): धन्यवाद अध्यक्ष जी। मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधा के विषय में यह प्रश्न पूछा गया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने अच्छी प्रकार से निधि का आवंटन किया है तथा महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। कुछ सदस्यों ने बताया कि काम नहीं हो रहा है। यह इनका आरोप है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम

हो रहा है, आवास भी बन रहे हैं। मेरे क्षेत्र में भी आवास बने हैं। कुछ जगहों पर शायद नहीं हुए होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में निधि का उपयोग हो रहा है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि अमृत योजना से सारे शहरों को पानी देने का काम राज्य व केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। 300 करोड़ की निधि भी मेरे क्षेत्र में आपने दी थी। राज्य व केंद्र सरकार के स्तर से अमृत योजना भी बनी थी, लेकिन उसमें कुछ धांधली हुई थी। राज्य सरकार ने उसकी जांच बिठा दी है। जहां पर धांधली होती है, निधि का दुरुपयोग होता है, जिसमें केंद्र सरकार का भी पैसा होता है, तो केंद्र सरकार अलग तरीके से कोई कमेटी या टीम भेजकर जांच करे, इस हेतु क्या कोई प्रस्ताव आपके पास है? आपकी दी हुई निधि में भविष्य में यदि ऐसी कुछ धांधली होती है तो क्या आप उसकी जांच करेंगे? यवतमाल में अमृत योजना के तहत 300 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन आज तक पानी वहां पर नहीं दिया गया। कुछ क्षेत्रों में पानी जा रहा है, लेकिन वहां की जो काम करने वाली एजेंसी है, उसने गड़बड़ी की है। हमने तो अपने एमएलए के साथ उसका बहुत अच्छी तरह से नियोजन भी किया था। मैं खुद भी बैठी थी, लेकिन बाद में लोगों को पानी नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में आप केंद्र सरकार की तरफ से क्या करने जा रहे हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी : सर, जो अमृत योजना है, उसके तहत राज्य सरकारें अपना स्टेट एनुअल एक्शन प्लान बनाती हैं, जिसको सैप कहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट वे उसमें डालते हैं, केंद्र सिर्फ उसकी एन्डोर्समेंट करती है। अमृत योजना की कवरेज पहले भारत में केवल 66 परसेंट थी।

(1145/MK/RCP)

हो सकता है कुछ शहर पहले रह गये हों तो हमने उनको भी अमृत 2.0 में कवर कर लिया है। हमारे यहां एक प्रोविजन है, जिसको IRMA *(Independent Review* and *Monitoring Agency)* कहते हैं। अगर कहीं लगे कि राज्य सरकार के द्वारा या किसी और एंटिटी के द्वारा पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया या उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसकी जांच करवाने के लिए हमारे पास प्रोविजन है। … (व्यवधान) सर, मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक पोर्टल पर एवेलबल है। इसलिए, फूलों का हार पहनाने वाली जो बात है, वह आप पोर्टल पर भी पहनवा सकते हैं। हमारे पास कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो लैंड और कॉलोनाइजेशन स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, हम राज्य सरकार से वह भी पूछेंगे। अगर आपको लगे, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर जांच होनी चाहिए तो हम अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट रिव्यु के दौरान आपकी सहायता करेंगे और हम अपनी तरफ से राज्य सरकार से भी पूछ सकते हैं। … (व्यवधान)

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Thank you, Sir. The Government of India allotted Rs.1000 crore in March, 2015 to Guntur and Vijayawada Municipal Corporations regarding stormwater drainage for Vijayawada Municipal Corporation and drainage for Guntur Municipal Corporation. … (*Interruptions*) The amount is Rs.468 crore for Vijayawada Municipal Corporation and Rs.532 crore approximately for Guntur Municipal Corporation. … (*Interruptions*) The Government of India had given the amount to the State Government. They transferred hundred per cent amount on 31st March, 2015. But the stormwater

drainage in Vijayawada is 30 per cent to 40 per cent completed after nine years. After 2019, after the Government changed in Andhra Pradesh, the work was completely stopped. … (*Interruptions*) Sir, hundred per cent amount was released to the State Government by the Government of India. The then Urban Affairs Minister Shri Venkaiah Naidu garu sanctioned the fund. … (*Interruptions*) The State Government has totally stopped the works of both Guntur Municipal Corporation and Vijayawada Municipal Corporation regarding underground drainage for Guntur Municipal Corporation and stormwater drainage for Vijayawada Municipal Corporation. … (*Interruptions*) I would like to ask the Minister to use his good office with the State Government to complete this work. … (*Interruptions*)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, we are reviewing the projects under all the Central schemes on a regular basis. … (*Interruptions*) Any State Government that has been given funds for a specific purpose is required not only to spend those funds, but to spend them according to the correct prescribed system. Now, regarding what has happened in these particular incidents in Vijayawada city under AMRUT and AMRUT 2.0, I can give the figures. … (*Interruptions*) Eight projects worth Rs.128.53 crore have been taken up by the State in Vijayawada city, six projects for development of parks, etc. If a stormwater drainage project is not working, and it is a legacy of what happened in the past, again we are reviewing these projects. I can assure the hon. Member that from the Central Government's time, right from May, 2014 -- these are cooperative federalism schemes which started in June 2015 – it is our endeavour to ensure that all State Governments spend the money which has been allocated to them. … (*Interruptions*) I am also very sure that the progress which he has cited only at 30 per cent, I will also get the latest figure and find out why that money has not been spent, the reasons for not spending that money, etc. There are ways and means in which we can you know minus that from some other accounts. So, there are ways of dealing with this. I assure you that we will be looking at this very carefully.

(ends)

(1150/SJN/PS)

(प्रश्न 266)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. जी. रणजीत रेड्डी जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): A statement is laid on the Table of the House.

(ends)

(प्रश्न 267)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा एवं मैं माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जो भवन निर्माण के कार्यों में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। वे पूरे देश भर में तो घूमते हैं, वे मुंबई शहर में भी बार-बार आते हैं।

अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री जी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तो लाए हैं, वह लागू भी हो गया है। बहुत सारे कंप्लायंस भी कम हो गए हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों को जो पेपर चाहिए होते हैं, जब तक वह नहीं मिलता है, तब तक वे ऑनलाइन अपलोड नहीं करवाते हैं। इसकी वजह से भवन निर्माण के लिए जो परमीशन मिलती है, वह प्रोसेस बहुत धीमी गति से हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके संज्ञान में यह बात आई है? अगर यह बात आई है, तो वे इसके बारे में क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी : महोदय, जैसा कि उत्तर की बॉडी में कहा गया है कि अर्बन प्लानिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में जो अर्बन प्लानिंग का फंक्शन है, वह अर्बन लोकल बॉडीज़ का है। इसलिए हमारे पास जो प्रपोजल्स आते हैं, वे राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडी से आते हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो कुछ डेलीगेशन दी गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और लाइसेंस्ड सर्वेयर्स और इंजीनियर्स में जो आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, उनको बीएमसी की प्लानिंग अथॉरिटी दी गई है कि जो लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क है, जो छोटे प्लाट्स हैं, जो 150 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर के हैं, जिनको लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क कहा जाता है, उनको उसकी सर्टिफिकेशन और अथॉरिटी दी गई है। यह चर्चा कई बार हुई है। हमारे पास लोग रेफरेंसेज़ भी करते हैं और हम उनसे पूछते भी हैं। इसका समाधान राज्य सरकार के पास है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार सिर्फ एडवाइज कर सकती है। 12वीं अनुसूची में अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग राज्य का विषय है कि क्या करना है।

मुझे लगता है कि मैं माननीय सदस्य के साथ बैठ सकता हूं और यह लोकल इश्यू है। जो ये सवाल है, वह ऑनलाइन बिल्डिंग परमीशंस का है। आपको पता है कि हम वर्ल्ड बैंक की अंतर्राष्ट्रीय रैकिंग में 140वीं से 27वीं रैंक पर आ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो सवाल पूछा गया है, मैंने उसका जवाब दिया है, लेकिन इसका उत्तर राज्य सरकार की तरफ से आएगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अगर हर सवाल पर आप बैठकर बात कर लेंगे, तो माननीय सदस्य प्रश्न काल में क्या पूछेंगे? जो विषय है, आप उसके बारे में बता दीजिए।

माननीय सदस्य, सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछिए।

… (व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय जी ने कहा है कि ये राज्य का विषय है। अगर राज्य के पास किसी पैसे का कंट्रिब्यूशन हो, लैंड ट्रांसफर की बात हो, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। हम तो सिर्फ परमीशन मांग रहे हैं। राज्य सरकार ने भी 150 और 200 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए डॉयरेक्ट आर्किटेक्ट परमीशन दे सकता है, इस प्रकार का कायदा बनाया है। लेकिन आर्किटेक्ट्स कितना पैसा लेते हैं, हम सबको यह पता है। जो सामान्य व्यक्ति है, वह उन सारे पैमाने तक नहीं पहुंच पाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी कायदा बना दिया है। जो मछुआरे हैं, मुंबई शहर में बहुत सारे मछुवारे हैं, तो सरकार की तरफ से 150 और 200 फुट की परमीशन प्राप्त करने के लिए एक मॉडल प्लान बना दिया जाए। उनको कॉर्पोरेशन को जो भी पैसा भरना हो, उस पैसे को भरने के बाद उनको तुरंत परमीशन मिलनी चाहिए। यह तो बहुत आसान है।…(व्यवधान)

श्री हरदीप सिंह पुरी : महोदय, ये जो सुझाव है, माननीय सदस्य और मेरी पहले भी बात हो चुकी है। हम लोग इस पर सोच-विचार कर रहे हैं and this looks to be a feasible idea. हम इसको पर्स्यू करेंगे।…(व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 268)

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लिखित में जो जवाब दिया है, वह पूर्ण रूप से संतोषजनक है। वह यह प्रदर्शित करता है कि भारत के माननीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता महिला, दलित, आदिवासी और युवा वर्ग का सशक्तिकरण है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी एमएसई द्वारा बनाए गए उत्पाद तक केन्द्रीय मंत्रालय, विभाग, पीएसयूज़ आदि कि पहुंच नहीं है, तो वह एमएसई अपने उत्पाद से इन सबको कैसे लाभान्वित कर सके और खुद भी लाभान्वित हो, क्या इसके लिए सरकार की कोई योजना है? अगर नहीं है, तो क्या सरकार इस समस्या से परिचित है? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या प्लानिंग की है, जिससे अभी तक 25 प्रतिशत के लाभ से वंचित एमएसईज़ भी इसमें भागीदार हो सकें?…(व्यवधान)

(1155/SPS/SMN)

माननीय अध्यक्ष : अब समय कम है। पांच मिनट बचे हैं तो जल्दी से जवाब दे दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पीपीपी मॉडल के अंतर्गत यह खरीद की जाती है। विशेष रूप से इस खरीद नीति के अंतर्गत चार परसेंट एसस-एसटी एमएसएमईज़ हैं तो उनके द्वारा इनका माल खरीदा जाता है। एनएसआईसी के द्वारा इन एससी-एसटी की ज्यादा खरीद के लिए एक एनएसएसएच एससी-एसटी हब का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें खरीद की जाती हैं। एमएसएमई की खरीद के लिए जो 25 परसेंट की योजना बनाई गई है, उसके तहत यह खरीदा जाता है।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल) : मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश में नेशनल एससी-एसटी हब का कोई कार्यक्रम करवा रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके अलावा आप यह बताने की कृपा करें कि बैतूल में प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एससी-एसटी हब के कार्यक्रम के लिए एक कॉन्क्लेव की बात की है। अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ में हमारा एससी-एसटी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम झाबुआ में हुआ था, जिससे वहां के आदिवासियों को खरीद और अन्य चीजों का लाभ मिल सके। यह कार्यक्रम वहां पर संपन्न किया गया है। (इति)

(प्रश्न 269)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 269, श्री हेमंत तुकाराम गोडसे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): The Answer is laid on the Table.

(इति)

(pp. 20-30)

प्रश्न (270)

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका की तरफ से विद्यानगरी कलीना और बीकेसी स्टेशन के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण के चलते मेट्रो-3 कॉरिडोर के पहले फेज़ पर सेवा में और देरी हो सकती है। एमएमआरसी ने मेट्रो के पहले फेज में आरे कॉलोनी से बीकेसी के बीच सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके लिए दिसंबर, 2023 डेडलाइन दी गई थी, लेकिन यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है।

अत: मेरा प्रश्न है कि इस कार्य में और कितना विलंब हो सकता है और कब तक कार्य पूरा होने की संभावना है?

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में हमारे पास 906 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है तथा करीब 960 किलोमीटर और भी बनाई जा रही है। जब मेट्रो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इसमें कभी-कभी लैंड एक्विज़ीशन, कभी कुछ और किस्म की परमिशन होती है। जो 960 किलोमीटर अंडर कंसट्रक्शन है, वह अगले तीन-चार साल में कम्प्लीट कर दी जाएगी। इसमें हमारे पास डैडलाइन है। जहां तक मुंबई लाइन-3 है, जो मुझे लगता है, ऑनरेबल मैंबर का स्पेसिफिकली सवाल था, वह मुझे सुनाई नहीं दिया, वह 1 जनवरी, 2024 को ऑपरेशनलाइज्ड कर दी जाएगी और कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद कोई और परमिशन चाहिए, सिक्योरिटी रन चाहिए और सेफ्टी फीचर्स देखने चाहिए, लेकिन यह मुंबई की लाइन-3 एडवांस स्टेज में है।

(1200/MM/SM)

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): वर्तमान में देश भर के 20 शहरों में 905 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क चालू है अत: प्रश्न है कि इसके अलावा कितना मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है। मुम्बई एमएमआरडीए और पुणे पीएमआरडीए में इसकी स्थिति क्या है और कब तक इस नेटवर्क को पूरा किया जाएगा?

श्री हरदीप सिंह पुरी : जनवरी, 2024 मुझे अपने जवाब में कहना था। मैंने कहा कि 905 है और बाकी 907 अगले तीन-चार साल में पूरी कर दी जाएगी। जहां तक मुम्बई लाईन-3 है, वह 1 जनवरी, 2024 और बाकी भी किसी लाइन के बारे में हो, सारी इनफोर्मेशन हम आपको पहुंचा देंगे।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

OBSERVATION RE: DISRUPTION OF HOUSE PROCEEDINGS

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री डी.के. सुरेश, श्री दीपक बैज और श्री नकुल के. नाथ, आप लोग सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित कर रहे हैं, प्लेकार्ड लेकर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़कर फेंक रहे हैं। यह सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैंने किसी भी माननीय सदस्य का निलंबन बिना किसी कारण के नहीं किया है। लेकिन, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और कागज फाड़कर स्टाफ पर फेंक रहे हैं। पूर्ति सदस्य मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा निलंबन कर दो। क्या यह तरीका सदन में ठीक है? यह रिक्वैस्ट करने आते हैं कि हमारा निलंबन कर दो, क्या आपका यह तरीका ठीक है? आप सदन की इन मर्यादाओं से क्या सदन चलाना चाहते हैं? क्या आपको सदन में कागज फाड़कर फेंकने के लिए भेजा गया है? क्या तख्तियां दिखाने के लिए आपको भेजा गया है? आप चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन आप आकर कहेंगे कि हमारा निलंबन कीजिए तो यह तरीका उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में तख्तियां लहराकर कागज फाड़कर कह रहे हैं कि हमारा निलंबन कीजिए और फिर आप लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता हूं। आप सभी मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। आपका अधिकार है सदन में बोलने का, चर्चा करने का, बातचीत करने का, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। आप जाकर अपनी सीट पर बैठें। मैं आपको शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, आप कोई भी विषय उठाइए। आप लोग अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं तख्तियां लेकर ही आऊंगा, मुझे सस्पेंड करो, यह तरीका सदन में उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 3, डॉ. वी.के. सिंह जी।

... (व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2023 जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का.आ.3800(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 की

अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3947(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो 12 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 663(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2023 जो 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2023 जो 5 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2023 जो 7 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 838(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2023 जो 11 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2023 जो दिनांक 23 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/15 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अनुपालन लेखापरीक्षा) विनियम, 2023 जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/14 में प्रकाशित हुए थे।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. एफ.सं. आरए-14026(11)/4/2020-सीईआरसी जो दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से

प्रशुल्क नियतन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 की प्रयोज्यता की अवधि का 31 मार्च, 2024 तक विस्तार किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/265/2022/सीईआरसी जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023, दिनांक 01.10.2023 से लागू होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों का साझा किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 के कतिपय उपबंध आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होने को अधिसूचित किया गया है।

(चार) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 के कतिपय उपबंध अधिसूचित किए गए हैं।

(पांच) अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी जो दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियों का साझा किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चेनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्र) लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेनाब वैली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्र) लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों – दिसंबर 2023 के बारे में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रगति प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1203 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. Syama Prasad Mookerjee National Institute of Water and Sanitation, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. Syama Prasad Mookerjee National Institute of Water and Sanitation, Kolkata, for the year 2022-2023.

… (*Interruptions*)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र- पुडी (विशाखापत्तनम) के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र- पुडी (विशाखापत्तनम) के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाड़ी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई - टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) एमएसएमई – टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल), जालंधर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल), जालंधर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) एमएसएमई – टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई – प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ. की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – कलिंग संस्मारक, कर्णपुर, देहरादून, उत्तराखंड।

(दो) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – ''दी काज़ मेन बिल्डिंग्स, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश उप-विधियां 2023.

(तीन) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – ''गुणवती ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, राधाकिशोरपुर, गोमती, त्रिपुरा।

(चार) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(पांच) केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां 2023 – भवनेश्वरी टेम्पल, राजनगर, गोमती, त्रिपुरा।

(2) (एक) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 61 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) 2023, जो दिनांक 2 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-आरओ/(1)/2022(पी-3803) में प्रकाशित हुए थे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मुंबई मेट्रो रेल लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3845(अ), जो दिनांक 31 अगस्त 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. एस.के.गर्ग, मुख्य परियोजना प्रबंधक-8 की राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के भीतर डीएमआरसी परिसर के लिए डीएमआरसी के संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति तथा श्री जी. पी. बंसल, मुख्य परियोजना प्रबंधक-3 के पदनाम को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के बाहर के डीएमआरसी परिसरों के लिए डीएमआरसी के संपदा अधिकारी के रूप में परिवर्तित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1205/YSH/RP)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(11) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन (सोसायटी), गुरदासपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन (सोसायटी), गुरदासपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(12) (एक) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(14) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(15) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(16) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(17) (एक) नैशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(18) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(19) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(20) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(21) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलौर, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(22) (एक) सोफिटोरियम इंजीनियरिंग कॉलेज, खोरदा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोफिटोरियम इंजीनियरिंग कॉलेज, खोरदा, के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(23) (एक) स्नेह महिला विकास संस्था-तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेह महिला विकास संस्था-तुली कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(24) (एक) हेरिटेज एजुकेश्नल सोसायटी, आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेरिटेज एजुकेश्नल सोसायटी, आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(25) (एक) जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(26) (एक) निदान टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निदान टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पॉण्डिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी, के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) पॉण्डिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़, के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ड.) (एक) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) (एक) वर्ष 2022-2023 के लिए छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छावनी बोर्डों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण।

(30) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(31) (एक) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, पश्चिम कामेंग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, पश्चिम कामेंग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(33) (एक) जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(34) (एक) संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(37) (एक) भारतीय पाककला संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पाककला संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नालॉजी परिषद्, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग टेक्नालॉजी परिषद्, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jammu, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jammu, for the year 2022-2023.

(2) A copy of the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) First Amendment Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. STD/SP-21/T(Alcohol-4) in Gazette of India dated 22nd August, 2023, under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2022-2023.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Centre for Research in Rural & Industrial Development, Chandigarh, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research

Centre, Centre for Research in Rural & Industrial Development, Chandigarh, for the year 2021-2022.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, for the year 2022-2023.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Puducherry, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Puducherry, for the year 2022-2023.

(8) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences & Kasturba Hospital, Wardha, for the years 2020-2021 and 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences & Kasturba Hospital, Wardha, for the years 2020-2021 and 2021-2022.

(9) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Nagpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Nagpur, for the year 2022-2023.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, for the year 2022-2023.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur, for the year 2022-2023.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Patna, for the year 2022-2023.

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

170वां प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, मैं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) का 170वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

… (व्यवधान)

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1207 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19^{th} December, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Provisional Collection of Taxes Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19^{th} December, 2023 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
52वां से 54वां प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-24) का 52वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-24) का 53वां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-24) का 54वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
Statement

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I beg to lay on the table the Final Action Taken Statement (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter I and Chapter V of the Sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women (2021-22) on the Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the Fifth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee (2021-22) on the subject "Empowerment of Women through Education with Special Reference to „Beti Bachao – Beti Padhao" scheme".

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
183rd to 185th Reports

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce: -

(1) 183rd Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Seventy-ninth Report on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 10) of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

(2) 184th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Eightieth Report on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 11) of Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

(3) 185th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Eighty-second Report on 'Ecosystem of Startups to benefit India'.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 18TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 327TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 327th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on „Connectivity and Tourist Terminal Facilities at Ports" pertaining to the Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

उद्योग संबंधी समिति के 318वें और 322वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्निलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में उद्योग संबंधी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में उद्योग संबंधी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 322वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1209 बजे

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

Re: Construction of new railway station at Mahoba Chattarpur instead of Mahoba Kulpahar in Bundelkhand

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुन्देलखण्ड में विगत 9 वर्षों से आधरभूत संरचनाओं जैसे सड़क,बिजली,पानी,स्वास्थ्य,इत्यादि का अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है और इन सब के लिये मैं केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में झांसी से खजुराहों के मध्य रेलवे लाइन के डाइवर्जन के कारण बहुत सी ट्रेनों का आवागमन महोबा नगर से न हो पाने के कारण अभी महोबा -कुलपहाड़ रोड पर स्थित रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त महोबा में नया स्टेशन नई डाइवर्जन लाइन पर प्रस्तावित है। परन्तु महोदय इस नए स्टेशन का प्रस्ताव भी महोबा कुलपहाड़ रोड पर ही है। जबकि डाइवर्जन रेल लाइन का महोबा छतरपुर रोड से भी जा रही है। नगर के दूसरी दिशा में स्थित महोबा छत्तरपुर रोड पर प्रस्तावित रेलवे स्टेशन बन जाने से पूरे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि महोबा में प्रस्तावित नए रेलवे स्टेशन को महोबा कुलपहाड़ रोड पर बनाये जाने के स्थान पर महोबा छतरपुर रोड पर बनाया जाये।

(इति)

Re: Inclusion of Ramcharitmanas in school curriculum

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): महोदय जी मै सदन के माध्यम से तुलसीकृत श्री रामचरित मानस को स्कूली पाठ्यक्रम मे शामिल करने की मांग करता हूँ। महोदय श्री रामचरित मानस ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का वर्णन करने वाला आदि महाकाव्य है। इसमें आदर्श पितृभक्ति, मातृप्रेम एवं हितकारी राजधर्म आदि श्रेष्ठ जीवन के विविध संबंधी आयामों का वृहद रूप मे दिगदर्शन होता है। इस ग्रंथ में मर्यादित जीवन मूल्यों का नारी के शील, पवित्रता, भाई के आदर्श प्रेम तथा प्रजा हितैषी राष्ट्रवाद के उच्च मर्यादाओं व परिपाटी का संदेश मिलता है। जो आज के परिवेश में अत्यंत ही प्रासंगिक है। अत: सदन के माध्यम से अनुरोध है कि माननीय शिक्षा मंत्री “तुलसी के श्री रामचरित मानस” को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to include Maithili in the list of optional languages for language test papers in CTET

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, CTET परीक्षा में दो पेपरों का आयोजन होता है और इसके प्रत्येक पेपर में अभ्यर्थियों को दो लैंग्वेज टेस्ट में भी हिस्सा लेना होता है। CBSE इन लैंग्वेज टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को 20 भाषाओं में से अपने पसंद की लैंग्वेज चुनने की आजादी देता है। CTET की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी 20 भाषा यथा - अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, मिजो, तमिल, असमिया, खासी, नेपाली, तेलगू, बंगाली, मलयालम, उड़िया, तिब्बती, गारो, मणिपुरी, पंजाबी और उर्दू में से अपने लिए दो भाषाओं का चयन लैंग्वेज टेस्ट के लिए करते हैं। मैथिली संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैथिली को CBSE पाठ्यक्रम में भी विषय के रूप में शामिल किया गया है। संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल होने के वाबजूद CTET में लैंग्वेज टेस्ट के लिए मैथिली भाषा को शामिल नहीं किया गया हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि CTET परीक्षा में लैंग्वेज टेस्ट के लिए मैथिली भाषा को शामिल किया जाए।

(इति)

Re: Need to change the call sign 'VT' on Indian aircraft to 'BT' i.e. Bharat Territory

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद): महोदय भारत में, "VT" के साथ शुरू होने वाले विमान रजिस्ट्रेशन संख्याएँ जो विमान की राष्ट्रीयता को दर्शाता है (DGCA) द्वारा सौंपी जाती हैं। " वर्तमान में VT" इस कोड के शुरुआत में राष्ट्रीय पहचान हेतु उपयोग होता है जिसका मतलब विक्टोरिया या वायसराय टेररेटरी होता है जो अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय विमानों के लिए अपनाया गया था। महोदय जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहें है और प्रधानमंत्री जी गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अब अपने विमानों की राष्ट्रीय पहचान भारत से जोड़कर एक और गुलामी के प्रतीक से मुक्ति पा लेनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि विमान रजिस्ट्रेशन संख्याएँ VT के बदले BT अर्थात भारत टेररेटरी होना चाहिए जो स्वतंत्र भारत की भावना से मेल खाता है और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देता है।

(इति)

Re: Solid waste management

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने प्रत्येक गाँव में “स्थायी कचरा प्रबंधन“ करने की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रो में प्रत्येक दिन निकलने वाले कचरे की मात्रा काफी बढ़ती जा रही है। “स्वच्छ भारत अभियान“ के तहत प्रत्येक शहरी क्षेत्र में कचरे का उचित प्रबंधन एवं निपटारा करना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ मुम्बई शहर में प्रतिदिन निकलने वाला कचरा लगभग 105 प्रतिशत बढ़ गया है। यही हाल अन्य बड़े छोटे शहरो का भी है। मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से माँग है कि कचरे की समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कचरा प्रबंधन कलस्टर का निर्माण किया जाए ताकि किसी एक शहर पर कचरे का बौझ जमा नहीं होगा। इससे कम जमीन पर कचरे का निपटारा हो सकेगा और किसी भी प्रवासी इलाके में कचरे से होने वाली बदबू या कोई बीमारी फैलाने का डर नहीं रहेगा। केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफाई के लिए प्रेरित करने के कारण शहरों और गांवो में अभूतपूर्व सुधार हुआ हैं। इसी क्रम में यदि कचरे के निपटाने के लिए शहरो के आस पास क्षेत्रीय स्तर पर कचरा निपटान कलस्टर बना दिया जाए तो काफी सराहनीय होगा।

(इति)

Re: Operationalization of Balurghat airport

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Balurghat Airport at Mahinagar, holds immense potential to be a catalyst for economic growth and regional connectivity. However, despite the Airports Authority declaring its readiness for operation in December 2021, the airport remains shrouded in the shadows of bureaucratic delays and unanswered questions. The delay in operationalizing this vital infrastructure project has caused frustration and disappointment and the lack of air connectivity cripples economic development, discourages tourism, and restricts access to timely medical services. Businesses struggle to compete effectively due to the logistical hurdles caused by limited transportation options. The reasons behind this inordinate delay remain unclear. While the AAI declared the facilities ready, questions linger about the Government's reaction to this assessment. Was there a lack of coordination between the AAI and the State Government? Has the State Government expressed any reluctance to hand over control of the airport to the AAI? The operationalization of the Mahinagar Airport is not just about bricks and mortar; it is about unlocking the economic potential of a region and improving the lives of millions of people. The Government must act with urgency and accountability to ensure that this long-awaited dream becomes a reality and people get the Balurghat airport functional at the earliest.

(ends)

Re: Coverage of serious diseases under Ayushman Bharat Scheme

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से में कहना है कि, आयुष्मान योजना जिसकी शुरुवात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी थी, जिसके आधार पर हर गरीब परिवार जिसमे कोई भी मरीज़ ज्यादा बीमार हो उसको 5 लाख तक मुफ्त इलाज़ की सुविधा प्राप्त हो l परन्तु अध्यक्ष जी मुझे बताया गया है कि बहुत से अस्पताल कुछ गंभीर बिमारियों जिसमे आर्थिक सहायता की ज्यादा ज़रुरत होती है उसमे मदद नहीं की जा रही है और कुछ अस्पताल वालों का रवैया बहुत ही खराब होता है वह मरीज़ के परिवार से उनका व्यव्हार बहुत ही गलत होता है l कुछ अस्पतालों द्वारा यह भी कह दिया जाता है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी बीमारियाँ कवर नहीं होती l सर, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितनी भी गंभीर बीमारियाँ हैं उसको कवर किया जाए l और यह भी विनम्र निवेदन है कि सरकारी अस्पतालों में भी जो महंगे टेस्ट हैं उनको भी सरकार द्वारा निशुल्क किया जाए जिससे जनमानस को लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Trenches dug up in elephant corridor in West Bengal and low height of high-tension power line in Jharkhand posing threat to elephants

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड से सटे अपने सीमा क्षेत्र में एक खाई खोद दी है, जिसके कारण हाथी उड़ीसा से शुरू होकर झारखंड से बंगाल तक जाने वाले हाथी गलियारे में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से हाथी रास्ता भटक कर झारखंड के जंगलों और गांवों में घुस जाते हैं. हाथी कॉरिडोर में बिजली विभाग झारखंड द्वारा काफी कम ऊंचाई पर हाई एक्सटेंशन बिजली के तार लगाए गए हैं। हाल ही में 20 नवंबर को मुसाबनी वन क्षेत्र के ऊपरबंदा जंगल में पांच हाथियों की मौत का कारण 33 हजार केवी हाई टेंशन तार की कम ऊंचाई है. इससे पहले भी 22 जून 2022 को राखा वन क्षेत्र में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई थी. अगर वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया होता तो इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में चाकुलिया वन क्षेत्र में लगातार दो दिनों में दो हाथियों की मौत और उसके बाद 20 नवम्बर मुसाबनी वन क्षेत्र के ऊपरबंदा जंगल में पांच हाथियों की मौत शायद नहीं हुआ होता।

(इति)

Re: Need to declare Rampur in Uttar Pradesh as a tourist destination

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर) : ऐतिहासिक शहर जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सीमा पर स्थित है और नैनीताल जाने वाले पर्यटक जनपद रामपुर होकर ही जाते हैं। जनपद रामपुर में तमाम ऐतिहासिक इमारतें एवं धार्मिक तीर्थ स्थल भी मौजूद है। यहां की रजा लाइब्रेरी दुनिया की मशहूर लाइब्रेरी में से एक है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के राजघाट के बाद गाँधी जी की अस्थियों को जनपद रामपुर में लाया गया था इसलिए रामपुर में भी ऐतिहासिक गांधी समाधि है इसके अलावा कोठी खास बाग, जामा मस्जिद सहित कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है वहीं धार्मिक सौहार्द की पहचान के रूप में जाने वाला ऐतिहासिक भवरोवा शिव मंदिर 1822 ईस्वी में बनवाया गया था। वही राठोंडा शिव मंदिर भी अपनी ऐतिहासिक पहचान रखता है साथ ही तहसील रामपुर के गांव पंजाब नगर में ऐतहासिक स्वयंभू शिव मंदिर है। वहीं पीपली वन में भी लगभग 200 वर्ष पूर्व का माता का मंदिर है। जनपद रामपुर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि नैनीताल जाने वाले पर्यटक भी यहां पर घूमने आएंगे जिससे यहां पर रोजगार की भी संभावनाएं बनेगी और पर्यटन स्थल बनने से रामपुर में विकास के साथ-साथ सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

(इति)

Re: Need to provide compensation to farmers who suffered loss of crops caused by untimely rains in Wardha Parliamentary Constituency

श्री रामदास तडस (वर्धा): आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के वर्धा एंव अमरावती में हुए बेमौसम बारिश के विषय पर माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हए कहना है कि अधिक बारिश होने के कारण सभी फसल बर्बाद हो गई हैं एंव क़िसानो में दहशत व्याप्त है, असमय बारिश होने से कपास ,तुयर, गेहूं चना एंव विभिन्न सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है, जिस कारण किसानों में मातम है क्योकि कर्ज लेकर किसानों ने फसल लगाई थी, जो बर्बाद हो गई है, जिसका सर्वे केंद्रीय टीम से कराने की जरूरत है। अत: आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द केंद्रीय टीम भेज कर वर्धा एंव अमरावती जिले के किसानों को राहत दिलाने के लिए सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

(इति)

Re: Construction of underpass, slip roads and foot overbridge on National Highways in Meerut Parliamentary Constituency

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ मे परतापुर से पल्लवपुरम तक का मेरठ बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का भाग है तथा इस पर बहुत बड़ी संख्या मे तीव्र गति के वाहन आते जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए इन वाहनों के बीच से सड़क पार करना अत्यधिक कठिन कार्य है तथा सड़क पार करने के प्रयास मे विभिन्न स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। सड़कों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए चार स्थानों डुंगरावली, घाट, खड़ोली और दायमपुर पर अन्डरपास तथा स्लिप रोड़ स्वीकृत हो चुकी हैं परंतु अभी तक इन पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 334 पर धनौटा एवं लालपुर के निकट स्लिप रोड़ स्वीकृत हुई है तथा नवादा मे प्राथमिक विधालय मार्ग के दूसरी ओर होने के कारण बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना बहुत आवश्यक है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन स्थानों पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु अन्डरपास, स्लिप रोड़ तथा फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने के आदेश देने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to tackle cyber crimes

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में पिछले पांच वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। भारत का डिजिटल भुगतान बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और जनमानस का डिजिटल भुगतान के प्रति बढता रूझान प्रसन्नता की बात है। इसके लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। संचार प्रौद्योगिकी के समय में अधिकांश नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुये है, फिर चाहे ऑनलाइन खरीदारी हो या पैसे ट्रांसफर करने कि कोई एप्लीकेशन । जैसे-जैसे संचार के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट से चलने वाले ऐप प्राथमिकता से उपयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम का बढता ग्राफ चिंता की बात है। ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे लोग पुलिस की जटिल प्रकिया के चलते रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराते हैं और जो बहुत कम लोग रिपोर्ट दर्ज कराते भी हैं तो उनके निपटाने की प्रकिया बहुत ही धीमी हैं। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए समाज में साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ कठोर कानून बनाये जाने की भी आवश्यकता है।

(इति)

Re: Need to expedite the work related to Railways in Chhattisgarh

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ में रेल मंत्रालय को सर्वाधिक राशि रूपये 6000 करोड़ से अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान में देश में वंदे भारत जैसी ट्रेन का संचालन एवं निर्माण किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी वंदे भारत संचालित है। इस तरह माननीय प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री के दूरदृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में ट्रेन सुविधाओं का विस्तार हो चुका है, जिससे निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को रेल यात्रा में और भी अधिक सुविधा प्राप्त होगी। माननीय रेल मंत्री जी इन सुविधाओं के विस्तार एवं अधोसंरचना निर्माण की वजह से यात्री ट्रेनें विलंब से चल रही हैं या रद्द हो रही हैं। जिस वजह से राज्य की जनता में रेल मंत्रालय के प्रति नाराजगी स्वभाविक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अधोसरंचना के इस कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूरे किये जाने के आदेश रेल जोन को जारी करेंगे, जिससे कि ट्रेनों को कम से कम रद्द किया जा सके एवं चलाया जा सके। यात्रियों की असुविधाओं में कमी की जा सके।

(इति)

Re: Stoppage of Ranchi-New Delhi Rajdhani Express train No. 12453/12454 at Nagar Untari (Shri Bansidhar Nagar) railway station

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि रॉची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12453/12454 का नगर उटारी (श्री बंशीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मॉग काफी दिनों से वहां की जनता के द्वारा जा रही है। उक्त ट्रेन सप्ताह में एक दिन रॉची वाया चोपन-चुनार होते हुए नई दिल्ली तक जाती है। विदित है कि धनबाद रेलमंडल के अंतर्गत गढ़वा रोड चोपन रेल खण्ड पर स्थित नगर उंटारी (श्री बंशीधर नगर) झारखण्ड राज्य का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहॉ श्री राधा-कृष्ण की 32 मन की अद्वितीय स्वर्ण प्रतिमा विराजमान है। ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लिहाजा यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुगण दर्शन करने आते हैं। यहॉ आने वाले श्रद्धालु श्री बंशीधर नगर को दूसरा मथुरा और वृंदावन मानते हैं। ऐसे नगर उंटारी (श्री बंशीधर नगर) स्टेशन पर उक्त ट्रेन की ठहराव की आवश्यकता है। अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि रॉची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12453/12454 का नगर उटारी (श्री बंशीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Establishment of a Kendriya Vidyalaya in Shahpura, Bhilwara

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना अतिआवश्यक हैं भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा सबसे बड़ा शहर है तथा शाहपुरा विधानसभा अनुसूचित जाति के आरिक्षत है। शाहपुरा रियासत काल से ही शिक्षा का बड़ा केन्द्र रहा है, भीलवाड़ा जिले का जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी वही स्थित है। आजादी के आन्दोलन में शाहपुरा को बारहठ बन्धुओ के बलिदान के कारण से याद किया जाता है। शाहपुरा और आस पास के क्षेत्र में सैनिक एवं पूर्व सैनिक के परिवारो की संख्या भी काफी है। शाहपुरा अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, तथा आर्य समाज का भी मुख्यालय रहा है। इसलिए शाहपुरा क्षेत्र के ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सामरिक महत्व को देखते हुए शाहपुरा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

(इति)

Re: Grant of Geographical Indication Tag to Perambalur small onions

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Small onions a much sought after vegetable all over the country are mainly cultivated in Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. My Perambalur constituency is a major player among small onion growing districts in the state. Perambalur is the Hub for the small onion cultivated on more than 20,000 acres. Particularly Chettikulam is the main onion cultivation Centre in Alathur block which includes 12 other areas. Chettikulam onion shows good quality in yield, appearance and long shelf life during storage. Because of the quality bulbs produced here these are used as a parental material in many onion growing districts of Tamil Nadu. The onion seeds produced here are supplied to various parts of the state and neighboring States. After harvesting the seeds, the stock is preserved under Patti (conventional storage technique) for a few months. It has better tolerance towards pests and diseases and has longer storage life than the common onion. Tamil Nadu State Agriculture Marketing board and Chettikulam small onion farmers Association in Perambalur have jointly applied for geographical indication tag for the small onions largely cultivated in the area. Therefore, I urge upon the Ministry of Commerce and Industry to consider this genuine request to recognize Perambalur small onions with geographical indication tag. (ends)

Re: Need to take measures for the welfare of farmers

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मै सदन के माध्यम से अवगत हूं कि प्रधानमंत्री ने किसानों की कृषि आय दोगुनी करने की घोषणा की थी। पिछले साल शुरू होने के बाद सोयाबीन की कीमतें 11000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं आयात शुल्क कम किया जिसके कारण सोयाबीन की घरेलू कीमत 11,000/- रुपये से गिरकर 4,500/- रुपये प्रति क्विंटल हो गई इससे 5 एकड़ वाले किसान को 2,45000/- रूपये का नुकसान भुगतना पड़ा और इनको पीएम किसान सम्मान द्वारा वार्षिक 6000/- रुपये देकर सम्मान किया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसदी तक बढ़ाने और साथ ही 7 दिसम्बर 2023 को इस पर 31/03/2024 तक निर्यात पर प्रतिबंध है। इससे अभी 70 रु प्रति किलो दर आ रहे थे, तभी इस नीति के कारण अभी 10 रुपये प्रति किलो भाव आ रहा है। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों में इथेनॉल के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार को तुरंत इस प्रतिबंध को हटाने चाहिए, इसके साथ ही केंद्र सरकार की ऐसी नीति के कारण दूध के भाव दिन पर दिन कम होते आ रहे है। दूध का भाव प्रतिलिटर 35 रुपये था वह घटकर 22 रुपये तक आया है। महोदय, किसान के हित में निर्णय लिया जाये। (इति)

Re: Development of infrastructure of Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya in Bhadrak Parliamentary Constituency

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): The educational infrastructure in three schools that is Kendriya Vidyalaya (KV) at Bhadrak, Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) at Bagudi, Soro and another Jawahar Navodaya Vidyalaya at Chandimal, Basudevpur is very poor and in fact in dilapidated condition, therefore, impairing the educational status of young students. It is shocking that teaching and non-teaching staffs are inadequate to impart education at the desirable level. Hence, there is an urgent need to fill up the vacant posts of teaching and non-teaching staff equipping the above three schools with modern educational equipments and technology to ensure the intellectual development of students studying there at par with the national level so that they can compete with others. To fulfil such requirements, these schools need adequate funds for the above stated purpose. Under the said circumstances I request the Hon'ble Union Minister for Education to allocate adequate fund on priority basis for improving the physical infrastructure of above mentioned schools for renovation and construction of buildings, provision of adequate teaching and non-teaching staff, latest equipments and modern tools of education etc.

(ends)

(1210/RAJ/NKL)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक

1210 बजे

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आइटम नम्बर- 23, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your permission, I rise to move:

> "That the Bill to regulate the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration." … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats and do not show these placards.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बहुत ही एक लिमिटेड परपज के लिए इस महान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं।…(व्यवधान) माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 324 के तहत भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके लिए कुछ कानून बनाने की बात की थी।…(व्यवधान) कई साल बीत गए, लेकिन कानून नहीं बना। वर्ष 1991 में एक कानून बना, लेकिन उस कानून में अप्वाइंटमेंट का कोई जिक्र नहीं था।…(व्यवधान) इसलिए फिर कोई पीआईएल में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप गैप अरैंजमेंट किया कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए, तब तक यह व्यवस्था रहेगी।…(व्यवधान) इसलिए पार्लियमेंट के समक्ष कानून अप्वाइंटमेंट को लेकर है।…(व्यवधान) जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं।…(व्यवधान) अप्वाइंटमेंट को लेकर कोई कानून नहीं था।…(व्यवधान) इसलिए मैं यह कानून लेकर महान सदन के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसको राज्य सभा ने पास किया है। यह राज्य सभा में 10

अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें कुछ ऑफिशियल अमेंडमेंट्स थे, जो मैं पहले जिक्र कर देता हूं। इस बिल में एक ऑफिशियल अमेंडमेंट क्लॉज सिक्स से संबंधित था।...(व्यवधान) जिसमें एक सर्च कमेटी थी। पहले सर्च कमेटी एक कैबिनेट सेक्रेट्री की अध्यक्षता में थी।...(व्यवधान) इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से वह सर्च कमेटी अब लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में हो जाएगी और दो सेक्रेट्री उसके सदस्य होंगे।...(व्यवधान) उसके बाद सेलेक्शन कमेटी सेम ही रहेगी, जो प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में है।...(व्यवधान) इस बिल के क्लॉज दस में हमने ऑफिशियल अमेंडमेंट का प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी हो जाएगी। यह एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है। हमने तीसरा अमेंडमेंट किया है - कंडिशन ऑफ सर्विसेज। उसको लेकर क्लॉज पन्द्रह में एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति रूल्स नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे, अधिसूचित करेंगे कि उनकी कंडिशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगी? सैलरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। यह महामहिम राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। क्लॉज पन्द्रह(ए) में एक न्यू क्लॉज इस ऑफिशियल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है।...(व्यवधान) जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वे अपनी ड्यूटी करते समय कोई ऐसा आदेश पारित करेंगे, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन होगा कि सीसी और ईसी अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित करेंगे, तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी।...(व्यवधान) यह प्रोटेक्शन होगा, इस तरह के ऑफिशल अमेंडमेंट्स मैं यहां लेकर आया हूं। यह एक्जेक्यूटिव का एक बड़ा काम था और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 50 में भी सेपेरशन ऑफ पावर, एक्जेक्यूटिव का वर्क एक्जेक्यूटिव करे, ज्यूडिशियरी का वर्क ज्यूडिशियरी करे, लेजिस्लेटिव का वर्क लेजिस्लेटिव करे, इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।...(व्यवधान) प्रोग्रेसिव लॉ है। मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पास करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

1214 hours

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to share a few thoughts on the proposed Bill, that is, the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023. … (*Interruptions*)

We are the biggest democracy in the world and hence, free, fair and impartial elections is an integral element of our political structure. … (*Interruptions*) The Constitution makers, in their wisdom, entrusted Election Commission with the responsibility of conducting elections in the country. Today, we are here to discuss a Bill that will amend the manner of appointment of Chief Election Commissioner and Election Commissioners to the Election Commission. … (*Interruptions*)

(1215/VR/KN)

The Bill seeks to provide that the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners will be appointed by the President on the recommendation of a Selection Committee, which shall consist of the Prime Minister as Chairperson, the Leader of the Opposition in Lok Sabha or leader of the single largest Opposition party as Member, and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister as Member.

The Bill also provides for a Search Committee, which will prepare a panel of five persons for the consideration of the Selection Committee. The smooth functioning of our Election Commission is critical for ensuring a fair and unbiased electoral process and thus, upholding our democratic values.

Thus, this Bill must strengthen public trust in the electoral process and ensure that the integrity of the election system is protected.

With these comments, I conclude my speech and support the Bill on behalf of my YSR Congress Party. Thank you, Sir.

(ends)

1216 बजे

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, भारत के संविधान की खूबसूरती यही है कि उसमें सभी के अधिकारों की व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बिल्कुल अच्छे से पृथकीकरण करता है।... (व्यवधान) वैसे ही न्यायपालिका और विधायिका के बीच में भी यह पृथकीकरण करने के लिए अनुच्छेद 121 तथा 122 परोक्ष रूप से है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें, तो संसद में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा नहीं हो सकती है, और उसी प्रकार संसदीय कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को भी रोकने का काम हमारे संविधान ने किया है।... (व्यवधान) यह इसलिए किया गया है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी रहिये और इसके साथ ही लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वच्छचारिता पर अंकुश लगाकर जनता के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, यही हमारे संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य था।... (व्यवधान) हमारे देश में संसद की सर्वोच्चता को बनाये रखते हुए न्यायिक पुनरीक्षण के जरिये संसद की संप्रभुता को भी मर्यादित किया गया है। लेकिन हम लोग यह भी देखते हैं कि एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने यह जानते हुए कि जो बहुत सारी कमेटियां बनती थीं, उनमें माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। कांग्रेस का व्यवहार, कांग्रेस के घोटाले इस तरह से रहे कि उनको जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के लायक भी कभी नहीं रखा।... (व्यवधान) फिर भी मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कैबिनेट से परिवर्तन किया। विरोधी दल के जो सबसे बड़े नेता होंगे, चाहे वह लोकायुक्त का हो, चाहे वह पुलिस एक्ट में हो, सीबीआई डायरेक्टर हो, सभी में ये डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि कानून में स्पष्ट व्याख्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसका सदस्य होगा। माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विरोधी दल के जो बड़े नेता होंगे, उसके नेता को लेने का काम किया है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, दूसरी तरफ हमारा विपक्ष भी है, जिसको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा आज इस देश का प्रधान मंत्री बनकर गरीबों की सेवा कर रहा है। उनको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं। उनको यह बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे पिछड़े जाट समाज का एक बेटा इस देश में उप राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है।... (व्यवधान) इस तरह से ये जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज इस देश की जनता ने इन लोगों को किसी लायक नहीं छोड़ा है। ये लोग केवल चाहते हैं कि परिवारवाद के तहत हम जो नेता बने हैं और शीर्ष पर अपनी-अपनी पार्टियों में बैठे हुए हैं, हम ही इस लोकतंत्र को चलाएंगे। गरीब,

पिछड़े, आदिवासी, दलित –अगर इन समाजों के लोग इस देश के सिरमौर हैं, तो उनका बाहर मजाक उड़ाएंगे। यह इनकी विकृत मानसिकता है, जिसका सबक जनता इस बार वर्ष 2024 के चुनाव में और बुरी तरह से सिखाने जा रही है।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, अगर मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का दुरुपयोग किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है।... (व्यवधान) कौन नहीं जानता कि इस देश में जब तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने अपने निजी सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। कौन नहीं जानता कि जब टीएन सेशन अपने आप में पूरे देश में जनतंत्र के उदाहरण बनकर मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तो उनके अधिकारों को तोड़ने के लिए दो और चुनाव आयुक्तों को बना दिया गया था। यह भी काम किसने किया, तो यह काम कांग्रेस ने किया है।... (व्यवधान)

(1220/VB/SAN)

कौन नहीं जानता है कि एक सरकारी बाबू को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, जैसे ही वे हटे, तो वैसे ही उनको न केवल राज्य सभा का सांसद बनाया गया, बल्कि केन्द्र सरकार में मंत्री बनाने का काम किसी ने किया, तो यह कांग्रेस पार्टी ने किया है।

इन लोगों ने लगातार, चुनाव आयुक्त को, संविधान निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध इसलिए कोई कमेटी नहीं बनाई ताकि ये अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त को चला सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में, कानूनी शून्यता का उल्लेख किया है। उसको हमारी सरकार ने बहुत ही ध्यान में रखा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कानून मंत्री जी को, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद पहली बार, एक अनुसूचित जाति समाज के बेटे ने कानून मंत्री का पद संभाला है, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए जो विधेयक लाये हैं, यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है।

मुझे यह भी ध्यान में आ रहा है, आज इनके स्वभाव के कारण कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अगर कांग्रेस सत्ता में रहती और उस समय सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी करता, तो हम लोगों ने इसी सदन में यह भी देखा है कि एक 80 साल की बूढ़ी महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजारा भत्ता दो, तो यहाँ संविधान संशोधन कर दिया जाता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया। यह कांग्रेस का चरित्र है, जो कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था को, आज़ादी के साथ नहीं रहने देना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की इन हरकतों को हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में, एक कैबिनेट मंत्री और विरोधी दल के जो सबसे बड़े नेता होंगे, चूंकि इनकी जो हरकतें हैं, उसके कारण कभी ये एलओपी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, को इसमें सदस्य के रूप में रखने की बात की गई है। उसके पहले माननीय कानून मंत्री जी के नेतृत्व में जो सर्च कमेटी बनेगी, वह

भारत सरकार के सचिव या उसके समतुल्य लोगों में से पाँच लोगों के नाम तय होंगे और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि किसको बनाया जाए। यह सर्च कमेटी के द्वारा होगा।

मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को यह इम्युनिटी दी गई है कि इन पर इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी निर्णय पर, कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं होगा। यह इलेक्शन कमिश्नर्स को फ्री और स्वच्छ दिमाग से कार्य करने की भी पूरी आजादी देता है। इसके लिए भी मैं केन्द्र सरकार का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। यह भी निर्णय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सैलरी मिलेगी।

एक और अच्छी बात हुई है कि सब कुछ रहते हुए भी, जहाँ सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार संसद को है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उन पर कार्रवाई करने की अनुशंसा मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकता है। यह बहुत ही अच्छी बात है। हमने यह भी देखा है कि कांग्रेस के राज में किस तरह से बाथरूम में जाकर खबर की जाती थी कि क्या-क्या निर्णय हुए हैं। इस सदन ने उस आदमी को इम्पीच करने के लिए प्रयास किया, तो यह कांग्रेस पार्टी ही है, जिसने उसको इम्पीचमेंट से बचाने का काम किया, उस पर कार्रवाई नहीं होने दी, जबकि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के सारे कार्यों की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब अनूप बर्णवाल केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अध्ययन किया तो यह पाया कि हमारे संविधान निर्माताओं की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सोच थी, वह इतने वर्षों में पूरी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं की हर सोच को पूरा करने का अगर किसी ने काम किया है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। चाहे गरीबों को अधिकार दिलाना हो, गरीबों को मुफ्त अनाज दिलाना हो, गरीबों को बिजली, गैस, आवास आदि की सुविधाएं दिलानी हों, तो इस देश के हर गरीब की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी प्रकार से, इस निर्णय को कि संसद इस पर कानून बनाए, यह 75 सालों से छूटा हुआ था, इस कानून को भी पूरा करने का काम किया है।

मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि कांग्रेस वाले अपनी गलती मानने के बदले ईवीएम को दोष देते हैं। वे इसी धोखे में रहें और क्या गलती हो रही है, इसका वह एहसास नहीं करे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पारदर्शिता के लिए वे यह बिल लाये हैं और यह कानून बनने से सीईसी का काम बहुत अच्छी तरह से होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1225/PC/SNT)

1225 बजे

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, आपका धन्यवाद।

सभापति जी, मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूँ।

सभापति जी, अनुच्छेद 324 (2) में लिखा है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होंगे, जो राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।

अध्यक्ष जी, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, और लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। लेकिन उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरुप माननीय कानून और न्याय मंत्री जी ने यशश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह विधेयक पेश किया है।

सभापति जी, यह विधेयक निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 को निरस्त करेगा। इसमें कहा गया है कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और सदस्य के रूप में लोक सभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधान मंत्री द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

सभापति जी, इस विधेयक में यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा है, कि यदि लोक सभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा।

सभापति जी, इस विधेयक के अनुसार एक खोज समिति बनाई गई है, जो चयन समिति के विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। यह एक सकारात्मक कदम है, जिससे चयन समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के चयन में आसानी होगी और चयन में पारदर्शिता आएगी। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ।

सभापति जी, इस विधेयक के अनुसार सर्च कमेटी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और इसमें दो अन्य सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार के सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे और जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा। इससे अनुभवी

व्यक्तियों का पैनल तैयार करने में आसानी होगी। मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह एक अच्छा प्रावधान इस बिल में किया है।

सभापति जी, इस विधेयक के अनुसार चयन समिति उन अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकती है, जिन्हें खोज समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं किया गया है। इससे खोज समिति का एकाधिकार भी ख़त्म होगा। यह मंत्री जी की अद्भुत सोच को दर्शाता है।

सभापति जी, इस विधयेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सचिव पद के समकक्ष पद धारण कर रहे हैं या कर चुके हैं और चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता रखते हों, का पैनल के लिए चयन किया जायेगा।

विधेयक की एक और सकारात्मक विशेषता पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करना है। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर माननीय कानून और न्याय मंत्री जी ने गहन अध्ययन करके इस विधेयक को तैयार किया है। वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

सभापति जी, विधेयक में वही कार्यकाल बरकरार रखा गया है, जैसा कि वर्ष 1991 के अधिनियम में उल्लिखित है। साथ ही, सीईसी और अन्य ईसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

सभापति जी, विधेयक में व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग के सभी कामकाज सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे और किसी भी मामले पर सीईसी और अन्य ईसी के बीच मतभेद की स्थिति में इसका निर्णय बहुमत के माध्यम से किया जाएगा।

सभापति जी, विधेयक में पहले की निष्कासन प्रक्रिया को बरकरार रखा गया है और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा देना चाहे, तो विधेयक में वर्ष 1991 के अधिनियम का वही प्रावधान बरकरार रखा है, जिसमें सीईसी और अन्य ईसी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार माननीय कानून और न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं और इन्ही शब्दों के साथ इस विधयेक का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

1229 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.

The office of Election Commission of India came into existence in the 1950s but it was in 1991 that the Parliament first framed the law. … (*Interruptions*) Today, when the Law Minister stood up to place the Bill for consideration and passing after it has been passed in Rajya Sabha, he categorically stated that one thing was lacking in 1991 law and that was pointed out by the Supreme Court after a public interest litigation was filed. … (*Interruptions*)

(1230/AK/CS)

The Supreme Court said that the Parliament has to frame the law relating to appointment of Chief Election Commissioner of India. So, on that basis, now a Bill is before us for consideration and number of things have come up. While the Bill is in public domain, the major issue that came up for discussion, deliberation and criticism is that the Government is appropriating full power to appoint Chief Election Commissioner. The Supreme Court had suggested a model and in that model it was the Prime Minister of India, Leader of Opposition in Lok Sabha or the largest group in Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India. But those people who are criticising it fail to go into the details of the judgement of the Supreme Court where it is categorically stated that this is for a temporary period until and unless the Parliament frames a law. … (*Interruptions*)

Today, the Bill has been placed before the Parliament by the Government or the Executive as is the practice in our country. Whatever Bills are to be placed in the Parliament are to be placed by the Government itself for framing the law. … (*Interruptions*) But we should not forget one thing. Article 324 of our Constitution states that the Election Commission will comprise the Chief Election Commissioner and such Election Commissioners as the President may decide and this clearly stipulates that the Executive will suggest to the President and the President’s Notification will come.

The Constitution specifies that the President will appoint the CEC and ECs subject to the provisions of an Act of Parliament. The Executive's role in appointing the CEC and EC was discussed in the Constituent Assembly as the President acts on the aid and advice of the Prime Minister. … (*Interruptions*) Dr. Ambedkar had pointed out that the election machinery should be out of the control of the Government. … (*Interruptions*) Members of the Constituent Assembly agreed to leave the appointment mechanism of the ECI to the discretion of Parliament. … (*Interruptions*) Here, there was a little distinction between Parliament making the law and the Executive appointing the CEC and EC. … (*Interruptions*)

In 1991, as I had stated earlier, Parliament passed the Election Commission Act setting the salary of the CEC and ECs at the same level as the Supreme Court Judge. It did not provide for their appointment process, which continued to be decided by the President. In March, 2023, the Supreme Court declared that their appointment should not be done by the Executive. It mandated a selection process, which would hold until Parliament makes a law. … (*Interruptions*) The court directed that the appointment should be done by the President on the recommendations of the Selection Committee. … (*Interruptions*) The Selection Committee will consist of the Prime Minister, the Leader of Opposition in Lok Sabha and the Chief Justice of India. … (*Interruptions*) Now, this Bill is making a correction to it. … (*Interruptions*) The Bill before us today has a Selection Committee, but instead of Chief Justice of India it has a Cabinet Minister proposed by the Prime Minister. … (*Interruptions*)

It is said that the Selection Committee is dominated by the Government. … (*Interruptions*) The critics say that the Government has a majority, which may undermine the independence of the Election Commission of India. … (*Interruptions*) But are we not aware that the heads of several other independent bodies such as Chief Information Commission, Central Vigilance Commission are also appointed by a panel similar to the one proposed by this Bill. … (*Interruptions*)

(1235/UB/IND)

Appointments to the constitutional bodies such as Union Public Service Commission and Comptroller and Auditor General of India are made by the President. I am inclined to mention here that the Chief Justice of India, being in the Committee to recommend the appointment, raises the question of the violation of the doctrine of separation of power as the appointment falls in the domain of the Executive. Since the Chief Justice of India is going to be a member, as it was proposed at that time while recommending the Committee, in case there is a case of impropriety that comes up against the Election Commission of India members in the court, it would cause embarrassment to the office of Chief Justice of India. The court also had rejected, we should not forget, the National Judicial Appointments Commission and refused to involve an elected executive on the pretext of judicial independence being the basic structure. So, in this case, how can it be prudent to be a part of the Selection Committee?

Amidst all the talk of democratic backsliding in India in certain forums, it is notable that nothing is being said about the lack of fairness or integrity of the election process. The credit for it goes to the Election Commission of India. The Supreme Court, of course, noted that the ECI stands on a higher pedestal in the constitutional scheme due to its functional duties.

In our Constitution, Parliament is the supreme law-making body and the Supreme Court has the power to judicially review the constitutionality of every law. I believe, the Election Commission has to be independent of the Executive. The appointments of CEC and ECs so far have been fair and politically neutral. People expect Election Commission to be fair to all the parties. They must enforce the Code of Conduct with an iron hand, just like it was done by Mr. Seshan, but without his abrasiveness. Most of the CECs who followed Seshan in office did just that. They dispensed justice with firmness but without pomp and show.

Today, our primary focus should not be on the presence or absence of the Chief Justice of India in the Select Committee but on ensuring the structural and operational independence of the Election Commission of

India by giving the power or by retaining the power with the Executive to appoint the Chief Election Commissioner which is akin to giving a player the power to appoint the umpire.

For more than 70 years, the Election Commission has overseen and upheld the integrity of all national elections. It has kept nation's democratic nature untarnished. That is the reason why people world over look up to our election processes and at times they also invite our Election Commissioners to be witness to their elections.

It is clear that article 324 has been crucial in making Election Commission of India carry out its responsibility without outside interference and this brings me to make a comparison about how other parliamentary democracies have appointed their Election Commission.

Goswami Committee had recommended certain things in 1990 and after that, in 1991, a law was framed. But when we compare it to South Africa, United Kingdom, United States, and Canada, we find a marked difference. There, the Election Commission is totally independent from the Executive. Though, at times, they are responsible to the Senate or to Parliament, as here, in our law, impeachment has become a provision where if a CEC has to be removed, he can only be removed as it is done for the judges of the Supreme Court and a correction has already been made as an amendment in the Bill presented in Rajya Sabha. I believe that that is the right direction which the Government has taken by keeping at par the CEC with the judges of the Supreme Court.

(ends)

(1240/RV/SRG)

1240 बजे

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति महोदय, हमारे कानून मंत्री आदरणीय मेघवाल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाए हैं।

महोदय, भारत दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव आयुक्त का निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए। इसी बात को लेकर सरकार यह बिल लायी है।

महोदय, इस बिल का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा और शर्तों के बारे में है। इसमें जो बातें कही गयी हैं, उनमें प्रमुख बात यह है कि इसमें दो कमेटियां बनेंगी। एक सर्च कमेटी और दूसरी चयन कमेटी का गठन किया गया है, जो पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी।

माननीय सभापति महोदय, सर्च कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे और इसके सदस्य सचिव रैंक के होंगे, जिन्हें निर्वाचन का ज्ञान और अनुभव होगा। यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विचार करेगी और उसके लिए पाँच नामों का पैनल बनाएगी। सर्च कमेटी द्वारा पाँच नामों के पैनल को चयन समिति को भेजा जाएगा।

चयन समिति में माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में लोक सभा के विपक्ष के नेता होंगे। वैसे तो अभी लोक सभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं, पर जिस प्रकार से काँग्रेस कृत्य कर रही है, उसके कारण भविष्य में इसकी यह संख्या भी रहने वाली नहीं है। जो भी विपक्षी दल बड़ा दल होगा, उस दल के नेता और एक कैबिनेट मंत्री उसमें रहेंगे। चयन समिति पारदर्शी तरीके से चयन करेगी और उसे राष्ट्रपति जी को भेजेगी। महोदय, जैसा कि इसमें बताया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि छः वर्षों की और 65 वर्ष की उम्र तक रहेगी। यदि चुनाव आयुक्त को हटाना भी पड़े तो जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया दी गयी है।

महोदय, मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया कर रही है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव होंगे। मैं कानून मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मोदी सरकार के नेतृत्व में करीब 1500 अनावश्यक कानूनों को हटाया गया और कल ही माननीय गृह मंत्री जी तीन विधेयक लाए और उससे न्याय और दंड कानूनों में बदलाव किया गया, वह एक क्रांतिकारी कदम है। अगर हम पिछले वर्षों को देखें तो हम देखेंगे कि मोदी सरकार ने पूरे देश में 'वन नेशन वन टैक्स (जीएसटी)', 'वन नेशन वन राशन कार्ड', 'वन नेशन वन हेल्थ कार्ड (आभा)', 'वन नेशन वन कानून', 'वन नेशन वन ग्रिड', ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। अब देश की जनता की यह मांग है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' होना चाहिए। मैं कानून मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह देश की मांग है, इसे जल्दी पूरा करें।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1243 बजे

श्री संजय सेठ (राँची): सभापति महोदय, जोहार।

महोदय, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं चार लाइन्स से इसकी शुरुआत करता हूं –

छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए दौर में लिख रहे हम, मिल कर नयी कहानी,
हम हैं हिन्दुस्तानी, हम हैं हिन्दुस्तानी।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आपने बड़ा सस्वर इसे गाया।

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, गीत चलता है, गीत गाते हैं।… (व्यवधान)

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अभी भारत में सुधारों का दौर चल रहा है। इसलिए कई गलतियों को सुधारने का अवसर हम सबको मिल रहा है। हमें गौरव है कि आज़ादी के इस अमृत काल में हम इन सुधारों के साक्षी बन रहे हैं। अभी कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय कानून व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और करीब 100 साल पुराने ऐसे जटिल कानूनों को ध्वस्त किया। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह एक क्रांतिकारी कदम है। जहां पहले सिर्फ दंड दिया जाता था, वहीं अब दंड नहीं, बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा।

(1245/GG/RCP)

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी। उन पीढ़ियों को हम एक सुलझा हुआ, मज़बूत लोकतंत्र और भारत देंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां साल वर्ष 2047 में मनाएगा, तब हम हों न हों, परंतु हमारी पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी और हमें यह विश्वास है। हमारी पीढ़ियां यह कहेंगी कि देश को एक ऐसा प्रधान सेवक मिला था, जिसने सदियों की गुलामी और गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालने का काम किया था। उनको यह भी जानने का अवसर मिलेगा कि वर्षों तक सरकारों की क्या मजबूरियां थीं कि इन 70 सालों तक लगातार इन मजबूरियों को पिछली सरकारों ने ढोया था। अधिकतर समय कांग्रेस ने देश पर शासन किया, वे क्यों ढोते रहे, यह आने वाली पीढिया पूछेंगी। इन गुलामी की मानसिकता और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम आज हुआ है।

महोदय, मैं इस सदन में बैठ कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम सबको यह अवसर दिया कि मैं विपक्ष के साथियों का आह्वान करता हूँ कि आइए और

आजादी के इस अमृत काल में ऐतिहासिक सुधारों के गवाह बनिए। नए भारत के नवनिर्माण की बुनियाद रखी जा रही है। इस महायज्ञ में आप भी आहूति डालिए। इस यज्ञ में विध्वंसक मत बनिए। आप आहूति डालिए, आप भी पुण्य के भागीदार होंगे।

महोदय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त विधेयक भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार की दिशा में उठाया गया एक मज़बूत और दूरदर्शी कदम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आइए और इस विधेयक का समर्थन कीजिए। यह विधेयक निश्चित रूप से भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में न सिर्फ बदलाव करेगा, बल्कि नए प्रयोग द्वार खोलने का काम भी करेगा। ये जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आपने इतने वर्षों तक बदलाव किया? सबसे अधिक समय तक आपने शासन किया है। आपने बदलाव की जरूरत क्यों नहीं समझी? क्योंकि आप लोकतंत्र नहीं चला रहे थे, आप राजतंत्र चला रहे थे। आप परिवार चला रहे थे। आप परिवारवाद चला रहे थे, क्योंकि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। क्योंकि आपको एक परिवार के भरोसे पूरे देश का संचालन करना था। किंतु अब वे दिन लद गए, अब वे दिन पूरे हो गए। अब तो मोदी की गारंटी वाला देश है। यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी पर आज पूरा देश चल रहा है। इस गारंटी में भारत का लोक भी सुरक्षित है और भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित है। यह मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के हर घटक का सम्मान और मोदी की गारंटी आज है।

सभापति महोदय, सोचने वाली बात है कि आखिर इतने वर्षों तक क्यों कांग्रेस को यह सब याद नहीं आया कि विपक्ष को सम्मान दिया जाए। आज पूरा देश देख रहा है कि किसने लोकतंत्र की हत्या की है। किसने लोकतंत्र को बर्बाद किया है। लोक लाज से लोकतंत्र चलता है। किसने लोक लाज को अलग हटाया है। किसने लोक लाज को सम्मान नहीं दिया। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र को स्थापित करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है।

सभापति महोदय, इस विधेयक में नेता प्रतिपक्ष की भागीदारी होगी। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के हर घटक को सम्मान दिया है। लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है, उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है। परंतु विपक्ष का रवैया सकारात्मक नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे से भटकाव चाहता है। विपक्ष का रवैया लोकतंत्र के लिए घातक है।

सभापित महोदय, देश सकारात्मक राजनीतिक की तरफ बढ़ चुका है। देश अब सकारात्मकता चाहता है। देश अब परिणाम चाहता है। देश अब गारंटी चाहता है। देश अब विकास चाहता है। देश झूठे आश्वासन नहीं चाहता है। देश झूठे भाषण नहीं चाहता है। वे दिन लद गए, जब नेता जी आते थे, बोल कर चले जाते थे और कुछ हो नहीं पाता था। आज 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं कि कैसे मोदी की गारंटी काम कर रही है। देश से जो-जो वायदे प्रधान मंत्री मोदी जी ने किए, उनमें से एक-एक वायदा धरातल पर उतर रहा है। इसीलिए 140 करोड़ देशवासी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।

महोदय, आजादी के इस अमृत काल में यह भारत गारंटी चाहता है। मुझे गर्व है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की हर जनता को गारंटी दी और उस गारंटी पर गारंटी को पूरा करने का काम किया है।

महोदय, इतिहास बदल रहा है। विपक्ष भी खुद का बदले। अब इनके इशारे पर नहीं चल रहा है देश, क्योंकि जनता पहचान गई है इनका भेष। अब तक इतिहास रहा है कि केंद्र सरकार के मुखिया ही चुनाव आयुक्त का चयन करते थे।

(1250/MY/PS)

यही वजह है कि आज इनको सुधारों से बेचैनी हो रही है। आज मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनने वाली चयन समिति में प्रतिपक्ष के नेता को स्थान दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के इशारों पर चलाने वाले का इशारा अब नहीं चल रहा है। यही इनकी बेचैनी है। इनका परिवार पूरा देश चलाता था। इनके इशारे पर देश चलता था, लेकिन अब इनका इशारा नहीं चल रहा है।

महोदय, आप देखिए कि यह पूरा विपक्ष खाली है। वर्ष 2024 में पूरा विपक्ष यहां से गायब हो जाएगा। इसके लिए देश की जनता वर्ष 2024 में तैयार बैठी हैं। उन्हें बेचैनी इस बात की बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार देश के लिए कुछ कर रही है, बल्कि बेचैनी इस बात की है कि मोदी सरकार को ये सब करते, ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। देश की जनता ने अपने प्रधान सेवक को चुना है। अब इस देश की जनता को अपने प्रधान सेवक पर 100 प्रतिशत विश्वास है।

महोदय, इस विधेयक पर विपक्ष की आपत्ति के पीछे यही कहानी है। इनका मन जैसा है, वे हमारे बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है। यदि हम वर्ष 1996 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रकरण को याद करें तो यह समझ आएगी कि ये लोग क्या करते थे। आज जब यह विधेयक लोक सभा में लाया जा रहा है, इसकी चर्चा के पूर्व इन्होंने जो हंगामा किया, इसके पीछे इनकी यही मानसिकता है कि देश के लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ (राँची): महोदय, हमारे देश के 140 करोड़ देशवासी मोदी जी की गारंटी चाहते हैं। यह मोदी जी की गारंटी है। जो आज से पहले नहीं हुआ है, वैसा कुछ हम करने वाले हैं। यहाँ जो भी होगा, वह लोकतांत्रिक तरीके से होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। यह मोदी सरकार की गारंटी है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, यह कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है।

(इति)

1252 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Mr. Chairperson, for giving me this opportunity.

At the outset, let me make it very clear that I stand to oppose this arbitrary and biased Bill which the Government is bringing in to ensure that the independence of Election Commission is finished forever. The reason I oppose this Bill is because if the voters start feeling that the ECI is not an impartial and non-partisan body, the legitimacy of our democracy comes into question.

Hon. Chairperson, Sir, this Bill overturns the hon. Supreme Court Constitutional Bench's judgment on appointment of CEC and ECs. I agree that the Parliament has been given this power under Article 324. But I submit that the parliamentary power is not a power to defeat the purpose of Article 324 but rather to further its purpose. Its purpose is to ensure an independent and impartial body. But this Bill is being brought in to create an Election Commission which will work in the shadow of the Prime Minister Shri Modi. The Search Committee and Selection Committee, a total of six people, are involved in two stages. Out of these six people, there is only one independent person, that is, the LoP. Every other person either is a part of the Ruling Party or are officers who are serving in the Government. Obviously, anyone they recommend will be a person who is acceptable to the Government. And anyone with an independent mind will not be accepted. The allegation of bias will be difficult to defeat. What is the problem the Prime Minister Mr. Modi has in having the Chief Justice of India as part of the Committee? The Government has given no reason to exclude the voice of Legislature and Judiciary from the appointment. The appointment process is now in full control of the Executive, that is, the Prime Minister. Having CJI in the Committee will add legitimacy to the ECI in the eyes of the public. By bringing in such a legislation, you are ensuring that the legitimacy which the ECI enjoys now, will decrease in the eyes of the common people.

Hon. Chairperson, Sir, what is worse under Clause 8(2)? The Selection Committee can recommend the name of any persons even if they are not part of the list of names provided by the Search Committee. So, what will the Law

Minister do? And under Clause 7(2), an appointment will be valid even if the Selection Committee is not validly formed or even if the Committee has vacancy. The Government is openly saying that once they have chosen a man or woman, then it cannot be challenged even if it is improperly done. So, without an LoP, you can take anyone.

Clause 5 says that a CEC or an EC can only be someone who has served as Secretary to the Government of India. Why is there only the Secretary? Why can you not expand the eligibility criteria to include anyone with knowledge and experience of how elections are conducted? Why should it not include scholars, civil society, and other persons? We can place a condition that those members must not be elected who are appointed officers or hold Government positions at the Executive, or Legislative, or Judicial branch at the time of appointment. We can add a condition that any past political affiliation can disqualify them. But to limit the appointment to the people who are Secretaries to the Government of India, the Government is basically saying that as long as you are faithful to us, we will ensure that you will get a rightful post under the Executive.

(1255/SMN/CP)

Their proximity to the existing Government is being considered as the qualification, when it should be considered otherwise. So, proximity, faithfulness and capitulation are very important for anyone to get these posts.

I now come to Clause 6. It provides that a search committee must be constituted under the Chairmanship of Law Minister. Who will appoint the two other persons? Will it be the Law Minister? Why create this facade? Say openly that the Prime Minister will appoint and get done with it. The law is unclear on to who will appoint this Committee, who will appoint the other two persons. More than this, it is obviously a political process with no independent or impartial voice to suggest names other than those that are acceptable to the hon. Prime Minister.

May I suggest that the Standing Committee for Law and Justice should participate in the process? If you do not want the Committee to prepare the list, let them at least collate recommendations or nominations of eligible people. Let the Committee at least interview the people who the search

committee recommends. Let there be a democratic process so that the appointees are filtered. And what is the procedure to be adopted by the search committee? Will it be by majority or consensus? Will the dissenting party have a right to make the dissent public? Will the minutes of meeting be made public? Will they be laid before this august House? Will both the Committees provide reasons for recommendations? All of these requirements must be part of the legislation. There should be complete transparency on who is appointed and who is not.

Now look at Clause 16. It provides a blanket immunity to EC and CEC from any proceedings or any act done in the course of the duty. For example, if they have done a patently illegal thing, should not the higher judiciary have a chance to assess their merits and hold them accountable? Why is it that you are doing this? Who are they? No one is a holy cow in Indian democracy. Even if the Prime Minister does anything wrong, he is subject to correction by judiciary.

In Anoop Baranwal case, in paragraph 9, the Constitution Bench of the Supreme Court had said:

> "The Executive alone being involved in the appointment, ensures that the Commission becomes and remains a partisan body and a branch of the Executive. The independence of the Commission is intimately interlinked with the process of appointment."

The Constitution Bench in paragraph 165 said:

> "The Election Commissioners including the Chief Election Commissioner blessed with nearly infinite powers and who are to abide by the fundamental rights must be chosen not by the Executive exclusively and particularly without any objective yardstick."

You are completely going against what the Supreme Court has said. Read paragraph 'A' of the Constitution Bench judgement,

> "Like the Judiciary, the Election Commission must display fearless independence. In the absence of norms regarding the appointment, a central norm, viz., institutional integrity is

adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias."

Sir, Dinesh Goswami Committee on electoral reforms in 1990 said the same thing. They said that for CEC, the Chief Justice and the Leader of Opposition should be there; and for Election Commissioner, the Chief Justice and Leader of Opposition in Lok Sabha should be there. National Commission to Review Working of the Constitution, Report 2002 said, the Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha and the Deputy Chairman of Rajya Sabha should decide as to who should be made CEC and ECs.

Report 255 of Law Commission headed by Justice A.P. Shah said that the appointment of all ECs including CEC should be made by the President with a three-member collegium or a selection committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition in Lok Sabha and the Chief Justice of India.

What did Baba Saheb Ambedkar say? I mean you do not have regard for Baba Saheb Ambedkar. The Prime Minister and all of you say, Baba Saheb Ambedkar, this and that. But what did Baba Saheb say? Baba Saheb Ambedkar said this on 15th June, 1949. I am reading only a few lines of what great Ambedkar had said who I feel was the tallest leader India has ever produced. ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Do not record these things. … (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): What Baba Saheb Ambedkar said was that at every stage in the making of the Constituent Assembly, a Committee was to be appointed to deal with what are called Fundamental Rights.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): इसको डिलीट कीजिएगा। दोनों की तुलना को डिलीट कीजिएगा।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): The Committee made a report that it should be recognised that independence of election and avoidance of any interference by the Executive in the election to the legislature should be

regarded as a fundamental right and provided for in the chapter dealing with fundamental rights.

When the matter came up before the House, it was the wish of the House that while there was no objection to regard this matter as of fundamental importance, it should be provided for in some other part of the Constitution and not in the chapter dealing with fundamental rights.

(1300/SM/NK)

Baba Saheb goes on and says that but the House affirms without any kind of dissent, that in the interest of purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of the utmost importance that they should be free from any kind of interference from the executive of the day. You are going against what our Constituent Assembly and Dr. Baba Saheb Ambedkar said … (*Interruptions*) I am concluding. Section 10 of the Bill provides that the salaries of EC and CEC shall be equivalent to the Cabinet Secretary. Why are you degrading it? Earlier, the salaries were equivalent to the Supreme Court judges. Why is the Government doing it? It is being done to control them … (*Interruptions*) Sir, I am concluding. It is a very important point. The salaries and benefits available to the judges of the Supreme Court can only be altered by the Parliament. Whereas the benefits and other things of the Cabinet Secretary can be decided by the Executive upon the recommendations of Central Pay Commission. Sir, it is very important to know that the Election Commission funds are not drawn from the Consolidated Fund of India. Can the Government change it? That is why I feel that this Bill creates a trust-deficit in the eyes of people for CEC and ECs. This will be wrong for our democracy. If an impartial and non-partisan body is not there, then the legitimacy of our democracy comes into question. That is why I stand to oppose this Bill. I do not know whether the hon. Minister has the authority to accept these suggestions. Thank you. (ends)

1302 बजे

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने की अनुमति दी है। मैं आपका इसलिए भी आभारी हूं क्योंकि लोकतंत्र के नये मंदिर में मुझे पहली बार बोलने का मौका आपने दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे रिफार्म्स किए हैं, हमारे विद्वान मंत्री जी इलेक्शन कमीशन के अप्वाइंटमेंट का बिल लाए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड अदर इलेक्शन कमीशनर अप्वाइंटमेंट condition of the service and the term of the office बिल लाए हैं। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इस बिल को राज्य सभा से पारित करके यहां भेजा गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशनर की अप्वाइंटमेंट की जिम्मेवारी देश की संसद को दी, इसी वजह से इस बिल को यहां लाया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी अक्सर कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी यह पहले से कहते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि चुनाव कमीशन निष्पक्ष बनना चाहिए, इसी आधार पर यहां सदन में विधेयक का खंड 7 में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले संघ के किसी कैबिनेट मंत्री से मिलकर चयन समिति का इस बिल में उपबंध किया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, नरेन्द्र भाई मोदी जी चुनाव रिफार्म्स के लिए दिसम्बर 2021 में एक बिल लाए थे और सदन ने उस बिल को पारित भी किया था। बिल द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट्स बिल, 2021 का बिल है। इसमें कई सारे इलेक्शन्स के लिए रिफार्म्स किए गए थे। मैं आपके माध्यम से सदन को स्मरण कराना चाहता हूं, विपक्ष में खासकर कांग्रेस के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया था। पूरा विपक्ष वैल में आया हुआ था और उसी दरम्यान बिल को पारित किया गया था।

(1305/SK/RP)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में उस बिल का महत्व बताना चाहता हूं। इसमें बहुत से इलैक्शन रिफॉर्म्स लाए गए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म यह था कि कई लोग एक से ज्यादा जगहों से चुनाव के मतदाता के लिए नामांकित होते हैं और इसमें बहुत स्पष्ट था कि वे लोग यहां से भी चुनाव में मतदान करते हैं और दूसरी जगह से भी मतदान करते हैं और इस तरह से बोनस मतदान होता है। बोनस मतदान को रोकने और चुनाव को पारदर्शी करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार चुनाव बिल लेकर आई थी। इसमें आधार कार्ड के साथ मतदान कार्ड को जोड़ा गया था। ये इन लोगों का दोगलापन है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि वह लोकतांत्रिक बिल नरेन्द्र भाई मोदी जी लाए थे और इसे सदन ने पारित किया था। उस वक्त इन लोगों जो किया था, वह दोगलापन है। महोदय, इस बिल में जो प्रावधान है, उसकी वजह से इलैक्शन तंत्र बहुत मजबूत होगा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक बिल है, लोकतंत्र के लिए घातक है, मैं इनको आपात काल की याद दिलाना चाहता हूं। आपात काल में सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। अब मोदी जी की सरकार है। हां, कई लोग जेल में बंद हैं, लेकिन जिनके यहां नोटों का, पैसों का गड्डा मिला है, जिनके यहां 300-400 करोड़ रुपये मिले हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, ऐसे लोग सलाखों के पीछे हैं। माननीय मंत्री जी इस सदन में बिल लेकर आए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(इति)

1307 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important piece of legislation which primarily deals with various aspects, such as appointment, tenure, salary, and other conditions of service of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners. Sir, I support this Bill.

Sir, there were many issues when the Bill was introduced in the Rajya Sabha on 10th August, 2023. But, while considering the Bill in the Rajya Sabha on 12th December, the hon. Minister has moved official amendments and addressed almost all issues. I am thankful to him for that. But, there are still a few issues left that I wish to flag for strengthening the institution of the Election Commission of India.

I welcome that the Search Committee which was originally proposed to be headed by a bureaucrat that is now, after official amendment, headed by the hon. Law Minister with two other members. I understand that the Selection Committee, after this amendment, will select ECs from among five persons identified by the Search Committee and no other person will be directly selected by the Selection Committee. It is welcome.

Sir, I also welcome the insertion of new Clause 15A which gives protection to the CEC and the ECs from criminal or civil proceedings for any act done or anything spoken while discharging their duties during their tenure. This will help them to work fearlessly, freely, and fairly.

The third issue I wish to submit is that the Election Commission is a quasi-judicial body and, as per Article 324, for the removal of Chief Election Commissioner, the same procedure has to be followed which is prescribed for the removal of a Supreme Court Judge. So, my point is that when the Election Commission is a quasi-judicial body and its removal is on the lines of a Supreme Court Judge – the salary is the same – I feel, as hon. Member Shri Mahtab ji also suggested, it would strengthen the institution of the Election Commission if we could also consider appointing a Supreme Court Judge as an Election Commissioner. Hon. Minster may consider this.

Sir, the core function of the Election Commission is the preparation of electoral rolls and conducting elections in a free and fair manner. But, if you look at my State of Andhra Pradesh, the ground reality is the other way around. The

DEOs and EROs are not following the directives of the ECI in preparing error-free electoral rolls due to various pulls and pressures.

(1310/KDS/NKL)

A delegation from Telugu Desam Party met the full ECI, and a letter was also written by the former CM, Shri Nara Chandrababu Naidu garu in August and also last month about the subjugation of democratic rights of people of AP through electoral malpractices and removing the names of TDP supporters and sympathizers from the electoral list. Hence, I appeal to the Hon. Minister to immediately deploy non-local electoral roll observers in AP from the Government of India to stop electoral malpractices in AP forthwith. The unfortunate part is that the field machinery deployed, instead of correcting mistakes in the electoral rolls which is the crux of the issue, took a casual approach by transferring the responsibility to lower officers and not following strict and meticulous instructions which were given by the ECI.

Sir, due to this, there are more than 10 lakh cases that have remained unprocessed as on the date of publication of draft electoral rolls. And, after the publication of draft rolls, 13.5 lakh applications have been filed as of 13^{th} December, 2023, for correction. Thus, a total of 23.77 lakh applications have to be enquired about by the Election Commission in Andhra Pradesh before publishing the final rolls.

Sir, the elections are approaching fast and time is running out. Hence, I appeal to the Hon. Law Minister for immediate deployment of external observers from the Government of India in order to closely monitor the electoral roll work in AP, remove deceased voters from the voter list of AP, include names of people whose names have been removed, rectify demographically and photographically similar entries, and finally, stop the deletion of names of TDP sympathizers and supporters.

With these submissions, I hope that the Hon. Minister will take serious note of what is happening in Andhra Pradesh about revision of electoral rolls and take sincere and suitable steps to make error-free electoral rolls in AP. Thank you very much, Sir. … (*Interruptions*)

(ends)

1312 बजे

सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : माननीय सभापति जी, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति सेवा-शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 के समर्थन में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, देश लंबे समय तक निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रियाओं पर लगातार बहस करता रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रणाली कैसी हो, लोगों के मन के अंदर जो भाव हैं, वे जन-सामान्य के माध्यम से सदन तक भी आते रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मादी जी ने एक देश में एक चुनाव को देश-दुनिया के सामने रखा था। पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हुई है। निर्वाचन नामावलियों को लेकर भी देश भर में कई बार प्रक्रियाबद्ध बातें होती रहती हैं कि एक बार एक निर्वाचन नामावली के आधार पर ही देश में समस्त चुनाव कराए जाएं। प्रक्रियाओं के सुधार में मुख्य भूमिका निश्चित रूप से निर्वाचन आयुक्त की होती है। आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि एक विधेयक के माध्यम से हम निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रणाली, उनकी सेवा-शर्तें और पदावधि के लिए विधेयक लेकर आए हैं। विधेयक में खंडवार विचार किया गया है और मैं निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर और समर्थन के लिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। खंड 2 में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या, जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेंगे, एक अच्छा प्रबंधन है।

महोदय, निर्वाचन आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक के पद धारण करेंगे। निश्चित रूप से इस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा उपबंध है। निर्वाचन प्रबंधन में ऐसे व्यक्तियों का चयन होगा, जिनमें सत्यनिष्ठा हो, निर्वाचनों के प्रबंधन और उनके संचालन के ज्ञान का अनुभव हो।

महोदय, मन में बड़ी प्रसन्नता है कि खोजबीन समिति पहले से बनाई गई एक मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सचिव रैंक के दो सदस्य सम्मिलित होंगे। यह खोजबीन समिति 5 सदस्यों का निर्वाचन करके चयन समिति के समक्ष अपने विचार को रखेगी।

महोदय, इसमें यह भी प्रावधान है कि नियुक्ति समिति, जो राष्ट्रपति को चयन समिति की सिफारिश करेगी, उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री जी करेंगे। प्रधान मंत्री जी जिस समिति की अध्यक्षता करेंगे, वह पूरी तरह से पारदर्शी है, क्योंकि उसमें विपक्ष के नेता को सदस्य के रूप में लिया गया है।

(1315/MK/VR)

प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए एक कैबिनेट सचिव को भी इसमें लिया गया है।

महोदय, एक संदेह जो हमेशा विपक्षी दल बार-बार देश के सामने खड़ा करते हैं, यहां बहुत स्पष्ट है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता इसमें सदस्य होंगे। इसमें बहुत स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में अगर किसी को मान्यता नहीं है तो लोक सभा में

सरकार के विपक्ष के एकल सबसे बड़े दल का नेता विपक्ष का नेता समझा जाएगा। यहां देश की जनता के सामने एक अच्छा अवसर है। आज विपक्षी सदस्यों का जो देश में हाल है, उनमें से चयन करके किसी विपक्षी दल के सदस्य को इस समिति में नामित करने के लिए जनता स्वयं चुन सकती है। ऐसे सदस्य जो मिमिक्री करते हैं, अपने वरिष्ठों का अपमान करते हैं, ऐसे सदस्य जो प्रश्न विदेशों से पूछते हैं, ऐसे सदस्य जो टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य होकर विपक्ष में बैठने की कोशिश करते हैं, ऐसे सदस्य जो जातिवाद में देश को उलझाते हैं, ऐसे सदस्य जो चीनी दूतावासों में जाकर अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं, आज जनता के सामने विरोध में किसे भेजना है, विपक्ष में किसे भेजना है, उसके लिए चांस है। जनता लोक सभा में विपक्ष का नेता उसे बनाए जो सनातन विरोधी न हो, जो राष्ट्रवादी हो। यह अवसर आज जनता के सामने है।

महोदय, मन में प्रसन्नता है कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है। प्रसन्नता इस बात पर भी है कि इस समिति में छ: वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो आएगा, तब तक वे पदभार ग्रहण किए रहेंगे। अध्याय-तीन में स्पष्ट है कि आयुक्तों के वेतन-भत्ते, सेवा शर्तों और मंत्रिमंडलीय सचिव के वेतन-भत्ते और सेवा-शर्तों पर इस विधेयक में विचार किया गया है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति सेवा देता है, उसके पेंशन और उसके सारांशित पेंशन के मूल्य को प्राप्त करने का प्रावधान इसमें है। अर्जित अवकाश में 50 प्रतिशत नकदीकरण का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है।

महोदय, अगर कोई आयुक्त अपने पद को छोड़ना चाहता है तो उसको अधिकार है कि वह अपना स्वहस्ताक्षरित त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर, पद को त्याग करके सेवामुक्त हो सकता है। इसमें समस्त प्रावधान हैं। छुट्टियों से लेकर भत्तों तक प्रावधान है। इसलिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो निर्वाचन आयुक्त इस प्रणाली से चयनित होकर आएंगे, उसमें निश्चित रूप से खोजबीन समिति होगी, चयन समिति होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। इन सब को लेकर देश एक नये दौर में खड़ा है।

मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और इस अवसर पर जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मौका है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जिस विपक्षी दल के सदस्य को आप निर्वाचित कर रहे हैं, आज देश में जो माहौल खराब किया गया है, वे गरीबी से भी मुक्ति नहीं दिला पाए, ऐसे सदस्यों को दूर रखेंगे। यह सदस्यता जिसको मिलेगी विपक्षी दल के नेता के नाते वह भी देश को आगे ले जाने के लिए देश के साथ दो कदम आगे बढ़ा सकेगा।

मैं इस विधेयक का पुन: पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1318 बजे

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर): धन्यवाद सभापति महोदय।

सभापति महोदय, माननीय विधि और न्याय मंत्री जी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 बिल लाये हैं, मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कोई नया कानून नहीं है। पूर्व से जिस नियम और व्यवस्था के आधार पर यह संचालित हो रहा था और जो चयनित हो रहे थे, उसी को कानूनी जामा पहनाने के लिए हम यहां आए हैं। यह काम महामानव उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। उन्हीं के निर्देश पर यह विधेयक भी आया है।

महोदय, जिसको हम दुनिया के लोकतंत्र की जननी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम चुनाव है। उसको संचालित करने वाले और इस प्रकार से गरिमामय पदों पर बैठने वाले जो महानुभाव होंगे, उनका काम, उनकी जिम्मेदारी, उनका अधिकार, ये सभी चीजें साफ-साफ व्यक्त होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इस प्रकार के पदों का पहले भी कई बार दुरुपयोग हुआ है। विशेषकर, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने जमाने में इन पदों का दुरुपयोग जहां तक संभव हो, किया है। इतना ही नहीं, इस पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का, इस पद की गरिमाओं को भी बहुत आहत किया है। आगे इस प्रकार से न हो, उसके लिए साफ-साफ इसके बारे में घोषणा होनी चाहिए।

(1320/SJN/SAN)

जिन पदों के द्वारा इस देश के महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, राज्य परिषद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य चयनित होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था साफ-सुथरी होनी चाहिए और कंट्रोवर्सी से परे होनी चाहिए। इसीलिए आज यहां पर यह विधेयक लाया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और बाकी सदस्यों से भी इस बिल का समर्थन करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, यह जो हमारा लोकतंत्र है और इसका जो चुनाव है, यह परिष्कृत भी होना चाहिए और इसको संचालित करने वाले लोग भी इस वितर्क से ऊपर होने चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे यहां लगभग 70-80 करोड़ लोग चुनाव में भाग लेते हैं। यह निश्चित समय पर, निश्चित रूप से पूरा भी होता है, उसका परिणाम भी आता है और फिर नई सरकार बनती है। हम जानते है कि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। जब वहां चुनाव होता है और आठ दिनों तक चुनाव का नतीजा आता रहता है, उसके बाद भी वह साफ नहीं होता है। एक व्यक्ति को मान लेते हैं कि वह ठीक है, वह जीत गए, इसलिए उनको घोषित किया जाता है। वहां इतनी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे देश के जो पूर्वज और महानुभाव थे, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता है। उसके मत का भी उतना ही अधिकार है, जितना भारत के राष्ट्रपति के मत का अधिकार है। एक निश्चित समय पर सुचारू रूप से संचालित होकर और परिष्कृत रूप से इसका समाधान होता है।

आज जो बिल लाया गया है, यह इस प्रकिया को पूरा करने, निर्विवाद और परिष्कृत करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि इसके आगे भी जो चुनाव होंगे, उसमें इस प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जैसा कि गरिमामयी पदों को अपमानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद को भी नहीं छोड़ा गया है। इस वितर्क के ऊपर उनके इम्पीचमेंट की भी व्यवस्था की गई है। कहीं गलत काम करने के बाद किसी का इम्पीचमेंट हो, तो उसको बचाने का भी प्रयास किया गया है। इसीलिए इस प्रकार का पद हमेशा कंट्रोवर्सी में आ जाता है। इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा, तो आगे ऐसी संभावनाएं नहीं आएंगी।

मुझे लगता है कि आज देश में जो सरकार है, वह सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इस सरकार ने बहुत सारे युगांतकारी और ऐतिहासिक काम किए हैं। बहुत से अनावश्यक कानूनों को हटाया भी है। आज ऐसे बहुत सारे दिशानुकूल तथा युगानुकूल कानून भी आए हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी, विल पावर की जरूरत थी और समाज को साथ लाने की जरूरत थी। आज ये दोनों बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे तीन तलाक कानून हटाने की बात हो, इत्यादि। कल हमने तीन कानून पारित किए हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य बिल थे, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। ये सिर्फ कानून नहीं हैं, बल्कि भारत को भारत के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में ये सारे कदम उठाए गए हैं।

मुझे लगता है कि आज इसकी भी जरूरत थी। सन् 1991 से यह काम चल रहा है। हमारे देश में सूझ-बूझ की व्यवस्था है। जैसा कि परिवार में होता है, लोग उसको मान लेते हैं, वह चलता है, लेकिन कानून कानून होता है। राजनीति में बहुत सारे विषयों पर अनावश्यक वितर्क भी होता है। इससे बचने के लिए इस प्रकार के कानून की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है। इसीलिए इतिहास में यह लिखा जाएगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों से यह काम हुआ है और माननीय कानून मंत्री जी इस बिल को लाए हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

आज सदन लगभग खाली है। आज तक जिन्होंने इस प्रकार का काम करने से रोका है, जिन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर हमारे लोकतंत्र और हमारी व्यवस्था को कलंकित किया है, वे आज नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे इस बिल का समर्थन नहीं करते, क्योंकि कोई अच्छा काम हो, भविष्य में हमारे देश का सिर ऊंचा हो, समाज के लोग अपने अधिकारों के बारे सीधे-सीधे बोल सकें, कानून और देश के सामने अपनी बात रख सकें, वे ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं हैं।

हमारे देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, समाज को उसको पूरा-पूरा अधिकार देने और समाज में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उसका अधिकार देने के लिए वे हमेशा तत्पर रहे हैं। इसीलिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' के स्लोगन के साथ हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारा यह भी एक पदच्छेद है। मुझे लगता है कि इससे आगे चलकर हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और उज्ज्वल होगा। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर इस बिल का समर्थन करें और यह बिल ठीक से पास हो जाए। (इति)

(1325/SPS/SNT)

1325 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आज सचमुच एक प्रावधान चुनाव आयोग के सदस्यों के बारे में सरकार लेकर आ रही है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन और इतनी बड़ी सोच है कि एक संवैधानिक संस्था, जिसकी हम सब कद्र करते हैं, सदन में आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस प्रक्रिया से चलकर आप यहां आते हैं, उसी प्रक्रिया से चुनाव जीतकर हम यहां आते हैं और देश की सरकार बनती है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधान मंत्री ने फिर से एक ऐसी संस्था को, जिस पर समय-समय पर प्रतिपक्ष आरोप लगाता है और कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यह उस संवैधानिक पद को गरिमा देने और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के साथ इक्वेट करने तथा उनके अपॉइंटमेंट, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज़ और ट्रांजेक्शंस के बारे में है।

महोदय, मैं इस विषय पर इसलिए आया हूं कि हम सब चुनाव लड़ते हैं। मुझे ख्याल आता है कि जब एक तरफ चुनाव की घोषणा हो जाती है, जैसे अगले वर्ष 2024 के चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया पिछले 6 महीने से प्रारम्भ हो चुकी है और हम लोग वोटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं। जब वोटर्स का पब्लिकेशन आ जाता है और वोटर लिस्ट आ जाती है। एक ऐसा व्यक्ति, एक रिटर्निंग ऑफिसर राज्य में बैठकर अंतिम गरीब के लिए तय करता है कि उसके बूथ की दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत देश, जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, इसके जैसी बड़ी व्यवस्था दुनिया में किसी चुनाव आयोग की नहीं है, जो भारत के चुनाव आयोग की है। उसी प्रक्रिया से नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हम लोग अपना ऑब्जेक्शन देते हैं और जिला स्तर पर बैठक होती है। हाल-फिलहाल जिला स्तर पर बूथ समिति की बैठक हो रही थी और कलेक्टर, जो हमें रोज रिपोर्ट करता है, वह उस दिन ऊपर कुर्सी पर बैठता है तथा मैं सांसद के रूप में नीचे बैठता हूं, क्योंकि मैं सदस्य हूं। मैं अपनी टिप्पणी देता हूं, वह उस पर चर्चा करता है। ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था का ऐसा स्वरूप शायद दुनिया में कहीं नहीं हैं।

महोदय, पहले चुनाव की घोषणा होती थी और अनाउंसमेंट होता था, लेकिन आज चुनाव आयोग जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके बाद से पूरे भारत के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति के निर्णय और उस चुनाव आयोग के अधीन आ जाते हैं। यह हर राजनेता, हर सरकारी कर्मचारी के लिए भारत में एक ऐसी संस्था होती है, जो पूरे भारत के कर्मचारियों, भारत इलेक्टोरेट, भारत के मेनडेट को पूरा नियंत्रण कर लेती है। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में हम लोगों ने कायम की है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। यह संस्था बैठने के लिए तो छोटी होती है, जिसमें दिल्ली में चुनाव आयोग और राज्य के चुनाव आयोग होते हैं। जब लोक सभा का चुनाव होता है तो वह उनसे जुड़कर होता है। इनको यह प्रदत्त ताकत पार्लियामेंट देती है। हम अपना अधिकार उस कुर्सी को देते हैं, उस चुनाव आयोग को देते हैं, जो चुनाव आयोग पूरे भारतवर्ष में संचालन करता है।

महोदय, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज हमारे माननीय सदस्य गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब बैठे हुए हैं और मेघवाल साहब बैठे हैं। ये सब भारत सरकार के मंत्री हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं तथा यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दिन ये चुनाव का दाखिला करेंगे तो कलेक्टर या रिटर्निंग ऑफिसर ऊपर बैठेगा और हम उसके सामने खड़े होकर शपथ लेंगे। साहब, लोकतंत्र की यह ताकत है। यह हो सकता है कि चुनाव के बाद कलेक्टर हमारे चैम्बर में मिलने आए, लेकिन उस दिन उसकी ताकत पूरी हो जाती है। हमारी आस्था होती है कि यह चुनाव कराएगा और संपन्न कराएगा। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चुनाव आयोग के माध्यम से ऐसा इतिहास कायम किया है, जो शायद पूरे भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में एक सवाल आता है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, जहां बिना काउंटरमांड हुए 1200 बूथों पर पूर्ण चुनाव हुआ। कई बार लोग सोचते हैं कि यह कैसा सवाल है, लेकिन भारत का एक ही संसदीय क्षेत्र है, जो आज तक काउंटरमांड नहीं हुआ। काउंटरमांड के बिना वर्ष 2004 के चुनाव थे, उस समय लालू प्रसाद जी थे और मैं चुनाव लड़ रहा था। उस समय चुनाव काउंटरमांड नहीं हुआ और 1243 बूथों पर फिर से रीपोल हुआ। दुनिया के इतिहास और भारत के इतिहास में ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा इसलिए कि 700 बूथों पर पोलिंग परसेंटेज 99.9 था और उसी चुनाव में घोषणा हुई कि ये सब गलत है। हम लोग वहां तक भी गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था अपने आप में अचूक है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और उसको संविधान का दर्जा है। ज्यूडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जिक्यूटिव के साथ चौथा स्तम्भ प्रेस है और हमारा पांचवा मुख्य स्तम्भ चुनाव आयोग है। दिल्ली में एक छोटा सा कार्यालय है। उस छोटे से कार्यालय को पूरे भारत में संविधान के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से हम वह अधिकार प्रदत्त करते हैं कि अगले तीन महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है, पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और पूरे भारत की चुनावी व्यवस्था एक संस्था में केन्द्रित होती है। शायद ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी।

(1330/MM/AK)

मैं बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया कि जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वे ऐसी भूमिका निभाते हैं, वही चुनाव आयोग का व्यक्ति आज मेरा कलेक्टर है, वह कल रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। चुनाव आयोग के प्रति सरकार का और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का यह निर्णय अचूक है। उस संस्था को हम मजबूत करें, हमारी ताकत बढ़े और देश में लोकतंत्र प्रणाली, जो हम लोगों ने स्थापित की है, वह बढ़ती रहे, दुनियाभर में चर्चा हो, मैं सरकार को इस निर्णय के लिए और मेघवाल साहब को इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1331 बजे

श्री अर्जुन राम मेघवाल : धन्यवाद सभापति महोदय। The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 पर आज जो चर्चा प्रारम्भ हुई, उसमें लगभग 12 लोगों ने भाग लिया। वाईएसआरसीपी की चिंता अनुराधा जी से यह चर्चा शुरू हुई। संजय जयसवाल जी भी बोले, राहुल शेवाले जी भी बोले, भर्तृहरि महताब साहब ने भी कुछ सुझाव दिए, शंकर लालवानी जी भी बोले, संजय सेठ जी भी बोले और उन्होंने कविता भी पढ़ी। असादुद्दीन ओवैसी जी ने भी कुछ सुझाव दिए। डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी भी बोले, जयदेव गल्ला जी भी बोले, सुधीर गुप्ता जी भी बोले, दिलीप घोष जी भी बोले और आखिर में राजीव प्रताप रूडी साहब ने भी अपनी बात रखी और सुझाव दिए। मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस बिल पर दिए हैं।

सभापति महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही अपनी टिप्पणी में कहा था कि जब देश आजाद हुआ था तो कांस्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका भर्तृहरि महताब साहब जिक्र कर रहे थे, चर्चा हुई थी कि देश में चुनाव कैसे होंगे तो संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल 324 बनाया था, जो कि संविधान का भाग है। उसमें उन्होंने लिखा था। Article 324(1) of the Constitution provides that: “The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice President to be vested in Election Commission.” यह व्यवस्था आर्टिकल 324A में की गयी थी, लेकिन आर्टिकल 324(2) में एक व्यवस्था और की गयी थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी का जो पार्ट है, उसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी। इस चीज पर ध्यान नहीं गया और वर्ष 1991 में, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ष 1991 में एक एक्ट बना, लेकिन उसमें अपॉइंटमेंट को छोड़ दिया। वर्ष 1991 में जो एक्ट बना, उसका हेडिंग था *the Election Commission* (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) *Act*, *1991*. एक कमी रह गयी कि अपॉइंटमेंट छूट गया। इसलिए माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि एक पीआईएल अनूप बर्नवाल साहब की हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2023 को यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, जैसे कि अखबारों में चर्चा हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैंज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। डायरेक्शन है - “Until the Parliament makes a law in consonance with the Article 324(2) of the Constitution”. यह स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहेगा और एक कमेटी बना दी। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके तहत ही यह बिल लेकर के आपके माध्यम से सदन के सामने उपस्थित हुए हैं। इसलिए यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही यह बिल लेकर आए हैं। 2 मार्च

2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके तहत ही लेकर आए हैं। कुछ मोटी-मोटी बातें आयी हैं, उनका जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।

(1335/YSH/UB)

देखिए, यहां एक विषय आया है। अभी राहुल रमेश शेवाले साहब बोल रहे थे कि सर्च कमेटी में कैबिनेट सचिव है। इसमें कैबिनेट सचिव नहीं है। अब इसमें ऑफिशियली अमेंडमेंट हो गया है। अब लॉ मिनिस्टर सर्च कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। भर्तृहरि महताब साहब ने कॉन्स्टिटयूट असेंबली के विषय में कहा और उन्होंने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का भी जिक्र किया है। उन्होंने दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में भी कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म पर थी। भर्तृहरि महताब साहब जो विषय रख रहे थे, वे ठीक रख रहे थे कि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करता है। यह एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एग्जीक्युटिव फंक्शन है। इसमें प्रधान मंत्री जी न हों, यह भाव तो इसमें हो ही नहीं सकता। इस तरह से कुछ सदस्यों ने जो प्रश्न रखे हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ।

शंकर लालवानी साहब बोल रहे थे कि इतने कानून समाप्त कर दिए गए हैं। मैं उनको एग्जेक्ट संख्या देना चाहता हूँ। हमने 1562 कानून समाप्त किए हैं। उन्होंने 'वन नेशन वन इलेक्शन' का भी जिक्र किया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी कमेटी बनी हुई है तथा आगे कार्रवाई हो रही है।

संजय सेठ साहब ने अमृतकाल का जिक्र किया है। बिल्कुल यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अमृतकाल है। अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करने का भी कालखण्ड है। अभी देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए तो हमने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। देश कैसे चला, कहां तक चला, इसका हमने विश्लेषण किया। हमने इंट्रोस्पेक्शन भी किया। अब हम आगे के 25 सालों में वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। यह अमृतकाल है, जिसकी बाबा साहेब ने कभी कल्पना की थी। उन्होंने आर्टिकल 324 को रखते समय कहा था कि अगर इस दिशा में लगता है कि कोई बुराई है तो उसकी जल्दी पहचान करके उसको दूर करें।

कांग्रेस ने क्या किया? बाबा साहेब ने यह वर्ष 1949 में कहा था। कांग्रेस ने पहचान भी की तो आधी-अधूरी की। ये सन् 1901 में एक एक्ट लेकर आए और उसमें अधूरापन छोड़ दिया। अब यह मोदी जी का कालखंड है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ मुद्दे उठाए हैं कि आप बाबा साहेब का सम्मान नहीं करते हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब का जितना सम्मान करते हैं, उतना मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रधान मंत्री जी ने सम्मान किया होगा। ये पंचतीर्थ मोदी जी के कालखंड में ही तैयार हुए हैं। चाहे जन्म भूमि हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, शिक्षा भूमि हो या परिनिर्वाण भूमि हो। मैं 26, अलीपुर रोड का जिक्र करता हूँ, जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली थी। वहां 100 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्मारक बनवाया गया है, जो बाबा साहेब के जीवन के कालखंड को दर्शाता है। औवेसी साहब को जाकर वह देखना चाहिए। ये मोदी जी के कालखंड में ही बना है और जनपथ पर, जहां हम भी

कई बार मीटिंग्स करते हैं, वह डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेन्टर भी 200 करोड़ की लागत से मोदी जी के ही कालखंड में बना है। बाबा साहेब का जितना सम्मान मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और प्रधान मंत्री जी ने किया होगा। मुझे लगता है कि वे गलत तथ्य पेश कर गए।

बाबा साहेब के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट में एक और अच्छी चीज हुई है, जिसका जिक्र मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूँ और मैं इस सदन के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूँ कि सन् 1923 में डॉ. बी.आर अम्बेडकर साहब एज एन एडवोकेट मुम्बई हाई कोर्ट में एनरोल हुए और वर्ष 2023 में उनके एज ए एडवोकेट के 100 साल पूरे हुए। बाबा साहेब की एडवोकेट की वेशभूषा में कहीं भी कोई मूर्ति नहीं थी तथा आज सुप्रीम कोर्ट के मैन लॉन में बाबा साहेब के एडवोकेट की वेशभूषा में एक प्रतिमा लगाई है, जो कि बहुत सुंदर प्रतिमा है। इसके माध्यम से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी जयदेव गल्ला साहब ने इस पर कुछ सुझाव दिए हैं। हमने नोट किया है। औवेसी साहब का एक विषय आया है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैं क्लॉज 5 का जिक्र करना चाहता हूँ। क्लॉज 5 यह कहता है - “The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall be appointed from amongst persons who are holding or have held a post equivalent to the rank of Secretary to the Government of India and shall be persons of integrity, who have knowledge of and experience in management and conduct of elections.” इसका मतलब क्वालिफिकेशन दी हुई है। उसका उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया। वे शायद बोलकर चले भी गए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे लगता है कि चर्चा में जो बिन्दु आए थे, उन सभी का जवाब दे दिया गया है।

(1340/RAJ/SRG)

मैं अनुरोध करता हूं कि The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 को सर्वसम्मति को पास किया जाए। मेरा आपके माध्यम से इस महान सदन से यह अनुरोध है।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): प्रश्न यह है:

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक

1341 **बजे**

माननीय सभापति : आईटम नम्बर, 24, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023, माननीय मंत्री जी।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर नए भारत के लिए नए कानून बनाने के जो शानदार काम हुए हैं, मैं सबसे पहले उनके लिए प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी माननीय सांसदों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमने पिछले दो दिनों में भी देखा है कि कैसे अंग्रेजों के समय के बिल को, उससे मुक्ति दिलाने का काम, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी मिली और नए भारत के लिए नए कानून भी मिले। इस सदन ने सर्वसम्मति से उन बिल्स को पास भी किया। चाहे वह भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या टेलीकॉम्युनिकेशन बिल हो, ऐसे अन्य बिल्स, जो अब अगले कई सैंकड़ों वर्षों के लिए भारत के काम आएंगे। उसी दिशा में मैं भी आज सभी के सामने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 को लेकर आया हूं। यह बिल भी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य हमने किया है।

माननीय सभापति जी, अगर आप देखें कि यह बिल कितना पुराना है? यह बिल वर्ष 1867 का है। उस समय, 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं न कहीं अपने हाथ में रखें। यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने-आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस लगाना, पब्लिशर बनना, अपने-आप में यह एक बहुत बड़ी बात थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक बहुत बड़ा रोल होता था। यह पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इसको आठ चरण में किया जाता था। पहले आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लिकेशन लगाइए। वहां पर कई महीने लगते थे, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर ऑफ इंडिया के पास दिल्ली लेकर आइए। फिर, उसके चक्कर काटिए और फिर वापस लेकर जाइए, जब तक आपको नाम मिलता था। लगभग आठ स्टेप्स थे। आज मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है कि अब दो-तीन साल नहीं लगेंगे, बल्कि केवल दो महीने के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी।

(1345/KN/RCP)
यह सिम्पल भी है, स्मार्ट भी है और साइमलटेनियस भी है। मैं इसको विस्तार से बाद में बताऊंगा।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर पहले डीएम के पास करना पड़ता था और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स के पास बाद में करना पड़ता था, अब वह नहीं है। अब डीएम के पास भी और आरएनआई पास भी एक ही समय पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप एप्लिकेशन लगा सकते हैं। अगर डीएम 60 दिन में जवाब नहीं भी देता है, तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। 60 दिन के बाद आरएनआई ही आपको अनुमति दे देगी। यह बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। मैं शुरू में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमने राज्यों से भी कंसल्ट किया, अलग-अलग संस्थाओं से भी कंसल्ट किया और उसके बाद हम आपके बीच में यह बिल लेकर आए हैं।

मैं इसमें एक-दो बातों पर जरूर प्रकाश डालना चाहता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में दिया है। हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनसे भी मुक्ति दिलाने का काम हमने किया है।

सभापति जी, मैं इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अर्जुन मेघवाल जी, चूंकि आप लॉ मिनिस्टर हैं और अधिकतर कानूनों में क्रिमिनेलिटी खत्म हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग मिले, यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है।

1346 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

मैं इस सभा में कहना चाहता हूं कि हमने इसमें भी प्रावधान किए हैं, जहां बाकी जितने क्रिमिनलाइजेशन वाले ऐसे प्रावधान थे, हमने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। केवल एक ही ऐसा प्रावधान है, जहां पर अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने की पब्लिशर से अनुमति न ली हो, उसमें भी आपको 6 महीने का प्रावधान दिया है कि आप उसको बंद कर दे या अनुमति ले, न करे, तब जाकर आपको सजा होगी, अन्यथा सब को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बल दिया गया है। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनको मैं डिटेल में कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मैं सभी माननीय सदस्यों की बात सुनूं तो उसके बाद ही अंत में अपनी बात रखूं।

मैं सभा के सामने आज इस बिल को, अच्छी चर्चा और सर्वसम्मति से पास करने के लिए, रखता हूं। मैं चाहता हूं कि सकारात्मक चर्चा हो और सर्वसम्मति से इसको पास किया जाएगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

1348 बजे

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदया, यह जो विंटर सेशन है, जो कि अब समाप्ति की ओर है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में देश के सामने जो अपना एजेंडा रखा था, गवर्नमेंट का एजेंडा रखा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही थी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद, वर्ष 1947 के बाद पैदा होने वाले वे देश के पहले प्रधान मंत्री हैं। इसके पहले जितने भी प्रधान मंत्री हुए, जब भारत गुलाम था, उस वक्त वे पैदा हुए। माननीय मोदी जी ही ऐसे प्रधान मंत्री हुए या हैं, जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुए। उन्होंने अंग्रेजों को नहीं देखा, अंग्रेजियत को नहीं देखा, गुलामी को नहीं देखा और इसलिए उनके दिमाग में हमेशा रहा कि गुलामी के जितने भी प्रतीक चिह्न हैं, वे सब इस देश से मिटने चाहिए, क्योंकि हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र है। उन्होंने अपोजिशन को बहुत मौका दिए, लेकिन अपोजिशन की हमेशा एक आदत रही है कि भारत में फूट डालो राज करो, अंग्रेज की मानसिकता, ब्रिटिश की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता खत्म करने की जब-जब बात आती है या इस देश की समस्या का समाधान करने की बात आती है तो वे हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1952 से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का जो एजेंडा रहा, वे सारे एजेंडे माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे करें। चुनाव का समय है। मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं कि कौन-कौन से एजेंडे हमने लागू किए और कहां अपोजिशन अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी परेशानी छिपाने के लिए उसने हम लोगों का विरोध किया तथा विरोध का स्तर बहुत निम्नतम रखा।

(1350/VB/PS)

अनुच्छेद 370 की बात होती रही। पिछले 75-77 सालों से हम चाइना और पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हमारे भू-भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, मुस्लिम एपीज़मेंट की पॉलिटिक्स के कारण जब अनुच्छेद 370 की बात आने लगी, तो आपको पता है कि इस पार्लियामेंट में तो उन्होंने विरोध किया ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में विरोध किया। राम जन्मभूमि का सवाल हो, राम मन्दिर बनाने का सवाल हो, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के जो सांसद साथी हैं, उन्होंने वहाँ जाकर विरोध किया। उसी तरह से, चाहे शिड्यूल कास्ट्स या शिड्यूल ट्राइब्स को अधिकार देने का सवाल हो, ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का सवाल हो, इन सारी चीजों में अपोजिशन ने हमारा विरोध किया।

इस सेशन में जो कुछ भी हुआ, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जहाँ से अपनी बात शुरू की कि वह कौन-सा मामला था? 130 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, चाहे इस पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, कोई ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, जिसको जिन्दगी में कभी न कभी पुलिस थाने का चक्कर न लगाना पड़ा हो, अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ा हो। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि अंग्रेजों की जो मानसिकता थी कि किस तरह से अपने राज-काज को यहाँ कायम रखो, किस

तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल न बने और व्यक्ति जहाँ नगण्य था, उस कानून को खत्म करने का काम हमारी सरकार कर रही थी, इस कारण से अपोजिशन ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया, जो मुद्दा है ही नहीं।

इस पार्लियामेंट में हमने नियम-कानून नहीं बनाया है। जब संविधान निर्माताओं ने कानून बनाया, तो उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने यह कहा कि इस पार्लियामेंट में एक चीज पर चर्चा नहीं हो सकती है, चेयर के ऊपर या चेयर के किसी काम के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है। यह नियम उन्होंने बनाया, रूल्स-रेगुलेशंस उन्होंने बनाए। कांस्टिट्यूशन को कांस्टिट्यूशन बनाने वालों ने बनाया, हमारे फोरफादर्स ने बनाया। इस पार्लियामेंट में ऐसा पहली बार हुआ कि स्पीकर के ऊपर ही क्वेश्चन किया गया और स्पीकर के माध्यम से सरकार को एक पार्टी बनाया गया। इस पार्लियामेंट की सुरक्षा, हालांकि मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज भी इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि संसद की सुरक्षा का अधिकार केवल और केवल लोक सभा सचिवालय का है, लोक सभा अध्यक्ष का अधिकार है। मैंने कल भी कहा कि इस घटना के पहले 27 बार इस तरह की घटनाएं हुईं। वर्ष 1954-56 से लेकर, जब कांग्रेस की सरकार ने तिब्बत को दे दिया, तब भी इस दर्शक दीर्घा से लोग कूदे और उन्होंने कहा कि तिब्बत के साथ समझौता करने वाले आप कौन होते हैं। यदि भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार और रूस के साथ ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट हो गया कि भूटान, नेपाल और तिब्बत एक बफ़र स्टेट बनेंगे, तो आप किस आधार पर तिब्बत को चाइना का भाग कह सकते हैं। वहाँ से कूदे थे, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वर्ष1994 में कूदे, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उनका हाथ पकड़ लिया, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई, वर्ष 1991 में कूदे, कोई चर्चा नहीं हुई, वर्ष 1966 में कूदे, कोई चर्चा नहीं हुई, वर्ष 1974 में कूदे। चूंकि यह इतना बड़ा बिल था, जिससे आम गरीब लोगों को न्याय मिलेगा और सही समय पर न्याय मिलेगा। जिस न्याय के लिए लोग 50 साल, सौ साल तक भटक रहे हैं, वह भटकाव अब खत्म होने वाला है। इनको पता है कि जब माननीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लोगों को 50 साल और सौ साल तक न्याय के लिए भटकना पड़ता था, वह छ: महीने, साल भर और डेढ़ साल में मिलना शुरू हो जाएगा। इससे इनको लगता है कि इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह बिल पास न हो, इसके लिए 'इंडी' गठबंधन ने इतना ताना-बाना बनाया है।

आज का जो बिल है, कल के बिल से हमने वर्ष 1860 के बिल को रिपील किया। कल दो बिल्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक वर्ष 1860 का था और दूसरा टेलीग्राफ एक्ट, 1885 का हमने संशोधन किया।

आज जो बिल लेकर आये हैं, वह 1867 का बना हुआ है। संविधान निर्माताओं ने, 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, आजकल 'इंडी' एलायंस है, उसने किस तरह से कांस्टिट्यूशनल पोस्ट की तौहीन की, यह पूरा देश देख रहा है। हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इसी पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है। महामहिम

राष्ट्रपति महोदया के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को तो 20 साल से मौत का सौदागर से लेकर पता नहीं क्या-क्या कहा गया।

(1355/PC/SMN)

इन्होंने कांस्टिट्यूशनल पोस्ट की भी मिमिक्री कर दी और ये हमेशा यह कहते हैं कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए। ये हमेशा कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? आज हम यह बिल लेकर आए हैं। वर्ष 1867 का जो बिल है, वह देखने में सोचना है, लेकिन आप समझिए कि इसका रिपरकशन कितना है, इसका प्रभाव कितना है। वर्ष 1867 में बिल लेकर इसलिए आए, क्योंकि आजादी का आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था। जो पढ़े-लिखे लोग थे, वे लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त रेडियो नहीं था, उस वक्त टेलिविजन नहीं था। उस वक्त आने-जाने के साधन नहीं थे, रेल नहीं थी, हवाई-जहाज नहीं थे, लोगों के पास गाड़ियां नहीं थीं। इस कारण से लोग जगह-जगह पर अपने टाइपराइटर से साइक्लोस्टाइल करके कोई भी चीज छापते थे, बताते थे, जनता तक उन्हें ले जाने का यह रास्ता था। इससे अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यदि इस तरह का न्यूजपेपर या एक पेज का पैमफ्लेट या कोई और चीज छपने लगेगी और लोगों तक चली जाएगी, तो हम बहुत दिनों तक भारत के आदमी को सप्रेस नहीं कर पाएंगे।

इस कारण एक एक्ट वे लाए, जिसमें सबसे बड़ा विषय यह था कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे, बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी कानूनी मंजूरी के यह काम करोगे, तो हम आपको जेल भेज देंगे। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप प्रेस-फ्रीडम की बात करते हैं, आप लोगों को बोलने का अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन आपने 58 सालों के शासन में क्या कभी यह सोचा कि इस तरह का जो एक्ट है, इससे कितने लोग आज तक जेल गए हैं।

मैंने एक डेटा देखा था। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब मुझे सुधारेंगे। वर्ष 1867 से लेकर आज तक, जो मेरी जानकारी है, इस एक्ट के तहत लगभग पांच लाख लोगों को हमने जेल भेजा। कई ऐसे लोग हैं, जिनको आजीवन कारावास की भी सजा हुई। इस तरह का माहौल था। इस कारण से माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया कि यदि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को अधिकार देना है, तो हमको इस एक्ट को रिपील करना है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का शुक्रगुज़ार हूं, जो इस तरह का एक्ट लेकर आए हैं।

सभापति महोदया, इस एक्ट में तीन-चार चीजें हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना भी चाहता हूं कि हम सभी सांसद हैं। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा असर हो गया है, बहुत से यू-ट्यूब चैनल्स आ गए हैं। किसी तरह से ब्लॉग की दलाली करते-करते कई लोग इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं कि वे आज भी बिना किसी से परमीशन लिए हुए अपना न्यूजपेपर चालू कर देते हैं। अभी चुनाव का समय है, हम सभी सांसद चुनाव में

जाने वाले हैं। यू-ट्यूब चैनल तो चल ही रहे हैं, उनके अलावा इस तरह के कई न्यूज-चैनल्स भी चालू हो जाते हैं।

जहां तक न्यूजपेपर का विषय है, उन्होंने Press Registrar General of India की स्थापना की बात की है, ऑनलाइन की बात है, सर्कुलेशन की बात की है कि डीएम भी सर्कुलेशन की बात करेगा और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आपको ऑनलाइन बताना पड़ेगा कि कहां प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अभी तक नहीं पता था। आपको बताना पड़ेगा कि कितना प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन जो दो-तीन चीजें हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एडवर्टीजमेंट्स लेने के लिए सारे न्यूजपेपर्स कहीं न कहीं अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने की बात करते हैं। श्री भर्तृहरि महताब जी यहां बैठे हुए हैं। उनके यहां ओड़िया का सबसे पुराना अखबार 'गणतंत्र' है कि यदि जो ईमानदारी से काम करेगा, उसकी क्या स्थिति होगी?

उसके लिए आपने Press Registrar General of India के माध्यम से जो यह सिस्टम बनाया है, मुझे लगता है कि उसमें कड़ाई करने की आवश्यकता है। अभी चुनाव का समय है। ये सारे सांसद इनको भोगेंगे कि छोटे-छोटे न्यूजपेपर्स चुनाव के समय ही कुकुरमुत्ते की तरह उग आते हैं। उनको रोकने के लिए आप क्या प्रावधान करेंगे?

डीएम के पास बहुत काम हैं। चूंकि अंग्रेजों के समय से ही यह सिस्टम चला आ रहा है कि डीएम इन चीजों का अधिकारी होता है। अभी हमने कानून में कई संशोधन किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट में संशोधन किए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि प्रत्येक जिले में Director of Prosecution की अलग पोस्ट क्रिएट की। वह अलग से तय करेगा कि इस केस को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? इस केस को अपील में जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि न्याय जल्दी मिलना है।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि डीएम के पास बहुत काम है। उस डीएम के अलावा, क्योंकि सभी जगह आपका पीआईबी मौजूद है, आजकल आप जिस तरह से सिस्टम लाये हैं, जो पहले चलता था कि दो साल, तीन साल, चार साल तक हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, 60 दिन के अंदर अगर आप एनओसी नहीं देंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रार, आरएनआई जो है, वह आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपका अखबार चालू हो गया, आपके अखबार की प्रिन्टिंग चालू हो गई। उसी तरह से आप वहाँ जिले में आदमी को पोस्ट कीजिए। डीएम को छोड़कर डीटीसी को कर दीजिए, एसडीओ को कर दीजिए या एक नोडल अफसर बना दीजिए, जो कि इन चीजों को करता रहेगा कि यदि यूट्यूब चैनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? यदि इस तरह का कोई अखबार ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उसका सर्कुलेशन कुछ नहीं है और वह एडवरटीजमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरह से रोकेंगे? यदि आप यह कर पाये तो यह जो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा काम किया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लोगों को बोलने का अधिकार होगा, जगह-जगह अच्छे लोग जो कि किसी कारणवश दिल्ली तक दौड़ नहीं कर सकते या राज्य की राजधानी नहीं जा सकते, डीएम तक

जिनकी पहुँच नहीं है, उनके लिए जो आपने यह पूरी व्यवस्था की है, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो वह नहीं होगा। इसीलिए मेरा यह मानना है कि ये जो तीन काम आपने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को सौंपे हैं कि फाइन, ठीक है, फाइन आपने किया, लेकिन फाइन एक बार करेंगे, लेकिन यदि दूसरी बार वह वायलेट करेगा, इसके बारे में कोई क्लेरिटी नहीं है। मान लीजिए कि एक बार उसने वायलेशन किया, आपने उसके ऊपर फाइन लगा दिया, लेकिन मान लीजिए यदि दूसरी बार भी वह वायलेट कर रहा है, वही काम कर रहा है, क्योंकि फाइन हमने कम लगाया है, कहीं 5 लाख लगाया है, कहीं 20 हजार लगाया है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे?

(1400/CS/SM)

मेरा दूसरा सवाल यह है कि यदि प्रिन्टिंग ज्यादा दिखाकर, मान लीजिए वह लगातार 10 कॉपी प्रिन्ट कर रहा है, आजकल तो ऑनलाइन भी अखबार छाप देते हैं, और वह बता रहा है कि एक लाख कॉपी हैं। उसमें डीएवीपी का ले लेता है, राज्य सरकार का चला जाता है, भारत सरकार का चला जाता है या प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, उसके आधार पर अपना एडवरटीजमेंट देती हैं। यदि आपको पता चलता है कि यह अखबार प्रिन्टिंग प्रेस में इतना ही छपता है और वह ज्यादा बता रहा है या इस प्रिन्टिंग के आधार पर इसकी कॉपी इतनी हैं, तो उसमें आपने फाइन कम लगाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि दूसरी बार वह वायलेट करता है, एक बार आपने मान लीजिए नोटिस दे दिया, फाइन लगा दिया, दूसरी बार करेगा तो उसको क्लोज करने के लिए क्या कोई व्यवस्था है या नहीं?

तीसरा, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस तरह यदि आप रोकेंगे तो कानूनी तौर पर उसके लिए उसको कोर्ट जाना है या कोई अपीलेट अथॉरिटी जायेगा, जैसे सभी चीजों का अपीलेट अथॉरिटी बनाया हुआ है। आप कोर्ट से इस तरह के केसेज को ईज आउट करने के लिए, या आम आदमी यदि कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेंट को देखने के लिए भी एक टाइम फ्रेम निर्धारित करेंगे। किसी ने कंप्लेन की कि यह सर्कुलेशन गलत है, यह रजिस्ट्रेशन गलत है, यह जो छाप रहा है, यह गलत है, यह ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए एक टाइम आप निर्धारित करेंगे कि इसको इतने दिन के अंदर करेंगे। जैसे 60 दिन के अंदर आपने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसी तरह से जो ब्लैकमेलिंग करता है, उसे रोकने के लिए यदि आप टाइम बाउंड कर देंगे तो मुझे लगता है कि इस एक्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है। अंग्रेजों की गुलामी की निशानी को मिटाने का जो अंतिम कानून है, उसे भी खत्म करने का जो यह बिल आप लेकर आए हैं, इससे भारत के नागरिकों को सुविधा होगी, आम लोगों को सुविधा होगी और जितने संबंधित लोग हैं, वे आपको दुआ देंगे।

आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

(इति)

(1400/CS/SM)

1404 hours

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Thank you very much, Madam. This Bill brings in much-needed modernisation in the regulation of Press whether it is print or digital. it is a very positive thing. The registration of digital media houses with Press Registrar General will curb the menace of fake news in India by weeding out the arbitrary formation of new digital houses, apps and websites.

It brings digital news media under its purview, which is expected to curtail the negative effects of apps, websites and social media accounts that are spreading fake news.

(1405/RP/IND)

At present, digital news platforms are not covered by any registration process apart from IT and Digital Media Ethics Code Rules 2021, that made it mandatory for digital news platforms, to register themselves with the Government.

Establishment of the Press and Registration Appellate Board will hasten the justice delivery process in the registration and related disputes.

There are some negative points also. The Act did not include within its scope forms of digital media. This Bill is being seen as an attempt to expand regulatory control over free press. This is despite the fact that India's ranking in Press Freedom Index has been consistently falling since 2016 from 133 to 161 in 2023.

There are other issues also. With the opportunity in hand, I would also like to bring to the attention of the house other issues related to news media. As far as the prevalence of fake news is concerned, the National Crime Records Bureau has reported its increase by 214 percent in 2020. Fake news can cause severe chaos in society such as creating panic during a public health emergency as seen during COVID-19 Pandemic, or fuelling communal discords. I would urge the Minister

to also clarify if there are any other concrete steps that the Government is taking to reduce the instances of fake news in the country.

I would also like to give some suggestions in this regard. The concerns of the people belonging to media fraternity regarding media freedom should be taken into consideration. Some safeguards should be provided against improper and arbitrary use of the Act. India needs to take powerful steps in order to improve freedom of the press in the country. Specific safety framework for journalists should be established after proper consultation with all stakeholders. There needs to be an independent financial audit authority to curb the cases of paid news and illegitimate interference by corporate houses.

With these concerns and suggestions in mind, the Bill is a step in the positive direction and will help make press publication in India fair and accessible. I support the Bill, Madam.

(ends)

1408 बजे

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदया, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, यह विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का स्थान लेगा। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ब्रिटिशकाल के सभी कानूनों की समीक्षा करने का फैसला किया। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने सौ साल से भी अधिक पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को बदलने का बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं। महोदया, जब देश गुलाम था, तब समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में मदद की थी, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विपक्ष बनाने में मदद मिली। समाचार पत्रों ने लोगों में जागरुकता फैलाने में भी मदद की, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और क्रांतिकारी कृत्यों को बढ़ावा मिला। प्रेस ने देशभक्ति, स्वतंत्रता, समानता और घरेलू शासन के आधुनिक आदर्शों का संदेश दिया जो भारतीयों में फैल गया। प्रेस ने प्रतिदिन ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की जिससे लोगों में जागरुकता पैदा हुई। समाचार पत्रों ने न केवल सरकार की राजनीतिक योजनाओं की चर्चा की, बल्कि निरक्षरता से लड़ने, जनांदोलन को प्रोत्साहित करने और सरकार के खिलाफ खुली सक्रिय बहस पर भी ध्यान केंद्रित किया।

(1410/RV/NKL)

सभापति महोदया, आज फर्जी खबरें समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। फर्जी खबरें जबर्दस्त होती हैं और असली सच्चाई पर ग्रहण लगा देती हैं। मीडिया में फैली गलत सूचना और दुष्प्रचार एक गम्भीर सामाजिक चुनौती बनती जा रही है। इससे जहरीला माहौल बन रहा है और सड़कों पर दंगे और भीड़ द्वारा हत्याएं हो रही हैं। सभापति महोदया, फर्जी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस पर जरूर विचार करेंगे। सभापति महोदया, आज पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पत्रकारों के खिलाफ खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकारों को मिली कारावास की सजा रिकॉर्ड स्तर पर है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए पत्रकारों को धमकाते हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाते हैं। सभापति जी, हाल ही में पंजाब में वहां की सरकार ने अपने पार्टी अध्यक्ष के दबाव में एक महिला पत्रकार को झूठे मुकदमे में फँसाने की कोशिश की थी, इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने में आसानी होगी। अभी तक ब्रिटिश काल का कानून चल रहा था। उस समय छोटी-छोटी गलतियों पर बड़ा दंड दिया जाता था, रजिस्ट्रेशन की लम्बी प्रक्रिया थी। उस समय पत्रकारिता के लिए रजिस्ट्रेशन करना एक जटिल कार्य था। इस विधेयक में ऐसे प्रावधानों को खत्म किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

धन्यवाद। (इति)

1411 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion on this Bill. As has been stated, media is not only confined to periodicals or printing materials today as it was in the 18th Century, 19th Century and 20th Century when printed materials were treated as media. Subsequently, with the advent of electronic media and with the support of satellites, media has undergone a tremendous change. What we are discussing today is related to print media or the periodicals, as it is said. There, I would say that it is uneven. Media has been categorised into three to four categories to which print media is only one part. Then, there is another part known as electronic or audio/visual media. Furthermore, there is social media which is also in two parts. So, what provisions is the Government making to make those alternative media, that are, electronic or audio/visual media and social media to be under the purview of this type of Act? There are four to five issues which are being discussed here. One is regarding replacing the PRB Act with PRP Bill, as we can call it. Moreover, it empowers the Press Registrar General to a very great extent. It streamlines penal provisions. The new Bill contemplates a maximum imprisonment of six months if a periodical is published without a registration certificate, and the publisher continues printing despite receiving a direction from Press Registrar General for six months. This step aims to balance regulation while providing some relief to publishers. The fourth point is regarding introducing appellate authority. The last point is regarding exclusion of books and digital intimation. Now, the books fall under the domain of the Ministry of Education whereas the printing material will be under the purview of the Press Registrar General. The Press and Registration of Books Act, 1867 was enacted for the regulation of printing presses and newspapers for preservation of copies of books and newspapers printed in India. But this reminds us of the history when first, there was a hanging of Nandalal in Kolkata. When it was printed by a Britisher, he was prosecuted, and after that, all these provisions came into being. The Act has been amended many times between 1870 and 1983.

(1415/VR/GG)

It remained peculiarly cumbersome and complex making it extremely burdensome and time consuming, specially for small and medium publishers in matters of verification of title and obtaining of certificate of registration for

publishing a periodical. The need of the Bill today is that we are in a time of present age of free Press, and there is a need to uphold media freedom. This pre-Independence archaic law is not in sync with the current media landscape. Therefore, it is necessary that the proposed legislation is based on the spirit of upholding media freedom and ease of doing business by making the entire process of allotment of title and registration of periodicals simple and simultaneous, as it has been said by the Minister while introducing this Bill through an online system without the requirement of any physical interface, which should be fast-tracked by Press Registrar General thereby ensuring that publishers especially small and medium publishers face little difficulty. But what is the stand of the courts? The courts have generally adopted a narrow view, narrow interpretation to the provisions of this Act. In other words, they have tried to preserve the fundamental rights of the officers whenever the Act has been invoked. For instance, in Gopaldas Sharma vs. District Magistrate, the court emphasised the fundamental rights of the publishers and held that the officials need to mandatorily adhere to the principles of natural justice while assessing applications and declarations under the Act. Similarly, in K.A. Mohmmad vs. Revenue Officer case, the High Court upheld that the Government officials cannot place additional conditions on the publisher for publishing newspapers over and above the ones in the Act. The court came down heavily on the officials for imposing the requirements of a police no objection certificate, and looking into antecedents of the publishers before accepting his declaration. In fact, time and again, the courts have called for its repeal given its unnecessary provision that it impacts particularly on freedom of speech especially in the Institute of Chartered Accountants of India vs. Union of India, 2005. So, the balance was needed to be brought in. The good aspect of the Bill is that earlier the publishers submitted the application to the district magistrate which was subsequently forwarded to the Registrar of Newspapers for India (RNI), and after thorough deliberation, the RNI approved the title. But this procedure was deemed overly complicated and lengthy; the process for applying has now been streamlined.

Secondly, the Bill has also decriminalized earlier provisions of the Act. This will further the cause of freedom of Press in the nation. But there are certain concerns, and lastly, I will give certain suggestions. The concern here is, especially raised by the Editors Guild of India, that in Section 6 (b) of the Bill,

authority is granted to Press Registrar as well as any other designated authority to access the facilities of a periodical for the purpose of examining or duplicating pertinent records or documents or posing any unnecessary questions to obtain information required to be provided. The ability to enter a Press organization granted by this provision is excessively invasive. When the Government is saying, especially relating to Income Tax or Indirect Tax that we will not be invasive, through this provision in this Bill, the officers or the persons who will be entrusted with this job will be invasive. It is disconcerting that despite the claim in the Statement of Objects and Reasons that the intention is to streamline the process for Press organization, such powers are retained from the previous Act.
(1420/SAN/MY)

Furthermore, under the new Bill, the Press Registrar General can authorise any person who is a gazetted officer of the Central Government, subordinate to the Press Registrar General, and authorised by the Press Registrar General in writing, to undertake any verification of circulation figure of a periodical. Since the Press Registrar General can give the power to any Central Government gazetted officer to conduct this function with respect to verification of circulation, this would also mean that the Central Government officer could be allowed to enter the premises of the periodical's management building. I think, this needs to be looked into because there are large number of officers and they periodically go to check the circulation figure of the respective periodicals, which they do once in two years or once in three years. Every time, the newspaper organisation submits an annual report to the RNI also.

Here, I have certain suggestions to make. Under clause 6(a), the Press Registrar General has been given the power to obtain annual statements of a periodical. In order to facilitate the ease of doing business and to further the cause of Digital Bharat, it must be ensured that this is carried out digitally. In Chapter VI, the Bill advocates for the establishment of an appellate board which is a commendable measure that introduces an extra avenue for the aggrieved to present their case. Nevertheless, there is a need for further clarification concerning the composition of this appellate board, including details about its members and their qualifications. I firmly believe that regional representation should be incorporated into the composition of the appellate board for a more inclusive and equitable structure.

Madam, in the contemporary landscape, it is noteworthy that every registered newspaper and periodical maintains a digital presence, disseminating articles through online platforms that may occasionally diverge from their traditional print counterparts. This evolution prompts critical inquiries into the regulatory mechanisms for such digital content. The question arises about how these divergent forms of publication will be governed. Furthermore, the governance framework for online media platforms warrants careful consideration and articulation given the distinct challenges and characteristics inherent in the virtual sphere. A helpful suggestion is for the Central Government to intervene and revitalise the industry by eliminating import duties on newsprint and introducing a scheme to encourage local production. The present Minister at one point of time was also part of the Finance Ministry. Therefore, I take the advantage of suggesting this to him. Currently, India heavily depends on newsprint imports and is the largest global importer, with 45 per cent sourced from Russia. The ongoing Russia-Ukraine crisis and associated sanctions have led to shipping containers' delays causing newsprint supply shortages. This, in turn, has resulted in higher input cost for domestic newspaper companies with newsprint accounting for 45 to 50 per cent of their total expenses. Consequently, prices have surged from USD 450 per tonne to USD 950 per tonne. This price escalation renders the newspaper business increasingly uneconomical, even leading to losses. Domestic manufacturers are adapting by converting their mills to produce packaging materials. Madam, as I had stated earlier, media has undergone a tremendous change. From 18th Century, now we are in 21st Century. In 21st Century, the print media is facing challenges from electronic media, especially the audio-video media and also from social media. So, media is now multiplying in different ways. Communication has multiplied in very many ways. In that respect, restricting or, in a way, putting conditions and, I would say, to control the print media is not that good.

(1425/SNT/CP)

It is necessary that equally certain measures also need to be taken to administer restrictions on social media, like we have gone through in the last Bill on Telecommunications. I believe, the Minister will look into the problems of print media which the country is facing today.

Thank you, Madam. (ends)

1425 बजे

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। यह विधेयक, जो अंग्रेजों के जमाने का, वर्ष 1867 का कानून था, उसमें संशोधन करेगा। इसमें न सिर्फ संशोधन, बल्कि आमूलचूल परिवर्तन भी होने वाला है। यह देश माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से बदल रहा है और लोगों की सोच भी इसी रफ्तार से बदली है। जनता का विश्वास अब पूरी तरह से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर सिद्ध हो चुका है। अभी वर्तमान में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। उस यात्रा का जो अनुभव आया है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प था, 'सबका साथ, सबका विकास', वह पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। लाभार्थियों ने जो लाभ उठाया है, उनका जीवनस्तर कैसे बदला है, कैसे उनकी घर गृहस्थी सुधरी है, कैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनके परिवार के बच्चों का अब भविष्य सुरक्षित हो रहा है, वह इससे प्रदर्शित हो रहा है।

यह जो कानून है, जिसको लेकर हमारे मंत्री जी आए हैं, यह एक बेहद महत्वपूर्ण, समावेशी और समय की मांग के अनुसार बहुत अच्छा कानून है और इसकी लोकतंत्र में बहुत अहमियत है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानी प्रेस के माध्यम से ही आम जनमानस में अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे और स्वतंत्र भारत की स्थापना भी की थी। यह बेहद निराशाजनक बात थी कि देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक देश में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए वर्ष 1867 के अंग्रेजी कानून को बदलने का काम नहीं हुआ।

सभापति महोदया, अभी हाल ही में हम सबने इसी सदन में मिलकर रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, 2023 को पारित किया। इसमें 76 पुराने और गैर-जरूरी कानून निरस्त हो गए। मैं यहां सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनके अब तक के 9 वर्षों के शासन में रिकार्ड 1,562 पुराने और गैर-जरूरी कानूनों को चुन-चुनकर निष्प्रभावी कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदया, अभी भी देखिए कि जब हम देश के हित में इतने महत्वूपर्ण विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं, तो विपक्ष गायब है। विपक्ष बाहर जाकर क्या कह रहा है? कभी तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान हो रहा है, तो कहीं माननीय प्रधान मंत्री जी का अपमान हो रहा है और अनर्गल बातचीत करके देश में एक विषाक्त वातावरण बनाने में वह लगा हुआ है। इनका आचरण सदैव नागरिक विरोधी रहा है। इन्होंने वर्ष 2014 से पहले के शासन में गैर जरूरी कानूनों को निरस्त करना तो दूर की बात है, बल्कि नए कानून भी इस तरीके से बनाते थे कि उससे आम जनमानस को सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना करना पड़े, यह उनके शासन काल की विशेषता रही है।

मैं यहां पर सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पूर्व यूपीए-2 की सरकार में प्रेस से जुड़े इस कानून को बदलने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन, दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो

पाए, जबकि उसमें जो प्रावधान थे, वे ऐज इट इज थे, उसमें कुछ भी नया नहीं था। विपक्ष बार-बार वर्तमान सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाता है। मैं आज यहां आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि उन्होंने प्रेस से जुड़े अपने कानून में, जो उन्होंने उस समय पर अमेंडमेंट लाने का प्रयास किया था, उसमें कॉलेज और यूनीवर्सिटी से निकलने वाले छात्रों के पत्र-पत्रिकाओं को भी कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया था। यह एक गैगिंग एक्ट नहीं हुआ तो क्या है?

(1430/NK/AK)

यह विधेयक इज ऑफ डुइंग बिजनेस जैसा है, यह इज ऑफ लिविंग बढ़ाने का सरकार का सार्थक प्रयास है। मैं पूरे मन से इसकी सराहना करता हूं। यह बिल इतना सरल और अच्छा है कि कोई भी आम आदमी इसे पढ़कर समझ सकता है। मैं इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताना चाहूंगा, विधेयक का मुख्य उद्देश्य है-प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिकाओं के शीर्षक, सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण की सरल ऑनलाइन प्रक्रिया तय करना, प्रेस महारजिस्ट्रार और प्राधिकारी को मुद्रक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करने का प्रावधान करना। समाचार पत्रों के परिचालन और सत्यापन से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबंध करना। भारत में विदेशी नियतकालिक पत्रिकाओं के अनुकृत संस्करण के प्रकाशन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

आज कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं, जो दुनिया में छपते हैं और भारत के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां लिखते हैं, उसका यहां के कुछ राजनीतिक दल के लोग भी समर्थन करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण प्रावधान आने वाला है, जिससे अब केन्द्र सरकार से अनुमति लिए बगैर कोई भी विदेशी पत्र-पत्रिकाएं कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन महारजिस्ट्रार द्वारा नियतकालिक पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द करने का अधिकार दिया जाएगा। प्रेस महारजिस्ट्रार द्वारा विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन और वित्तीय शास्तियां अधिरोपित करने से संबंधित उपबंधों का निरपराधीकरण भी किया जाएगा।

इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पत्र-पत्रिका को शुरू करने में पहले दो-तीन वर्ष लगते थे, कभी यहां चक्कर मारते थे, कभी वहां चक्कर मारते थे, लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद अब सिर्फ दो से तीन महीने में यह प्रक्रिया आनलाइन पूरी कर दी जाएगी। अगर कोई भी नागरिक नया पत्र या पत्रिका निकालना चाहता है तो उसे अधिकारियों के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि वह आराम से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेगा।

प्रिटिंग प्रेस के लिए भी यह विधेयक एक वरदान के समान है क्योंकि उन्हें भी बेमतलब के कम्पलाएंस से निजात दे दी गई है। अब उन्हें बार-बार अधिकारियों के समक्ष डिक्लरेशन भरने की बजाए बस इंटिमेशन देनी होगी। कुल मिलाकर मेरी नजर में यह एक बेहद महत्वपूर्ण और अच्छा विधेयक है।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, निशिकांत दुबे और महताब जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। लंबे समय से टाइटल एक्टिव नहीं है, उसे खारिज किया जाए, जो भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाए, पीसीआई का ड्यूज क्लियर नहीं करता, उनका टाइटल भी सस्पेंड होना चाहिए। हर काम के लिए सिंगल विंडो हो ताकि

काम आसान हो जाए। रोजाना अधिकारियों से मिलने का समय तय हो ताकि बाहर से आने वाले पब्लिशर्स को राहत मिले। प्रिंटर्स पब्लिशर्स के नाम टाइटल और आनरशिप ट्रांसफर की पॉलिसी को सरल करने के साथ-साथ समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन टोकन्स की संख्या बढ़ाई जाए। वर्तमान में केवल पांच टोकन्स देने की व्यवस्था है। सर्कुलेशन, वेरिफिकेशन की अपील के आवेदन के बाद समय सीमा में काम हो, ऐसा प्रावधान किया जाए। टेलीफोन ऑपरेटर्स तैनात किया जाए और संबंधित द्वारा दी गई शिकायतें रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ ही आरएनआई को वेबसाइट पर दें ताकि उसे मेल और टेलीफोन की जानकारी मिलती रहे।

इसके साथ ही जिस तरह से हमारी संसद में शब्दों में संसदीय और असंसदीय की व्याख्या की गई है। कई अखबार ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा लिखते हैं कि जिसको स्वयं पढ़कर व्यक्ति लज्जित हो जाए, शर्मसार हो जाए। उस पर रोक लगाने के लिए हम कानून में क्या प्रावधान कर सकते हैं कि संसदीय भाषा का ही उपयोग करें। कभी-कभी जाति सूचक भी लिखा जाता है और उस जाति को अपमानित करने का काम होता है।

मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस पर भी कुछ विचार करें। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, यह जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से न्यूज चला रहे हैं। फिर कहते हैं कि इसे दो लाख लोग देख रहे हैं, चार लाख लोग देख रहे हैं, बीस लाख लोग हमारे न्यूज को देख रहे हैं, उससे भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, उस पर भी रोक लगाने का काम होना चाहिए।

(1435/SK/UB)

अंत में, मैं इस विधेयक को देश में विचारों की स्वतंत्रता पुर:स्थापित करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं और पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस देश में अंग्रेजों के जमाने के कानून लादे गए थे जो कि 75 साल की आजादी के बाद आज तक चलते रहे। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद है, जैसा निशिकांत जी कह रहे थे कि आजादी के बाद उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने तय किया कि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनताशाही है, जनता का राज है, उनके अनुकूल ही शासन व्यवस्था करने का काम करें। इस दिशा में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। जय हिंद।

(इति)

1436 बजे

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता रहा। एक दिन सोचा कि कब तक खबरों के पीछे दौड़ोगे, एक दिन खुद खबर बन जाओ, इसके बाद मैं राजनीति के अंदर आ गया।

माननीय मंत्री जी द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2023 लेकर आए हैं। माननीय मंत्री जी ने शुरूआती कमेंट्स में कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए यह बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहां तो कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिनके लिए लाया जा रहा है, उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो न्यूज़पेपर्स को चलाते हैं, उनके एडिटर्स ने इस बिल के बारे में कहा - The Editors Guild of India has expressed concern over the draconian provisions of the Press and Registration of Periodicals Bill, 2023, that can have an adverse impact on freedom of press. They said, "the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies".

इस बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कम है, रैगुलेशन कैसे किया जा सकता है, अपने हाथों में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल का इंट्रोडक्शन एक बार गौर से पढ़ें - In the definition section, the term 'specified authority' gives powers to the Government agencies beyond the Press Registrar to conduct the functions of the Registrar. यानी प्रेस रजिस्ट्रार, जिसकी मौलिक जिम्मेदारी इसे पूरा कंट्रोल करना है। इस बिल के अंदर आपने प्रेस रजिस्ट्रार के अलावा स्पेसिफाइड अथारिटी को भी पावर्स दे दी हैं। स्पेसिफाइड अथारिटी कोई भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी हो सकता है। आप उनको अख्तियार दे रहे हैं कि तुम किसी भी अखबार के ऑफिस जा सकते हो, चैकिंग कर सकते हो, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। अगर प्रेस रजिस्ट्रार जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम पुलिस को अख्तियार दे देंगे कि न्यूजपेपर ऑफिस के अंदर जाकर चैक करो कि कितनी कॉपीज़ निकल रही हैं? आप इसका खुलासा करें। एडिटर्स गिल ने भी मांग की है कि इसका खुलासा करें।

Sections 4(1) and 11(4) allow the Registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of a terrorist act or unlawful activity, or for having done anything against the security of the State. मंत्री जी, आज यूएपीए ड्रेकोनियन कानून का कैसे

इस्तेमाल किया जा रहा है? कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने बिल पास किया है कि इसके और आईपीसी के अंडर कैसे कानून का दबाव लेकर आ सकते हैं, जिस लिबर्टी के साथ, जिस लिबरल तरीके के साथ इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं।

(1440/KDS/SRG)

अगर कल कोई अखबार सरकार के विरोध में कुछ लिखता है, आपकी लाइन टो नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल करते हुए एक्शन ले लें। इस पर भी हम खुलासा करना चाहेंगे। क्या पत्रकारों के ऊपर सेडिशन का कानून नहीं लगाया जा रहा है? कितने पत्रकारों पर आप सेडिशन का कानून लगा रहे हैं। मैं एक और चिंताजनक सेक्शन 6(बी) के बारे में बताना चाहता हूं, Section 6(b) of the Bill gives power to the Press Registrar, as well as any other “specified authority” to enter the premises of a periodical to “inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any questions necessary for obtaining any information required to be furnished”. मेरा आपसे फिर से यह सवाल है कि आपका क्या मतलब है, जब आप यह कहते हैं कि “specified authority” apart from the Press Registrar क्या डीएम को आप ये अख्तियार दे डालेंगे कि किसी पत्रकार के ऑफिस में जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, चेक करो, बराबर से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉपीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ये थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस आप क्यों लाना चाहते हैं, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि उसको वह अच्छी तरह से निभाए।

मंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड में कई लोगों की जानें गईं। मैं आज भी यह मानकर चलता हूं कि इस देश में हर मरने वाला इंसान कोविड से नहीं मरा था। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी खराब थीं, उनकी वजह से भी इंसान मरा था। यह अलग मुद्दा है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कोविड के बाद सबसे बड़ी चोट अगर किसी के ऊपर हुई, तो वह अखबारों पर हुई। सर्कुलेशन घट गया, तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू घट गया। अब ऐसे हालात में यह आपकी और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन अखबारों को कैसे जिंदा रखें। आपने यह किया कि डीएवीपी का जो बजट 800 करोड़ रुपये था, उसे 160 करोड़ रुपये पर ले आए। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, तो उर्दूभाषी अखबार, जो निकलते थे, उनका हुआ है, जो पूरी तरह से खत्म हो गए। मैं चाहूंगा कि आप यह आंकड़ा देश को बताएं कि कोविड के बाद कितने अखबार बंद हो चुके हैं, फिर चाहे वे मराठी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगू के अखबार हों या किसी अन्य भाषा के। यह दुनिया भर में हुआ, लेकिन दूसरे देशों ने अपने अखबारों को जिंदा रखने के लिए अपना पैकेज दिया, एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ाकर दिया, जबकि हमने बजट घटा दिया है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर ये रीजनल भाषाएं खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो आपकी जो सरकारी स्कीम्स हैं कि हम अगर मध्य प्रदेश या राजस्थान में जीतकर आ गए, तो इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में 1120 रुपये में गैस का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए यह है कि अगर हम जीतकर आ गए, तो हम 450 रुपये में देंगे। यह सब आपको रीजनल लैंग्वेजेज के जरिए ही लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर वर्नाकुलर डेलीज़ खत्म हो गए, बंद हो गए, तो आप सरकारी स्कीम्स वहां कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके अंदर पब्लिशर और प्रिंटर का भी जिक्र किया गया है।

मंत्री जी, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे औरंगाबाद शहर में एक लड़की पिछले कई सालों से पीएचडी के लिए रिसर्च कर रही थी। उसको पीएचडी मिल गई। उसकी जो थीसिस थी, उसे किसी ने चुरा लिया। उसके बाद उसकी बुक बनाई। उस बुक के ऊपर न पब्लिशर का नाम है, न प्रिंटर का नाम है और आप हैरान होंगे कि मेहनत बेचारी उस बच्ची ने की और वह बुक दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के बुक स्टोर्स, जिनमें एमेजॉन, वालमार्ट, ई-बे आते हैं, ने वर्ड टू वर्ड उस बच्ची का थीसिस कॉपी करके एक किताब बनाई और उस किताब में न पब्लिशर का नाम है, न प्रिंटर का नाम है और यह बुक 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये में आज भी वेबसाइट पर बिक रही है। वह बेचारी बच्ची जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पुलिस के पास गई और कहा कि यह मेरी मेहनत है, वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है, तो पुलिस को खुद नहीं पता कि हम वाल मार्ट, एमेजॉन तक कैसे पहुंचें? कॉपीराइट का उल्लंघन अगर कोई पब्लिशर ऐसे ही कर देगा, तो बेचारी बच्ची की मेहनत यहां से खत्म हो जाएगी।

(1445/MK/RCP)

दूसरा विषय, जैसा मैंने आपको बताया है, अभी एक साहब ने कहा कि कुछ अखबार संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी पत्रकार था। लेकिन, पहले हमारे संसद सदस्यों को भी यह सोचना चाहिए कि संसद के अंदर क्या हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? यह भी आपको बताना चाहिए।

इस बिल के अंदर, मैं माननीय मंत्री जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया है कि आज डिजिटल मीडिया, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर एक कांप्रिहेंसिव बिल लेकर आना है, आप इसके अंदर, आज जो यूट्यूब चैनल्स, सभापति महोदया, आपके शहर के अंदर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल शुरू हो गए होंगे, अखबारों से ज्यादा अब हम वाट्सएप के ऊपर देख लेते हैं कि क्या खबर आई है, क्या आप इसको रेगुलेट कर पाए हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या इसके लिए कोई रेगुलेशन है? कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई भी उठता है, आता और कहता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं और वह स्टार्ट कर देता है। अगर आप इसको भी इस बिल के अंदर लेकर आते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 20,098 पब्लिकेशन्स हैं, जिसमें तकरीबन 7000 महाराष्ट्र के अंदर उर्दू अखबार हैं। अगर इन अखबारों को जिंदा रखना है तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो सोच है, वह उर्दू की ताल्लुक से, यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश अंदर हमने जुबानों को भी मजहबों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। कितने ऐसे पुराने सदस्य 60, 70 और 80 साल के होंगे, जो उर्दू में पढ़े हैं, उर्दू लिखते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन, आज उर्दू को एक मजहब के साथ जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी एक शायर हैं, उस शायर ने उर्दू के ताल्लुक से अखबारों की क्या हालत हो रही है और उर्दू की क्या हालत हो रही है, इकबाल अशहर नाम के एक शायर ने इस पूरी जुबान को किस तरीके से आज दरकिनार कर दिया गया है, उसके बारे में चार लाइन है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी गौर से सुनिए,

"उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,
क्यों बनाते हो मुझको तास्सुब का निशाना"
मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना,
देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना,
अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली,
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।"

तास्सुब का मतलब भेदभाव है।

महोदया, इन जुबानों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी और अखबारों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। यह बिल, मैं समझता हूं कि प्रेस फ्रीडम की आजादी को कुचलने का और खत्म करने का एक जरिया है। आपने बहुत सारे इंस्टिट्यूशन्स अपने कब्जे में ले लिये हैं। मीडिया भी तकरीबन, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया आपके हाथों में आ चुका है। जो बचे-खुचे हैं, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते है? यह बिल उसकी तरफ जा रहा है। यह मैं अकेले नहीं कह रहा हूं। आप यह मत कहिएगा कि मैं विपक्ष के अंदर खड़ा हूं तो मेरी यह राय है। जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो हिन्दुस्तान के हर बड़े-छोटे अखबार को रिप्रेजेंट करता है, अगर उनके एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आपको यह कहता है कि यह प्रेस फ्रीडम के ऊपर इस बिल का हमला है। उन्होंने यह मांग की है, माननीय मंत्री जी मैं भी आपसे यह मांग करता हूं कि पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के सामने इस बिल को भेजा जाए, ताकि इस मीडिया की आजादी को, जिसको हमने पिछले 75 सालों से जिंदा रखा है, आगे भी यह जिंदा रहे। हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।

(इति)

1449 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अंग्रेजों के काले अध्याय से छुट्टी दिलाने के लिए अनुराग जी जो बिल लेकर आए हैं, उस पर बोलने का मौका दिया। यह बिल माननीय प्रधानमंत्री जी के उस गारंटी को पूरा करने का प्रयास है। पुरानी गुलामी की सब चीजों से निजात पाएं, जिनसे लोगों की गुलामी की तस्दीकियां बाहर हो जाएं। The Press and Registration of Periodicals Bill एक महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक विचारों के समावेशी और समय की मांग के अनुसार बहुत ही अच्छा कानून है।

सभापति महोदया, मैं सरकार को और देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।

(1450/SJN/PS)

माननीय सभापति महोदया जी, इससे पहले भी रीपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2023 को पारित किया गया था, जिसमें 76 पुराने गैर जरूरी कानूनी को निष्क्रिय किया गया था। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन कानूनों के लिए लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं, बेवजह के कानूनों की आड़ लेकर ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं सुनते थे, ऐसे 1,562 कानूनों से छुट्टी मिली है। आज अनुराग जी ऐसा 1,563वां कानून लेकर आए हैं। परंतु प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस बात को लेकर कुछ लोग यहां पर काफी लंबे समय से बड़ी नौटंकी कर रहे हैं। उनके पास और कोई विषय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि हम जो कहेंगे, उस गारंटी को पूरा करेंगे। ईमत्याज़ जलील जी, माननीय प्रधानमंत्री यही तो कहते हैं कि चर्चा करिए, सुझाव दीजिए और वे इस बात में भेदभाव नहीं करते हैं। आपके अंदर एक वहम है कि मैं विपक्ष से होकर सुझाव नहीं दे सकता हूं। विपक्ष का होने के बाद अगर आपका भी कोई सुझाव देशहित में है, जनहित में है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी बार-बार पूरे देशवासियों से यह बात कहते हैं। 'मन की बात' कार्यक्रम का मजाक उड़ाने वाले लोग सुनिए। वहां देश के करोड़ों लोगों के मन की बात होती है। जिनको कभी सुना ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया, उनकी प्रतिभा दबकर रह गई, वे अपने मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं और 'मन की बात' के कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। जहां तक प्रेस की आजादी की बात है, इस बिल एवं अन्य बिलों के माध्यम से, राजकुमार जी अनेकों प्रकार की बातें बोलते रहते थे, मैं सन् 1951 का उनके नाना नेहरू जी के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। वह एक कानून लेकर आए थे, सन् 1951 में नेहरू जी प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मैटर) बिल पास कराना चाहते थे। वह बिल तो पास नहीं करा पाए, उसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी जी ने उनकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए एक कविता लिखी थी। उनकी कविता के माध्यम से क्रिटिसाइज करने मात्र से नेहरू जी ने मजरूह सुल्तानपुरी जी को एक साल तक जेल में डलवा दिया था। क्या वह लोकतंत्र की आजादी थी? मैं देशवासियों से यह पूछना चाहता हूं। राहुल बाबा, एक बार यह भी बताइए।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं। कल्याण बनर्जी जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वे इस सदन का अपमान कर रहे हैं। वे किस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं। वह सरेआम पार्लियामेंट के प्रांगण में मिमिक्री कर रहे हैं और राजकुमार जी वीडियो/फिल्म बना रहे हैं। वह माननीय उपराष्ट्रपति एवं किसी ओबीसी समाज के बेटे का अपमान नहीं है, बल्कि अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान और उस पीठ का अपमान है, जिस पर वह बैठकर सदन को चला रहे हैं। वे उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई छेड़ भी नहीं रहा है, कोई उनसे कुछ बोल भी नहीं रहा है। इससे बड़ी आजादी क्या होगी? मैं उन राजकुमार जी से कुछ पूछना चाहता हूं। एक 'ऑर्गेनाइजर' नामक मैगजीन आया करती थी। पार्टीशन के समय कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चूक हुई है, अंग्रेजी की 'ऑर्गेनाइजर' मैगजीन उसमें यह छापना चाहती थी। वह आरएसएस के माध्यम से चलाई जाती थी। जब वह छप रही थी, तो ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाकर उस मैगजीन को आदेश दिया गया कि हमारा अप्रूवल लिए बगैर इस 'ऑर्गेनाइजर' मैगजीन में एक भी शब्द नहीं छपेगा। नेहरू जी ने उस जमाने में यह आदेश दिया था। इसी प्रकार से सन् 1953-54 का मामला है। 'क्रॉस रोड्स मैगजीन' पर सरकार ने बैन लगा दिया था। 'क्रॉस रोड्स मैंगजीन' के जो एडिटर थे, वे कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने उनके हित में आदेश पारित कर दिया था। कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के बाद नेहरू जी ने संसद में उसके खिलाफ एक कानून बनाया, ताकि उस मैगजीन पर रोक जारी रहे एवं इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री ए. डी. गोरवाला जी एक पत्रकार थे और वे एक सिविल सर्वेंट भी थे। वे टाइम्स ऑफ इंडिया में 'विवेक' नाम से एक साप्ताहिक कॉलम लिखा करते थे। उन्होंने 'विवेक' कॉलम के माध्यम से नेहरू जी कि कुछ पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर दिया था, जो बाहर मीडिया में या इधर-उधर चिल्लाते हैं, जो आपके घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 'विवेक' कॉलम लिखने वाले एक सिविल सर्वेंट एवं एडिटर ए. डी. गोरवाला थे, उन्होंने बैन करवा दिया कि इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका कोई भी एडिटोरियल नहीं छपेगा। यह कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ था।

उसके बाद एक हो, दो हो, चार हो, मैं और क्या-क्या बताऊं। 'सिंहभूम एकता और समता' के एडिटर्स अजय मित्रा जी और गुरु शरण सिंह जी थे, क्योंकि उन दोनों ने 'सिंहभूम एकता और समता' नामक पत्रिका में सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए सन् 1980 में नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार करवा लिया था।

(1455/SPS/SMN)

मैं नाम कोट कर रहा हूं। बीजी वर्गीज़ ने मारूति कंपनी बनने पर एक परिवारवाद के नाम से परिवारवाद आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कॉलम हिन्दुस्तान टाइम्स में लिख दिया। वह हिन्दुस्तान टाइम्स में नौकरी किया करते थे। उसके छपने के अगले ही दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको नौकरी से बाहर निकलवा दिया। बीजी वर्गीज़ हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार हुआ करते थे। मैं वर्ष 2020 में आना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में अर्नब गोस्वामी जी ने महाराजा शहशांह जिल्ल ए इलाही श्रीमती सोनिया गांधी जी से मात्र एक सवाल पूछ लिया था। सोनिया जी से सवाल पूछने पर अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ सौ मुकदमे दर्ज कर दिए

गए, उनके दफ्तर पर छापा मारा गया और अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह लोकतंत्र की प्रेस की आजादी है और क्या यह लोकतंत्र की आजादी है? सभापति महोदया, एक बौने दुर्योधन साहब दिल्ली में महाराजा बने बैठे हैं। वह कहते थे कि मैं लोकतंत्र को लेकर आऊंगा। सोनिया भ्रष्ट हैं, सिब्बल जी भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पंचायत है, लेकिन आजकल उन्हीं की गोदी में झूल रहे हैं। उन्हीं की गोदी में झूलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 50-56 करोड़ रुपये का एक शीशमहल दिल्ली में बनवाया है। वह यह कहता था कि मैं दो कमरे के मकान में रहूंगा। शीला दीक्षित को 27 एसी के मकान में रहने की क्या जरूरत है? मुख्य मंत्री दो कमरे के मकान में क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने कोविड के समय में अपने लिए 50 करोड़ का शीशमहल बनवाया। अध्यक्षा जी, दुनिया कोविड से जूझ रही थी, लेकिन उनके शीशमहल का काम चल रहा था। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था। इन्होंने उस पत्रकार को पंजाब में एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में बंद करवा दिया और उस लड़की को जेल में भिजवा दिया। जब वह हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने एफआईआर को कोअर्स किया, उनकी जमानत ली और इनके मुंह पर तमाचा मारा। हाथ में हाथ मिलाकर कौन चल रहा है? ये घमंडिया गठबंधन के रूप में ... (*Expunged as ordered by the Chair*) के साथ कौन चल रहे हैं, बौने दुर्योधन साहब के हाथ में कौन चल रहे हैं? मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं। इसी प्रकार से भावना किशोरी जी पत्रकार थीं।

महोदया, अभी कहा गया कि ईमानदारी से सारे खाते और पार्टी के सारे अकाउंट्स ऑनलाइन डालेंगे। ईडी ने घमंडिया गठबंधन के बौने दुर्योधन साहब को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया। वह पंजाब चले गए और ईडी का नोटिस वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ईडी का नोटिस नहीं लेता है। क्या यह बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून की बराबरी हो रही है? देश के 130 करोड़ लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को इसीलिए आशीर्वाद दिया था कि बड़े-बड़े मगरमच्छ देश को लूट रहे हैं, लालू जैसे लोग ऐशो-आराम लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक माफिया लोग किस प्रकार से लोगों का हरासमेंट करके और मर्डर करके संपत्तियों पर कब्जे करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। वे बड़े-बड़े अफसरों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे। जो खुद देश के मालिक बनकर देश को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि ऐसे लोगों बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार से गरीब के पैसे खाएगा, वह किसी भी विचारधारा और सोच का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। छोटे-मोटे लोगों, गरीबों और मजदूरों के खिलाफ ऐक्शन होता है, लेकिन जब बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ ऐक्शन होता है तो कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने जो बातें कहीं हैं, यह इस बात का द्योतक है। हमारे यहां एक कहावत है कि भैंस अपने रंग को नहीं देखती है कि उसका रंग कैसा है, लेकिन भैंस छाते को देखकर बड़ी उछल-उछलकर भागती है। यह हाल इन घमंडिया गठबंधन वालों का है। ये अपने बैकग्राउंड में जाते नहीं है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मोदी जी की सरकार पर आक्षेप लगाने और तानाशाही की बात कर रहे हैं। हम लोगों को इससे और उस तानाशाही से कंपेयर करना चाहिए। इस बिल के अंदर यह

है कि कोई भी आम आदमी इसको आसानी से पढ़ सकता है। जो नौजवान हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो अपनी प्रतिभा को लेकर लोकतांत्रिक पद्धति से देश का भविष्य बनाने और नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अच्छे विचार लिख सकते हैं, वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने लेख कानूनी तरीके से लिख सकते हैं। वे अनुराग जी के मंत्रालय के माध्यम से वे मदद भी मांग सकते हैं। मुझसे पहले किसी ने बोला है कि लोग दो-तीन साल तक चक्कर काटते थे, लेकिन इस बिल के अंदर ऐसा है कि अब उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

(1500/MM/SM)

अपनी पत्रिका निकालना चाहते हैं, अपना छोटा-मोटा न्यूजपेपर निकालना चाहते हैं तो वह उसको अमलीजामा पहना सकते हैं। मेरा एक निवेदन माननीय मंत्री अनुराग जी से है और इस बिल को लेकर दो-तीन सुझाव भी हैं। पहला सुझाव तो यह है कि जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको कहीं न कहीं बड़े-बड़े मीडिया घराने गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए कोई न कोई हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था जर्नलिस्टों की सीनियोरिटी के हिसाब से होनी चाहिए। उसके लिए सरकार कोई पैमाना बनाए। उनके हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। ऐसे पत्रकार बेबाकी के साथ राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। इसके साथ-साथ हर क्षेत्र में, हर वर्ग में हर प्रकार के लोग होते हैं। तीन-चार अन्य माननीय सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की है कि कुछ गंदे किस्म के लोग भी हर व्यवसाय में होते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, उनकी कोई पत्रिका निकालने से पहले हमें उनका पिछले तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कहीं वे कोई छोटी-मोटी पत्रिका या अखबार निकालकर लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे तो वसूल नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का पिछले दो साल, ढाई साल या तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ही उनकी सीनियोरिटी के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। उनको तभी परमिशन मिलनी चाहिए कि वे इस प्रकार के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार पत्रिका या अखबार निकालने के लिए एंटाइटल हैं या नहीं हैं। इस एक अच्छे बिल के ऊपर जो देश में प्रेस की आजादी को लेकर और आने वाले देश के भविष्य, नौजवानों के विचारों को व्यक्त करने के लिए, देश के आम जन तक पहुंचाने के लिए, जो उनको छूट की आजादी मिली है, कुछ चंद लोगों के हाथों में मीडिया और पत्रकारिता न रहे, आम देश के व्यक्ति को उपभोग करने का अधिकार हो, नये रूप में यह बिल लेकर आए हैं, जो डेढ़ सौ साल पुराना बिल था, उससे निजात दिलाई है। मैं पुन: एक बार फिर से अनुराग जी को बधाई देते हुए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1562 के बाद1563वें कानून को भी आज तिलांजलि देने का काम किया है, जो कि डेढ़ सौ साल पुराना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1502 बजे

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): धन्यवाद सभापति महोदया। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक बहुत ही अच्छा कानून है और नये भारत में नया कानून बनना भी चाहिए। देश में हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद से पिछले अनेक वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह उन्होंने देश के लोगों को हर तरह से सेवा मिले, बेहतर सुशासन हो, उसके लिए उन्होंने हमेशा चिंता की है। उसी के अनुरूप आज जो कानून हमारे बीच में लाया गया है, यह बेहद ही न्यायसंगत है। सबसे पहले तो मैं सरकार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी को और माननीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रेस पर अंग्रेजी शासन के उस काले अध्याय को समाप्त कर भारत शासन की स्थापना की है और समाज को एक नई दिशा देने की शुरूआत की है। माननीय सभापति महोदया, अभी हाल ही के दिनों में हमने मिलकर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2023 पारित किया है, जिसमें 76 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को निरस्त किया गया है जो आज के दौर में बेहद जरूरी भी था। मैं इस सदन का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी का भी पुन: आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अब तक के नौ वर्ष के शासन काल में रिकॉर्ड 1952 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को चुन-चुनकर निष्प्रभावी कर दिया है। समाज के भीतर में उन कानूनों से हमेशा लोगों के विपरीत काम होता था, समाज के विपरीत काम होता था। उनको निरस्त करके एक नये कानून को लाने का काम किया है, जो देश के हित में है, समाज के हित में है, लोगों के हित में है। आज इससे सरकार की सिटीजन सैंट्रिक नीतियों का पता चलता है, नयेपन का पता चलता है। माननीय सभापति महोदया, अभी-अभी आप देखिए कि जब हम देश के हित में इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे विपक्ष के लोग गायब हैं।

(1505/YSH/RP)

ये अक्सर सरकार के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं और विदेश में जाकर कहते हैं कि ये हमें बोलने नहीं देते हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जब सब कुछ सामान्य है तो उनके पास समय नहीं है और वे वॉकआउट करके बाहर बैठे हुए हैं। सभापति महोदया, इनका आचरण सदैव नागरिक विरोधी रहा है। वर्ष 2014 से पहले के शासन में गैर जरूरी कानूनों को निरस्त करना तो दूर, बल्कि ये नए कानूनों को भी इस तरीके से बनाते थे, जिससे आम जनमानस को सिर्फ दिक्कतों का सामना ही करना पड़ता था। वे समाज के लिए एकदम विपरीत थे और किसी तरह से भी हितकारी नहीं थे।

सभापति महोदया, मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 के पूर्व यूपीए – 2 की सरकार में प्रेस से जुड़े उन कानूनों को बदलने का निरर्थक प्रयास किया गया था, लेकिन यह तो भला हुआ कि वह कानून पारित ही नहीं हो पाया। अन्यथा उस कानून में सन् 1867 के अंग्रेजों के कानूनों से कुछ भी भिन्न नहीं था। उन्होंने जनता को प्रताड़ित करने के लिए उस कानून में 50 से ज्यादा क्लॉज रखे हुए थे। जेल का प्रावधान भी वैसे का वैसा रखा गया था। वह यहां के लोगों की सुविधा से परे था। वह और ज्यादा घातक था, जिसके चलते आज वर्तमान में इस कानून को मोदी जी की सरकार ने समाज के हित में, लोगों के हित में, जो बेहतर हो, उसको देखकर इसे लाने का काम किया है।

सभापति महोदया, विपक्ष बार-बार वर्तमान सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाता है। मैं यहां आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रेस से जुड़े कानून में कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्रों को तथा पत्र-पत्रिकाओं को कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया है। प्रेस समाज के विरोधी तत्वों को, जो समाज के लिए घातक हैं और गलत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को पत्रिका के माध्यम से हीरो जैसा बनाकर समाज के भीतर लाने का प्रयास किया जाता हैं, जो काफी निंदनीय है। हमने उसका पुरजोर विरोध किया था। आज भी हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, जो समाज के हितकारी नहीं हैं, देश के हितकारी नहीं हैं और वे दूसरों के बीच में देश को बदनाम करने में जुटे रहते हैं। सभापति महोदया, यह विधेयक ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने की दिशा में सरकार का एक नया सार्थक प्रयास है, जो कि काफी सराहनीय कदम है। मैं पूरे मन से इसकी सराहना करता हूँ। यह इतना सरल और अच्छा है कि कोई भी आम आदमी इसे पढ़कर समझ सकता है। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले किसी भी पत्र या पत्रिका को शुरू करने में दो से तीन वर्ष लग जाते थे। इससे लोगों का उत्साह घट जाता था और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ जाती थीं, लेकिन इस विधेयक को लाने के बाद लगभग दो या तीन महीने में ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। लोगों की जो परेशानी थी, वह खत्म हो जाएगी। हम कम समय में इसकी शुरुआत कर सकेंगे। सभापति महोदया, अब अगर कोई भी नागरिक नई पत्र या पत्रिका निकालना चाहता है तो उसे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि अब इसे आराम से घर बैठकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यह भी सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी यह विधेयक वरदान के समान है। अब इसमें बेमतलब की कंप्लायंस से निजात दे दी गई है। अब उन्हें बार-बार अधिकारी के समक्ष डिक्लेरेशन भरने के बजाय इंटीमेशन देना होगा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में लगातार समाज विरोधी कई ऐसी चीजों को लोग दिखाने का काम करते हैं, जिससे आम लोगों पर असर पड़ता है। छोट-छोटे बच्चों में भी इसका बुरा असर देखा जाता है।

(1510/RAJ/NKL)

आज हम वह दिन नहीं भूले हैं, जब आपात काल के समय इंदिरा जी की सरकार थी, उस समय किस तरह हमारे पत्रकार बंधुओं पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई थी, आज यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। मेरी नजर में यह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा विधेयक है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के बाद देश में ऐसे प्रधान मंत्री जी का आगमन हुआ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और वे देश के मान और स्वाभिमान को विश्व क्षितिज पर ऊंचा करने में कामयाब रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है, जब भारत वर्ष 2047 में पहुंचेगा और 100 साल पूरा करेगा। देश के प्रधान मंत्री जी की सोच है कि नए भारत का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह बात सही है कि मैं इस विधेयक को, देश के विचारों को, स्वतंत्रता प्रतिस्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक मानता हूं। मैं पूरे मन से इसका समर्थन करता हूं।

मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी की और भाई अनुराग ठाकुर जी को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हुए, अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। (इति)

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS

1511 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Madam, with your permission, I rise to move:

> "That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri Deepak Baij, Shri D.K. Suresh and Shri Nakul K. Nath, MPs, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, through display of placards and entering into well of the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

*HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI RAMA DEVI): The question is:

> "That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri Deepak Baij, Shri D.K. Suresh and Shri Nakul K. Nath, MPs, in utter disregard to the House and the authority of the Chair, through display of placards and entering into well of the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

The motion was adopted.

---

* Original in Hindi

प्रेस और नियतकालिक पत्रिका
रजिस्ट्रीकरण विधेयक - जारी

1512 बजे

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। मैं यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, जैसे महत्वपूर्ण विषय को लाकर एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया है और प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है।

महोदया, हम सभी लोग जानते हैं कि देश की आजादी के बाद से आज तक प्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आजादी के समय भी प्रेस के माध्यम से लोगों ने अपने विचारों को जनता के समक्ष ला कर, जनता का समर्थन प्राप्त किया और उनके बड़े योगदान से आजादी मिली।

भारतीय लोकतंत्र में संविधान यह कहता है कि लोकतंत्र का यह चौथा बड़ा मजबूत स्तम्भ है, जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर पर ये समाज को और देश को एक गति प्रदान करने का काम करते हैं। एक जमाना था, जब हम केवल प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को जन तक पहुंचाते थे। जमाने में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। कुछ समय के बाद रेडियो हमारा सहारा बना।

(1515/KN/VR)

बाद के दिनों में दूरदर्शन एक सहारा बना। धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़ते गए। अब तो डिजिटल का जमाना आ गया है और आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा कर अपनी बातों को, समाज की बातों को, देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं।

महोदया, हम माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि विगत सालों में अंग्रेजों के जमाने के वे कानून, जो उनके हित के लिए थे। देश के हित के लिए नहीं, समाज के हित के लिए नहीं, बल्कि उनके हित के लिए थे, उनकी सुरक्षा के लिए थे, अंग्रेजियत को मजबूत करने के लिए, लोगों पर जुल्म ढाने के लिए, कई सारे कानून थे। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में धीरे-धीरे यह सोच बहुत सकारात्मक हुई और उन तमाम कानूनों को, जिनकी आज के माहौल में, आज के परिवेश में बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं थी, कई कानूनों को समाप्त करने का काम किया गया है। उसी कड़ी में अभी हाल के दिनों में यशस्वी गृह मंत्री जी ने तीन नए विधेयक लाकर एक नया रूप-स्वरूप कानून को देने का काम किया है और न्याय की व्यवस्था करने का काम किया है। नए भारत का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया है, उसके लिए भी हम अपने प्रधान मंत्री जी का और गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उसी कड़ी में यह कानून वर्ष 1867 में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम बना था। मैं समझता हूं कि यह कानून अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बना था। मैं

समझता हूं कि बाद के दिनों में सरकार ने इस बात को सोचने का काम किया है। वर्तमान सरकार द्वारा आज इस सदन के माध्यम से इस कानून को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है।

साधारण बात यह है कि प्रावधानों और विचारों का इस कानून के माध्यम से, जो पहले का कानून था, उसके विचारों का गला घोंटने का काम किया जा रहा था। आज वर्तमान सरकार इसे परिवर्तित करने का काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार, जो हमारी सरकार से पहले थी, जिसको घमंडिया इंडिया, जो आज नहीं हैं, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मेरे संसदीय जीवन का बड़ा काल हुआ है, मैंने इस तरह की हरकत विपक्ष के माध्यम से नहीं देखी है। लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र को तार-तार करके रख दिया है। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): उस सारी भूमिका को खत्म करने का काम किया है।... (व्यवधान) महोदया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : टाइम की थोड़ी सी कमी है। आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मुझे पता नहीं है कि जब मैं बोलना चाहता हूं, तब चेयर से रूलिंग हो जाती है कि बैठ जाओ।... (व्यवधान) मैडम, ऐसा नहीं करिये। आपका संरक्षण चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि आपका संरक्षण मिलेगा। महोदया, मैं यह कह रहा था कि जो महत्वपूर्ण बिल लाया गया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने का काम माननीय अनुराग ठाकुर जी ने किया है और एक नया संदेश देने का काम किया है।

मैं इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा। जो नया कानून आया है, जिस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं, प्रकाशकों को पत्रिका के रजिस्ट्रेशन या संशोधन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया काफी आसानी से केवल एक चरण में पूरी की जाएगी। कानून में पहले यह आठ चरणों में होती थी यानी लालफीताशाही की व्यवस्था का अंत इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति नहीं देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, जो एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है।

(1520/VB/SAN)

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल सभी पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे। छोटे अपराधों के लिए ज्यादातर प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का भी प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। विधेयक का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है। जवाबदेही तय की गई है कि कोई भी पंजीकरण 60 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी। भारत में विदेशी पत्रिकाओं को स्थानीय एडिशन के प्रकाशन के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व मंज़ूरी का प्रावधान किया गया है ताकि कोई भी विदेशी ताकत अपने खतरनाक विचार थोप न सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

मैं समझता हूँ कि विधेयक में प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होंगे। यह पहली बार एक मजबूत व्यवस्था की गई है।

महोदया, अखबार और पत्रिकाएं आज भी घर-घर में जगह बनाये हुए हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आने के बाद अखबार और पत्रिकाएं डिजिटल स्वरूप में भी आने लगी हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : यादव जी, आपकी बात पूरी हो गई।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : महोदया, हम सब जानते हैं कि डिजिटल युग में आतंकवाद और अलगाववाद जैसे खतरे तेजी से हमारे सामने आ रहे हैं, जो देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती हैं। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ने उन चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया है। कोई भी, कहीं से भी अपने खतरनाक विचारों से आग लगा सकता है। आज कोई भी, कहीं से भी डिजिटल पत्रिका निकाल ले रहा है। डिजिटल न्यूज से अफवाह फैलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जुगल किशोर शर्मा जी।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : महोदया, मुझे एक मिनट का समय दे दिया जाए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : ठीक है। आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : अत: इसका कंट्रोल बहुत जरूरी था और यह इस कानून के माध्यम से किया जाएगा।

नियमों के दायरे में आने से देश विरोधी तत्त्वों का खात्मा होगा, गलत सूचनाएं फैलाने वालों पर लगाम लगेगी, लेखकों और विचारकों को एक कानूनी ढाँचा मिलेगा। सरकार ने इस बिल के माध्यम से अधिक स्वतंत्रता देने की कोशिश की है। यह लोकतंत्र में हमारे विश्वास को बढ़ाने का काम करेगा।

मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करते हुए, प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक क्रांतिकारी बिल लाकर प्रेस की स्वतंत्रता को और जो कई प्रकार की कमियाँ थीं, उनको दूर करने का काम किया है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1523 बजे

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू) : माननीय सभापति महोदया, प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में अनुराग ठाकुर जी प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए लाये हैं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तभी से ढूँढ-ढूँढकर वे सारे कानून, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाये थे, गरीब और असहाय लोगों को तंग करने के लिए बनाये थे और इसके साथ ही, देशहित में काम करने वाले जो देशभक्त लोग थे, उनको तंग करने के लिए बनाये थे, अब उनको निरस्त करने का समय आया है। इसलिए वे सारे काले कानून एक के बाद एक करके निरस्त हो रहे हैं।

महोदया, देश के नागरिकों ने यह कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कल ही इस सदन में पुराने कानूनों को निरस्त कर नये विधेयक लाये गये हैं, उन पर चर्चा हुई और वे पास भी हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से ही पूरे देश भर में एक बड़ी चर्चा हो रही है, विशेष तौर पर देश की महिलाओं, बच्चों, असहाय लोगों, गरीब लोगों और हमारे दिव्यांग भाई-बहनों में एक खुशी का भाव है।

(1525/PC/SNT)

उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। इसमें कोई दोराय नहीं है कि एक के बाद एक ऐसे कानून यहां पारित हो रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हर तरह की समय अवधि रखी गई है। विशेष तौर पर अब अगर कोई भी नागरिक नया पत्र या पत्रिका निकालना चाहता है, तो उसे अधिकारियों के यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वह आराम से घर बैठे ही इसे ऑनलाइन कर सकता है।

हमारे पास कई लोग आते थे, वे कहते थे कि हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। हमें अपना कोई पत्र दीजिए, हमारी सिफारिश कीजिए, लेकिन अब देश के नागरिकों को इस सबसे भी निजात मिलेगी।

सभापति महोदया, मैं सदन का ज्यादा समय ने लेते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये कानून, जो आज बदले जा रहे हैं, ये पहले भी बदले जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस की नीयत सही नहीं थी। न ही वह गरीब जनता की चिंता करती थी, न दिव्यांगों की, न महिलाओं की, न बच्चों की और न ही देशभक्तों की। इसीलिए, उन पुराने कानूनों के माध्यम से ही सरकारें चलती रहीं और गरीब पिसता रहा। सभापति महोदया, आज श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार ने वे सारे कानून निरस्त किए हैं, जिनसे नुकसान होता था, लोगों को तय किया जाता था। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानूनों से, जिनका लाभ आज जनता को मिल रहा है, वे सारे कानून अब पास हो रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा ये जो कानून लाए गए हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लाए गए – “प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रिकरण विधेयक, 2023” पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद। (इति)

1527 बजे

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं सरकार द्वारा पेश किए गए The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के आजाद होने के बाद अब 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आजादी से 80 साल पहले प्रेस के लिए जो कानून बना था, वह कानून आज तक चल रहा है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के हिसाब से वह कानून बनाया था। आजादी की लड़ाई में प्रेस के हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। उस जमाने के पत्रकारों ने कैसे समाचार पत्र छापने शुरू किए? साइक्लोस्टाइल से न्यूज बनाई, गांव-गांव उनको भिजवाने का काम किया। निश्चित रूप से देश की आजादी में उनका बहुत महत्व है। उस जमाने में ज्यादातर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। इस कानून के आधार पर हमारे बहुत से उन समरवीरों को जेल की प्रताड़ना दी गई और हमको आजादी से वंचित रखने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया। देश के कोने-कोने में पता ही नहीं चलता था कि कहां, क्या हो रहा है? उस जमाने में पत्रकारिता के क्षेत्र में यह काम हुआ। इन बिल्स के माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी पूरे देश में, जगह-जगह जो परिवर्तन ला रहे हैं, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे मीडिया के लोगों को कैसे सुविधा मिले और कैसे स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ वे लोग काम कर पाएं, उसके लिए यह बिल सरकार लेकर आई है। पहले आठ विंडोज में जाना पड़ता था और अपने समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भटकना पड़ता था। इसमें महीनों का समय लगता था। अब सीधे एक विंडो पर जाकर लोग किसी भी समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़ा सरल कानून बनाया जा रहा है, अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। पहले छोटी-छोटी गलतियों में पत्रकारों को सालों की जेल हो जाती थी, उन्हें छः-छः महीनों तक जेल में रहना पड़ता था। अब छोटी-मोटी कमियों को नजरंदाज करने का काम किया गया। सभापति महोदया, आपने मुझे समय की मर्यादा दी है। हमारे पूर्व के वक्ताओं द्वारा लगभग सभी विषय आ चुके हैं। मैं थोड़ी सी बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं।

(1530/CS/AK)

महोदया, हमारा कांग्रेस का जो विपक्ष है, इन्होंने देश आजाद होने के बाद मीडिया को अपना एक अस्त्र बनाकर रखा और केवल उन समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों को बढ़ावा देने का काम किया, जो उनके अनुसार काम करते थे। जो अच्छी निष्ठा के साथ पत्रकारिता करना चाहते थे, उनके सामने अनेकों कठिनाईयाँ आयीं। समय-समय पर उनको बहुत दिक्कतें हुईं। हमारे बड़े-बड़े अच्छे पत्रकार लोगों को पत्रकारिता से अलग हटना पड़ा। आपने देखा कि इमरजेंसी के दौरान जब देश सच्चाई जानना चाहता था कि देश किस स्थिति में है, उस समय कांग्रेस की सरकार ने सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया के लोगों को, जितनी भी हमारी प्रेस थीं, सभी को बंद करने का काम किया, जेलों में ठूँसने का काम किया। इस समय जो हम सभी लोग इधर बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ लोग इमरजेंसी में 19-19 महीने, 20-20 महीने जेलों में रहकर आए हैं।

महोदया, पहले पत्रकारिता का काम लोग सकारात्मकता से करते थे। वे पत्रकारिता के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम करते थे। आज भी ऐसे हमारे बहुत पत्रकार बन्धु हैं, चाहे प्रिन्ट मीडिया में हों, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हों, वे अच्छा काम करते हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): अब आप बैठ जाइए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदया, मैं आपसे दो मिनट का समय चाहूँगा। बहुत आवश्यक है कि हमारे मीडिया में जो लोग अभी हैं, वर्तमान में कुछ गिरावट भी आने का काम हुआ है, उस वजह से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी छवि धूमिल हो रही है। जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, समाचार चैनल हैं, उनकी भी छवि धूमिल हो रही है। इससे स्वयं मीडिया जगत के लोग बहुत परेशान और आहत हैं। वे इस बात से आहत है कि जो हाईस्कूल, इंटर फेल लोग हैं, आजकल वे भी यूट्यूब चैनल बनाकर, मीडिया की आईडी लेकर जगह-जगह ऑफिसेज में जाकर, अच्छा काम करने वालों के यहाँ जाकर, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं यह सदन के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, इस तरह के लोग सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोगों को आहत करने का काम कर रहे हैं। वे आईडी लेकर विभागों में वसूली करने का काम करते हैं।

माननीय सभापति : आपकी बात हो गई है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): जो अच्छे काम हो रहे हैं, वे उनको रोकने का काम करते हैं। आप देखें कि आजकल युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की सेवा कर रही है, संस्कृति को लेकर काम कर रही है, लोग अपने माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे समाचार पत्रों में ऐसे लिखा जाता है, जैसे देश में कोई अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहा है। ऐसा लिखा जाता है कि हमारे यहाँ मातृ शक्ति का सम्मान नहीं है। 90-95 परसेंट हमारे देश का नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे हिन्दुस्तान के परिवार पूरी दुनिया के सबसे सशक्त और मजबूत परिवार हैं। केवल मीडिया में जो कुछ ऐसे लोग, तथाकथित पत्रकार आ गए हैं, उन्होंने परसेप्शन बदलने की कोशिश की है। ऐसे लोग दुनिया में भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति : आपका भाषण हो गया है। अब आप बैठ जाइए।

माननीय मंत्री जी।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदया, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है। जो मीडिया ट्रायल करने लगे हैं, आप देखते हैं कि कोई भी छोटा सा केस होता है, मीडिया ट्रायल करते हैं और सच्चाई से गुमराह करने का काम करते हैं। हमारे जितने देशवासी हैं, उनको इस बात को लेकर कई बार अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती हैं।

माननीय सभापति : अब मंत्री जी को बोलने दीजिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदया, अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। आज यह बिल माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, मीडिया के लोगों को सुविधा हो, अच्छे लोग आगे आएं, राष्ट्रवादी विचारधारा से निष्पक्षता से पत्रकारिता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का केवल यही उद्देश्य है और भारत माता परम वैभव पर पहुँचे, दुनिया का सिरमौर भारत बने, इसी के लिए यह बिल आया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बार-बार प्रधानमंत्री जी का और अपने अनुराग ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट करके अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत। (इति)

1533 बजे

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): आदरणीय सभापति जी, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 पर आज माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी, के.जी.माधव जी, राहुल शेवाले जी, महताब जी, इम्तियाज जलील जी, गणेश सिंह जी, रमेश बिधूड़ी जी, बिद्युत बरन महतो जी, राम कृपाल यादव जी, जुगल किशोर जी और पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी, सुझाव दिए। एकाध ने कटाक्ष भी किया होगा। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। यह विधेयक क्या करने वाला है? यह कोलोनियल माइंडसेट और क्रिमनैलिटी से छुटकारा दिलाने वाला है और डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आपको देना वाला है। यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी, उस समय के बने कानून से मुक्ति मिलेगी और जो छोटी-छोटी गलतियों पर भी जेल जाने का डर रहता था या जेल में डाल दिया जाता था, अब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब वह डर भी चला गया और छोटी गलती पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। यह इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। उस समय के कानून के हिसाब से दबाने का काम किया जाता था, अब आगे बढ़ाने का काम किया जाता है।

(1535/IND/UB)

सभापति महोदया, उस समय अंकुश लगाए जाते थे, लेकिन अब अवसर देने का काम किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। विकसित भारत वर्ष 2047 तक बने, यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा है और जन भागीदारी से इसे जन आंदोलन बनाने का एक प्रयास किया है। उसी दिशा में मोदी सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। मीडिया स्वतंत्र भी रहना चाहिए और उसे अवसर भी मिलना चाहिए। मीडिया को दबाने का कोई काम नहीं करना चाहिए। जब इन्हें दबाने का काम, कुचलने का काम अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस के जमाने तक किया गया, तब भी कोई खड़ा हुआ था, तो उस समय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े थे। इनकी पूर्व की वर्ष 2004 से 2014 तक की सरकार में भी एक प्रयास किया गया था कि जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म्स हैं, उनके माध्यम से भी इन्हें दबाने का प्रयास किया गया। जब इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई और हम लोग विपक्ष में खड़े हुए तब वे लोग पीछे हटे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह जो पीआरबी एक्ट है, यह वर्ष 1867 का है। अंग्रेज चले गए और अपनी सोच छोड़ गए। यानी कि वर्ष 1867 में जो हुआ था, वह एक सोच थी कि स्वतंत्रता से जुड़े लोग अपना समाचार पत्र शुरू न कर सकें। अपना समाचार पत्र शुरू करने के लिए डीएम के पास जाना पड़ता था, इसलिए उसमें जेल की सजा भी रखी गई थी। आज आजाद भारत में चक्कर काटने का काम नहीं, केवल बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के प्रयोग से आगे बढ़ाने का काम होता है। समाचार पत्र शुरू करने के आठ स्टेप्स थे। पहले डीएम के पास जाओ और टाइटल वेरीफिकेशन कराओ। डीएम के पास तो 36 तरह के काम होते हैं, उसके पास कहां इतना समय होता था? कई महीने बाद वहां से क्लीयर होने के बाद आरएनआई का

नम्बर आता था। फिर वह टाइटल की वेरीफिकेशन करता था। वह फिर रजिस्ट्रेशन के लिए वापस नीचे भेजा जाता था। ऐसे आठ पहलू थे। अब आठ नहीं केवल एक ही बार और आपको डीएम के पास नहीं, आपको आरएनआई के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है और डीएम को उसकी कॉपी करनी है। यदि साठ दिनों में डीएम ने जवाब नहीं दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साठ दिन बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यह मोदी सरकार ने करके दिया है। जलील साहब, आपने 24 साल पत्रकारिता तो की, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कितनी बार अखबार या पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए होंगे। यदि आप गए होंगे तो कई साल इंतजार करना पड़ा होगा। आप एक नया समाचार पत्र या पत्रिका निकालिए, दो महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, यह मोदी सरकार की गारंटी है। मुझे यह समझ नहीं आता कि ये किस दुनिया में और कौन वे लोग हैं, जो इस बिल की आलोचना करते हैं। ये शायद कांग्रेस के वे समर्थक हैं जिनको दफ्तरों के चक्कर लगवाने में आनंद आता था। जिनको इंस्पेक्टर राज में आनंद आता था।

सभापति जी, एक प्रयास वर्ष 2011 में भी किया गया। वर्ष 1867 का जो बिल था, उसी की तर्ज पर वह बिल लाया गया यानी कि अंग्रेजों की सोच थी, वही सोच कांग्रेस लेकर चली थी। वही गुलामी की मानसिकता से वे बाहर निकल ही नहीं पाए। वे भी डीएम के माध्यम से सजा देने के पक्ष में ही थे। वे एक कदम और आगे बढ़ गए थे कि यदि कोई कालेज, यूनिवर्सिटी में अपना जनरल भी निकालता है तो उसकी अनुमति भी वर्ष 2011 के बिल हिसाब से लेनी पड़ती, लेकिन आज वह नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बुक की बात कही, उसके लिए मैं कह दूं कि उस समय बुक को भी इसके अधीन लिया गया था। चूंकि यह एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, हमने इसमें से उसे निकाल दिया है और उन्हें बुक छपवाने के लिए परमिशन लेने के लिए वहीं जाना पड़ेगा और यह केवल समाचार पत्र और पत्रियों तक ही सीमित किया है। इसे स्मार्ट, सिम्पल और साइमलटेनियस किया है और यह सरल भी है, सामांतर भी है, इसे हमारी सरकार ने करके भी दिया है।

महोदया, दूसरा उसमें रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिलता था। बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने मोदी सरकार के ध्येय मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सीमम गवर्नेंस के माध्यम से उसे बल दिया है। वर्ष 2011 में यूपीए सरकार का जो बिल था, उसमें माइनर ऑफेंस करने पर भी जेल का प्रावधान था, लेकिन हमने उसमें से पांच के पांच प्रावधान निकाल दिए और केवल एक रखा है और वह यह है कि यदि आपने बगैर अनुमति के समाचार पत्र या पत्रिका शुरू कर दी।

(1540/RV/SRG)

उसमें भी हमने छः महीने का समय दिया है। हम उन्हें नोटिस देंगे कि आप इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। छः महीने के बाद भी अगर वह बंद नहीं करता है, तब तो क्या उसे बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?

इसमें मैं एक बात और कहता हूं... (व्यवधान) इसमें कहा गया है कि कोई गैर-कानूनी कार्रवाई में शामिल होगा या आतंकवादी कार्रवाई में शामिल होगा तो उसको समाचार-पत्र या पत्रिका चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जलील साहब, आपका विरोध क्यों है? ईम्तयाज़ भाई, इसमें मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी गतिविधियों और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल है, उसको अख़बार नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उसको जेल में चक्की पीसना चाहिए, क्योंकि उसे अख़बार चलाने का अधिकार ही नहीं है।

पहले यह था कि आपको बार-बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर डिक्लेरेशन फाइल करनी होती थी। हमने वह प्रावधान भी खत्म कर दिया। अब आप ऑनलाइन माध्यम से उसको अपना डिक्लेरेशन भेज दीजिए और आप आरएनआई के सामने भी ऐसा कीजिए।

माननीय सभापति जी, कांग्रेस के पास न तो दिल था और वर्ष 2011 के उनके बिल में भी कमियां थीं। उसमें 57 क्लॉज़ थे, इसमें मात्र 22 क्लॉज़ हैं। हमने इसको सिम्प्लीफाई किया है, स्मार्ट बनाया है, ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशन जाए और आपको इसके लिए दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, हमने उससे बचाया है। अब आपको प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए भी बार-बार डी.एम. के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको बस ऑनलाइन इंटिमेशन देनी है, आपको इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ऑनलाइन इंटिमेशन देनी है, नहीं तो पहले डी.सी. और डी.एम. ही आपको चक्कर कटवाते रहते थे। कांग्रेस के समय काम था - अटकाना, लटकाना, और भटकाना और कई बार अगर राहुल गांधी का बस चले तो फाड़ भी देना। उन्होंने अपनी सरकार में ऑर्डिनैंस फाड़ने का काम किया था। वे वर्ष 2004 से 2014 तक इतने सालों तक रहे और ये बिल ही नहीं ला पाए। यह तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता थी कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आएं, वे धक्के न खाएं, उन्हें अवसर मिले और वह अवसर देने के लिए बिल हमारी सरकार लेकर आई है, ताकि उन्हें कहीं धक्के न खाने पड़ें।

ईमत्याज़ जलील साहब, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वे कहते हैं कि धक्के खाने पड़ेंगे, तो यहां तो हमलोग उन्हें अवसर देने का काम कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह जरूर कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे एक नहीं अनेक काम हैं, जैसे अगर मैं भारत नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक की बात करूं, तो पिछले दिन ही देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह तीन-तीन बिल्स लेकर आए, जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको साइड में करके नए भारत के नए कानून लाने का काम किया है। यह विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत सहयोग करेगा।

मैं आप सबके सामने, सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि यह जो सीआरपीसी था, इसका नाम ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। उसमें ही यह दिखता था कि आपको पहले ही वे

क्रिमिनल मानते थे। अंग्रेजों की ऐसी मानसिकता तो हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार की वैसी मानसिकता नहीं है। मोदी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की, नागरिकों को सुरक्षा देने की बात की। यही बड़े सोच का अन्तर है। यह केवल सोच का ही अन्तर नहीं, बल्कि सुविधाएं देने और अच्छे कानून देने का भी अन्तर है।

पी. पी. चौधरी साहब एक बड़े वकील हैं। उन्होंने ठीक कहा कि पीनल कोड का कानून भी उसी दिशा में है। उसमें भी न्याय दिलाने की बात कही गयी है, दंड देने की बात नहीं की गयी है। अगर गृह मंत्रालय ने वह बिल लाया है, तो उसमें भी दंड से दूर हटकर न्याय दिलाने की बात कही गयी है। इसमें भी आपके चक्कर काटने की बजाए आपको अवसर देने की बात कही गयी है।

महोदया, मैं कुछ दूसरी बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पहले बिना परमिशन प्रेस चलाने पर जेल भेजने का प्रावधान था। अब हमने बहुत आसान कर दिया है कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स को इंटिमेशन देना है। उन्हें इसके लिए छ: महीने का समय दिया जाएगा। अगर उसमें वे नहीं करेंगे तो जेल जाने का काम होगा।

(1545/GG/RCP)

महोदया, हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस को बढ़ावा देने का काम किया है। उसमें भी मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें एंटरप्रेन्योर ज्यादा बढ़ेंगे, उद्यमियों को ज्यादा बल मिलेगा। न्यूज़पेपर चालू करने के लिए पीआरबी के जो आठ स्टेप्स थे, उनको एक कर दिया है और ऑनलाइन कर दिया गया है। यही नहीं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए हमने इसको और अवसर देने का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरएनए के पास इसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसे ही जिस प्रक्रिया में पहले दो से तीन साल लग जाते थे, अब केवल दो से तीन महीनों का समय ही रह जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मैं अपनी ही सरकार की बात करूं तो लगभग 39,000 कंप्लायंस का बर्डन कम किया है, जो 63,000 हज़ार हुआ करता था। इसी तरह से 3400 ऐसे लीगल प्रोविज़ंस, जिनमें जेल जाने का प्रावधान था, उनको भी डीक्रिमिनलाइज़ करने का काम देश में किसी एक सरकार ने आज तक किया है तो उसका नाम मोदी सरकार है। 1500 कानूनों को रिपील करने का काम भी किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ही किया है। हम लोग चार नए लेबर कोड्स भी ले कर आए तो वहीं पर ऐसा जन विश्वास विधेयक भी ले कर आए कि कैसे लोगों को उसमें अवसर मिल पाएं। पी.पी. चौधरी जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने भी उसमें एक भूमिका निभाई।

महोदया, यहां पर कुछ माननीय सांसदों ने प्रेस फ्रीडम की बात कही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों के समय प्रेस फ्रीडम थी? नहीं थी। गुलामी के समय तो नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी सन् 1975 में देश ने जो देखा, वह आज की पीढ़ी को याद नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि उस समय अधिकतर पत्रकार और पत्रिका समूह के मालिक समाचार पत्र नहीं चला रहे थे, बल्कि जेलों में बंद पड़े थे तथा यह किसी और ने नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पर किया गया जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। यह कुचलने का काम इन्होंने

किया था, दबाने का काम किया था। हम आज के बिल के माध्यम से नए लोगों को अवसर दे रहे हैं कि आप आइए, केवल ऑनलाइन एप्लिकेशन कीजिए, अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको न अनुराग ठाकुर के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और न किसी और दफ्तर के काटने पड़ेंगे। आप केवल अपने घर पर बैठ कर ऑनलाइन एप्लिकेशन कर दीजिए और दो महीने के बाद आपका सर्टिफिकेट, टाइटल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन हो कर आपके पास देने का काम किया जाएगा। मोदी जी की यह गांरटी हमने इस कानून के माध्यम से कर दी है।

महोदया, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। आज तक कुल मिला कर, 1,66,047 टाइटल वेरिफाई हुए हैं। साथ ही, आज तक जो पब्लिकेशन रजिस्टर हुई हैं, वे 1,39,907 है, यानी कि लगभग डेढ़ लाख के करीब पब्लिकेशंस हैं। इसके साथ ही, टाइटल वेरिफिकेशन की मंथली एवरेज़ की बात जो है, अगर मैं पिछले चार महीनों की बात करूं तो 314 टाइटल हम वेरिफाई कर रहे हैं। प्रति महीने रजिस्ट्रेशन सर्टिफेट 210 मिल रहे हैं। देश में डीफंक्ड पब्लिकेशंस कितनी हैं, जिन्होंने टाइटल तो लिया है, अखबार का लाइसेंस तो लिया है, लेकिन चलते नहीं हैं और न ही ये अपने सालाना पेपर्स फाइल करते हैं, उनकी संख्या 1,04,402 है। पब्लिकेशंस रीएक्टिवेटिड, जो डीएम के आदेशों के बाद होती हैं, उनकी संख्या 1128 है। पब्लिकेशन जो कैंसल की गई हैं, वे लगभग 136 हैं। सभापति महोदया, यह डेटा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे सांसदों के मन में था कि कितनी अखबारें और पत्रिकाएं चलती हैं।

महोदया, एक सवाल बीच में यह आया था कि अगर कोई विदेशी पत्रिका आती है और उसका एडिशन भारत में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। मैं इसमें यह बताना चाहता हूँ कि उसके प्रकाशन से पहले भारत सरकार की अनुमति चाहिए और वह लेंगे तो आपको उसकी परमिशन मिल जाएगी।

(1550/MY/PS)

इम्तियाज़ जी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

सभापति जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आजादी के बाद इस सरकार में पहली बार शायद यह हुआ होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्थानीय भाषाओं को अगर किसी ने महत्व दिया है तो वह मोदी सरकार ने दिया है। मोदी सरकार की गारंटी पर ही आज मेडिकल शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग शिक्षा तक देश के अलग-अलग राज्यों ने शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों के उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। अगर कुछ लोगों को आलोचना ही करनी है तो वे करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

1551 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि अगर कोई अधिक बार जुर्म करें तो आप क्या करने वाले हैं। अगर हम फाइनैंशियल पेनाल्टी की बात करें तो इस विधेयक के माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए, पाँच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले 10 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये

तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यदि वह बार-बार डिफॉल्ट करें तो लगभग 2 लाख रुपये उस पर जुर्माना लगेगा और एक्स्ट्रीम केस में जाकर पाँच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे पाँच-छह दंड देने वाले प्रावधान थे, जिसमें जेल जाने का भी प्रावधान था। उसको हमने हटा दिया है और इसमें केवल एक में ही रखा गया है। अगर कोई पब्लिकेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा। अगर वह अपने लाइसेंस और कोई अहम जानकारी या तथ्य छुपाता है, यानि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है और तथ्य भी छुपाता है तो प्रेस रजिस्ट्रार ऐसे समाचार पत्र व पत्रिकाओं के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।

इसमें एक और प्रश्न पूछा गया कि उसने डेली न्यूजपेपर का लाइसेंस लिया है, अगर वह 50 परसेंट से कम दिन पेपर पब्लिश करता है तो उसको बंद करने का इसमें प्रावधान है। उसको नोटिस भी दिया जाएगा। अगर वह रोज नहीं छापता है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपने कहा कि अगर कोई फोर्टनाइट पेपर छापता है, किसी ने कहा कि हम 15 दिन में एक बार अखबार छापेंगे या पत्रिका लाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसको भी नोटिस देने के बाद सस्पेंड करने और बाद में कैंसिल करने का प्रावधान किया गया है। अगर पब्लिशर दो साल तक, दो साल बहुत लंबा समय होता है, एनुअल स्टेटमेंट नहीं देता है तो दो साल के बाद भी उसको नोटिस जाता है और उसको सस्पेंड किया जाता है। अगर वह फिर भी ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद उसका कैंसिलेशन करने का प्रयास किया जाएगा।

महोदय, इसमें एक और बात आई थी कि एक नाम से एक राज्य में हो और उसी नाम से कोई मिलता-जुलता दूसरी भाषा में किसी अन्य राज्य में हो, अब एक राज्य में एक नाम से पब्लिकेशन चल रहा है और उसी नाम से दूसरे राज्य में किसी अन्य भाषा में दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल उनमें से एक पब्लिकेशन को नियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए बंद कर सकता है अथवा उसे दूसरे नाम से पब्लिकेशन छपवाने के लिए कह सकता है।

महोदय, इसमें और भी प्रश्न आए थे। किसी ने स्मॉल पेपर्स के मशरूम की बात की। मैं कहता हूं कि छोटा हो या बड़ा हो, आज देखिए कि एक छोटा से छोटा समाचार पत्र भी अगर कोई अच्छी खबर छापता है तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश भर में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। यह अवसर देने वाली सरकार है। यह अंकुश लगाने वाली सरकार नहीं है।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई सर्कुलेशन फीगर गलत देता है, एनुअल स्टेटमेंट भी गलत देता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। यह 30 दिन से लेकर 180 दिन तक होगा, इसके बारे में निशिकांत दुबे जी ने पूछा था। अगर उसको किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है तो वह प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड के पास जा सकता है, जिसमें हमारी प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन उसके अध्यक्ष और दो मेम्बर्स सदस्य होंगे। आपने कहा कि महिला को भी इसका सदस्य होना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रेस काउन्सिल ऑफ

इंडिया के अध्यक्ष एक रिटायर्ड जज महिला ही हैं। महिला सशक्तिकरण की बात न केवल सरकार करती है, बल्कि करके भी दिखाती है।

इसी तरह से नारी शक्ति वंदन बिल भी हमारी ही सरकार ने पास किया, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाईं। मोदी सरकार ने 33 परसेंट आरक्षण विधान सभा से लेकर लोक सभा तक देने का काम किया। माधव जी ने कहा कि अगर कोई गलती करता है तो आपके पास कोई कानून नहीं है। इम्तियाज़ साहब, आपका भी यही सवाल था तो मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटल व्यवस्था बिल्कुल अलग है। हम आईटी एक्ट 2021 के अंदर उसको कवर करते हैं।

(1555/CP/SMN)

कोई भी कंटेंट आपका ऑनलाइन पब्लिश होगा तो आईटी रूल्स के अन्तर्गत उसको कवर किया गया है। जहां तक आपने फेक न्यूज की बात कही, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में यह कदम उठा लिया था। फेक न्यूज चेक करने के लिए एक डिवीजन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में बनाया गया है। जैसे ही सरकार से जुड़ी हुई कोई गलत खबर दिखती है, हम उसको वैरीफाई करते हैं और फेक न्यूज का ठप्पा लगाकर ऑनलाइन डाल देते हैं, इसे हमारी सरकार ने किया है।

मीडिया, समाचार-पत्र चलाने वाले हमारे भाइयों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हों, उनके खिलाफ कोई हमले किए गए हों, राहुल शेवाले जी ने बहुत गम्भीर प्रश्न पूछा है। आज सुबह राज्य सभा में भी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था। मैं उस हाउस की चर्चा यहां पर नहीं करूंगा। मैं बंगाल की ही बात करता हूं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य को ही हमारे पत्रकार भाइयों-बहनों को सुरक्षा मुहैया करवानी है। गृह मंत्रालय ने 20 अक्टूबर, 2017 को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था। उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री थी, आज हम सबके बीच में वे यहां उपस्थित हैं। उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि जितने पत्रकार हैं, उनको वहां पर सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, ताकि उनको लिखने की स्वतंत्रता हो ही, पर सुरक्षित वातावरण भी देना चाहिए। यह एडवाइजरी किसी और ने नहीं, मोदी सरकार में उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के नाते जारी की। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी समय-समय पर कहा और प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने भी सुओमोटो ऐसे केसेज़ को लिया और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी किया। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहां चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अनेकों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां जर्नलिस्ट पीटे गए, उनके नील भी पड़ गए, कइयों को गम्भीर इंजरीज़ हो गईं ... (व्यवधान) सही बात है। अध्यक्ष जी, कुछ पश्चिम बंगाल के सांसद यही कहते हैं। केरल की भी ऐसी कुछ स्थिति है, कुछ और राज्यों की भी ऐसी ही स्थिति है। मैं राज्यवाइज ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि सुरक्षा मुहैया कराना, लॉ एंड आर्डर स्थिति राज्य की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे। कई लोगों ने तो रेड करा दी, पत्रकारों पर पत्रिकाओं पर फर्जी मुकदमे करा दिए, ऐसा लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए। इसमें देश

की छवि भी खराब होती है और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। मेरा सभी राज्यों से अनुरोध है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, मीडिया के मित्रों को सुविधाएं दें, सुरक्षित वातावरण दें, जैसे मोदी सरकार ने मदद की है। कोविड के समय भी अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपये की मदद देने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया और हम आगे भी करेंगे। यह हमारा मीडिया के भाइयों और बहनों के प्रति कर्तव्य है।

आदरणीय महताब जी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कही, वह एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, समाचार पत्र भी चलाते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क के अंतर्गत जो चैनल्स हैं, उनके कंटेंट को हमने कवर किया है। जो बाकी ऑनलाइन न्यूज हैं, उनको हमने आईटी रूल्स के अंतर्गत कवर किया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क में थ्री टियर लेवल है, एक जो कंटेंट क्रिएट करने वाला है, उसके लेवल पर, नहीं तो बाद में उनकी एसोसिएशन के लेवल पर और तीसरा इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी के नाम पर आता है। सोशल मीडिया की आपने थोड़ी चिंता व्यक्त की है। मैं इतना ही कहूंगा कि यह उभरता हुआ ऐसा क्षेत्र है, जहां कई लोगों चिंता भी व्यक्त की, तो कई लोग यह भी कहते हैं कि इससे बहुत छोटी-छोटी जगह की खबरों को देखने और सुनने का अवसर भी मिल पाया है। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाए हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास अवसर नहीं थे, उनको पत्रकार बनने का मौका भी मिल पाया है। इस पर दोनों तरह की ही चर्चाएं सामने आती हैं। कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने इसके लिए भी अवसर दिया है कि वह ऑनलाइन इंटीमेट करे कि वे लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हम एक और एडवरटाइजमेंट की पॉलिसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल्स के लिए लेकर आए हैं, ताकि उनको भी इसमें अवसर मिल सके।

(1600/NK/SM)

महताब साहब ने कहा कि बिल में नया फीचर क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, अब डीएम और आरएनआई के पास एक ही समय ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, आरएनआई के पास सीधा ऑनलाइन करना है और उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी है। अगर 60 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब नहीं देता है तो उसका वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन हो जाएगा। आपने डि-क्रिमिनलाइजेशन का स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एनुअल स्टेटमेंट को आपने डिजिटली एक्सेपट करने के लिए कहा, अब किसी को भी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, न सर्टिफिकेट लेने के लिए, न रजिस्ट्रेशन के लिए, न एनुअल स्टेटमेंट देने के लिए। आप अपने घर से ही अपना दफ्तर चलाइए, वहीं से एनुअल स्टेटमेंट दीजिए। अब चक्कर लगाना बंद, इज ऑफ डुइंग बिजनेस चालू हो गया है, यह मोदी सरकार ने करके दिया है।

आपने कस्टम ड्यूटी की बात कही है, यह मेरे विभाग से ज्यादा वित्त मंत्रालय का विषय है, मैं उनके साथ जरूर इस विषय को उठाऊंगा। रमेश बिधुड़ी जी ने कुछ सुझाव दिए, महतो साहब ने कुछ सुझाव दिए, मैं इसे सुझाव के रूप में ले रहा हूं। गणेश जी ने भी कुछ सुझाव दिए। गणेश जी ने कॉलेज के न्यूज लेटर के बारे में कहा। वर्ष 2011 के यूपीए का बिल अंग्रेजों से भी आगे

बढ़ गया था। कॉलेजों में जरनल निकालने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए होती थी, इस तरह के प्रावधान किए गए थे। लेकिन हमने उससे भी मुक्ति दिला दी है। इसमें इस तरह की कोई परमिशन कॉलेज को नहीं लेनी पड़ेगी। इम्तियाज साहब ने कुछ बातें कहीं, इसमें इन्होंने कहा कि कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।

मैं बड़ी गंभीरता के साथ, मोदी सरकार के एक मंत्री के नाते और इस सदन का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर 75 साल में सबसे ज्यादा कभी मिली है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में मिली है, मोदी सरकार में उसकी गारंटी हुई है।

अध्यक्ष जी, मैं गर्व और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर 75 साल में किसी सरकार के समय सबसे ज्यादा है तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। आप पिछले दस सालों का रिकार्ड देखिए। हमने एक भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, उल्टे ऑनलाइन के अवसर दिए हैं। यह कानून सिंपल, स्मार्ट और साइमलटेनियस प्रोसेस है। इम्तियाज़ साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं, यह बात बिल्कुल निराधार है। आपको सरकार की जितनी आलोचना करनी है, आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक संसद सदस्य के रूप में और एक पत्रकार के रूप में आलोचना कर सकते हैं। हमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अगर कोई देश को तोड़ने का विचार रखता है, टुकड़े-टुकड़े करने की सोच रखता है या ऐसे व्यवधान खड़ा करने का काम करता है तो कानून को जो काम करना है, वह अपने आप करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है।

दूसरा, आपने कहा कि कोविड में कितने लोग मरे, आपने कहा लोग नहीं, खराब परिस्थितियां थीं, आप रिकार्ड उठाकर देखते तो आज मुझे नहीं कहना पड़ता। दुनिया के बड़े-बड़े समाचार पत्र लिखते थे, गलत धारणाएं पैदा करते थे कि भारत में करोड़ों लोग मरेंगे, महामारी से ज्यादा भुखमरी से मरेंगे।

मैं आज पूरे अधिकार के साथ कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में कोविड प्रबंधन के लिए किसी देश की तारीफ की गई है तो भारत और भारत के नेतृत्व की गई है। हमने लोगों को महामारी से भी बचाया और भुखमरी से भी बचाया। अगर किसी देश में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगी तो भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में लगी। उसमें जाति, धर्म और सम्प्रदाय नहीं देखा गया। आप उसे सम्प्रदाय के नाम पर ले गए, आप मजहब के नाम पर ले गए, मुझे यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास सोचा जाता है। हमने यह कभी नहीं कहा, आप कोई एक इंसीडेंट बताइए। चार करोड़ पक्के मकान मिले, बारह करोड़ शौचालय बने, दस करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, तेरह करोड़ लोगों के हर घ को नल से जल मिला, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है।

(1605/SK/RP)
अगले पांच साल की गारंटी, मोदी जी की गारंटी का वायदा है। इसमें किसी की जाति, सम्प्रदाय को नहीं देखा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ काम किया। आप बिल्कुल इसमें न जाइए। … (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): मैंने एक बार भी जाति या धर्म के बारे में नहीं कहा।… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपने कहा है, सर, रिकॉर्ड चैक कराइए। … (व्यवधान) आपने मज़हबी रूप देने की बात कही है। मैंने कहा कि कोविड के समय भी अगर किसी रिपोर्टर की मृत्यु हुई तो उसे पांच लाख रुपये मदद देने का काम मोदी सरकार के समय में हुआ है। आपने कहा अखबारों को जिंदा रखना चाहिए। मैंने कहा कि बढ़ाने का काम किया है। हम रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं। आपने कहा कि 1120 रुपये का सिलेंडर है। आप गलत कह रहे हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1120 रुपये का नहीं, बल्कि 630 रुपये का सिलेंडर मिलता है और यह मोदी जी की गारंटी के कारण मिलता है जबकि बाकी लोगों को 920 रुपये में मिलता है।

डिजिटल मीडिया के बारे में मैंने कह दिया है। आपके कुछ और भी प्रश्न थे। आपने मज़हब की बात कही, मैंने उसका भी उत्तर दे दिया है। … (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): मैंने एक बार भी नहीं कहा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डिबेट मत कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं इतना ही कहूंगा कि यह बिल आखिरकार गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आधुनिकता से लैस, अवसरों से लैस है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2023 ऐसे अवसर ला रहा है जो एक बार नहीं, अनेकों बार लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्यमी बनने का अवसर देगा।

महोदय, यह बिल 1867 के बिल को हटाकर सम्पूर्णतया भारतीय बिल है। नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इस उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है।

मैं आशा करता हूं, जैसे आप सबने इसका समर्थन किया वैसे ही इसे वोट में भी सर्वसहम्मति से पास करेंगे। आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस, नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, I beg to move:-

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

विदाई संबंधी उल्लेख

1609 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब हम सत्रहवीं लोक सभा के चौहदवें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ दिनांक 4 दिसंबर, 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें कीं जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चलीं। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोक सभा में चर्चा के बाद पारित किए गए।

(1610/KDS/NKL)

सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस तरीके से हैं - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 एवं दूरसंचार विधेयक 2023।

सत्र के दौरान दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें तथा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की एक्सेस मांगों पर मतदान द्वारा उन्हें पारित किया गया। सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्य काल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान, लोक सभा विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति के 35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73क के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले दो वक्तव्य सदन के पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान, कुल 1930 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। लोक सभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74 प्रतिशत रही। माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 दिसंबर, 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया। उन्होंने सभा में विशिष्ट दीर्घा में बैठकर सभा की कार्यवाही भी देखी।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल मेरे माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर, मैं सभा को प्रदान की गयी समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूँ। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सम्बद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, कृपया हम "वन्दे मातरम्" के लिए खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

1615 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।